पंचदश माला, खंड 1, अंक 5

शुक्रवार, 5 जून, 2009
15 ज्येष्ठ, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

(खण्ड 1 में अंक 1 से 7 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक

राकेश कुमार
सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन **विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001** पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/1/5/2009 (एन०)
230

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2009/1931 (शक)]

अंक 5, शुक्रवार, 5 जून, 2009/15 ज्येष्ठ, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
विश्व पर्यावरण दिवस	1
सभापति तालिका के लिए नामनिर्देशन	2-3
विशेषाधिकार समिति	
19वां और 23वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)	3
मंत्रियों का परिचय	23
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	
डॉ. गिरिजा व्यास	3-18
श्री पी.सी. चाको	18-30
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	30-86
श्री शरद यादव	86-95
श्री भर्तृहरि महताब	95-101
डॉ. एम. तम्बिदुरई	101-109
श्री अर्जुन राम मेघवाल	109-114
श्री अधीर चौधरी	114-122
श्री मनोहर तिरकी	122-127
श्री इन्दर सिंह नामधारी	127-133
डॉ. मिर्जा महबूब बेग	133-138
डॉ. भोला सिंह	138-143
श्री जगदम्बिका पाल	143-152
श्री हसन खान	152-154
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	154-159
श्री सज्जन वर्मा	160

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष*

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

*8.6.2009 को निर्वाचित।

लोक सभा

शुक्रवार, 5 जून, 2009/15 ज्येष्ठ, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

विश्व पर्यावरण दिवस

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने विश्व पर्यावरण दिवस, 2009 के लिए जो विषय चुना है, वह है ''आपके गृह को आपकी जरूरत है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए एकजुट हों।''

इस अवसर पर हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने और पर्यावरण को अधिक स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करना होगा।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सभापति तालिका के लिए नामनिर्देशन

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति-तालिका का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया है:—

1. श्री बसुदेव आचार्य
2. श्री पी.सी. चाको
3. श्रीमती सुमित्रा महाजन
4. श्री इन्दर सिंह नामधारी
5. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
6. श्री अर्जुन चरण सेठी
7. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
8. डॉ. एम. तम्बिदुरई
9. श्री बेनी प्रसाद वर्मा
10. डॉ. गिरिजा व्यास

पूर्वाह्न 11.02 बजे

विशेषाधिकार समिति

19वां और 23वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)

महासचिव : मैं विशेषाधिकार समिति (चौदहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) श्री मोहन सिंह और श्री मधुसूदन मिस्त्री, संसद सदस्य (चौदहवीं लोक सभा) द्वारा सर्वश्री अशोक अर्गल, महावीर भगोरा और फग्गन सिंह कुलस्ते, संसद सदस्य (चौदहवीं लोक सभा) के विरुद्ध कथित रूप से सभा में करेंसी नोटों की गड्डियां लाकर और सभा पटल पर उन्हें दिखाकर घोर अवचार करने तथा सभा की कार्यवाही को बाधित करने और सभा की गरिमा को कम करने के संबंध में दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाओं के बारे में 19वां प्रतिवेदन*; और

(2) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य (चौदहवीं लोक सभा) द्वारा, विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के संबंध में धनराशि की कथित पेशकश के बारे में कुछ सदस्यों द्वारा की गई शिकायत की जांच संबंधी समिति की कार्यवाहियों/समिति को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को समय से पूर्व सार्वजनिक करके उक्त समिति और सभा के विशेषाधिकार का हनन और उनकी अवमानना करने के लिए श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी के विरुद्ध दायर की गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के बारे में 23वां प्रतिवेदन*।

---

*19वें और 23वें प्रतिवेदन, अध्यक्ष लोक सभा के निदेश के निदेश 71क (6) के अंतर्गत 1 मई, 2009 को जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था; माननीय अध्यक्ष (चौदहवीं लोक सभा) को प्रस्तुत किए गए और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। डॉ. गिरिजा व्यास प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। पश्चिम बंगाल में विनाशकारी चक्रवात 'आइला' आया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैंने आपकी सूचना की जांच की है। इस पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। अतः, मैं इसे अस्वीकृत कर रही हूं। आप इस मुद्दे को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आचार्य जी, इस इश्यू को हम शाम को लेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : महोदया, कृपया हमारी सहायता कीजिए *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, चक्रवात की गंभीरता इतनी... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री आचार्य, मैं आपको शाम को अनुमति दूंगी।

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव पेश करती हूं:–

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाए:–

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 4 जून, 2009 को एकसाथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूं। एक नयी दिशा, एक नयी दशा, एक नयी बयार, एक नया प्रयोग, एक नयी परम्परा की पुरौधा बनने वाली पहली महिला, हमारी लोक सभा की अध्यक्ष का मैं सभी की तरफ से स्वागत करना चाहती हूं।

महोदया, हम लोग फिर चुनाव के बाद यहां इकट्ठा हुए हैं और राष्ट्रपति जी ने कृपा करके दोनों सदनों के बीच अपने मंतव्य और अपनी सरकार के मंतव्य को रखा है। उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम यहां आए हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं सदन के समक्ष एक शेर रखना चाहती हूं:–

वक्त की राह में हमने जलाएं हैं जो चिराग,
उन उजालों में कई दौर गुजर जाएंगे।

एक नहीं कई दौर – और इसकी साक्षी है कि यूपीए सरकार, जिसके ऐसे कार्यों के द्वारा जनता ने उन्हें फिर चुनकर भेजा है। ऐसी परिवर्तन की बयार लेकर आई यूपीए की सरकार कि फिर जनता ने उन्हें चुना है। अगले पांच वर्ष के लिए ही नहीं, बल्कि जैसा मैंने पहले कहा, उन कार्यों के प्रकाश में आने वाले कई वर्षों तक कांग्रेस-लेड यूपीए की सरकार इस देश की सेवा करती रहेगी। मैं 15वीं लोक सभा में कांग्रेस-लेड यूपीए की सरकार को बधाई देती हूं। मैं सोचती हूं कि यह बधाई मैं पहले किसको दूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में पांच सालों तक आम आदमी की तस्वीर और आम आदमी के प्रत्यय को लेकर विकास के कार्यों की ऐसी गंगा बहाई गई या श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने संवेदना के साथ आम आदमी को सहारा दिया या राहुल गांधी जी को धन्यवाद दूं, जिन्होंने युवाओं को एक नई दिशा दी या कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने असीम उत्साह के साथ अपनी इस पार्टी के लिए कार्य किया जिसने केवल बलिदान सीखा है और बलिदान के साथ आगे बढ़ना चाहती है या फिर मैं सबसे पहले उस जनता-जनार्दन को धन्यवाद दूं जो परिवर्तन की बयार को समझते हैं, जो कांग्रेस की अस्मिता को समझते हैं, जो प्रजातंत्र के अर्थ को समझते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे परिपक्व लोकतंत्र अगर कहीं का है, जिसे बार-बार कहा जाता है कि यह आधे पढ़े-लिखे या अनपढ़ लोगों का प्रजातंत्र है, वह परिदृश्य हमने बार-बार देखा है। यह वही देश है जो इतना साहस कर सकता है कि जिन इंदिरा जी ने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया, प्रजातंत्र के इस मान ने उनको हराया, लेकिन 19 महीने बाद ही केवल कांग्रेस में, इंदिरा जी में विश्वास करके इस देश, इस जनता ने उनको पुनः स्थापित किया, वर्षों के लिए, ताकि यह देश वापस समाजवाद और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए आम आदमी और आम गरीब की सेवा में लग सके।

महोदया, यह इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के सो-कॉल्ड उसूलों को करारा जवाब था। मैं यहां पर सो-कॉल्ड शब्द का प्रयोग करना उचित समझती हूं, जिनमें उन्होंने पिछली बार ''इंडिया शाइनिंग'' का नारा देकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की और इस बार प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के नाम पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की, जनता को भ्रमित किया। कांग्रेस और यूपीए के हर कार्य को भरमाने के लिए उनके पास जो एक छिपाया हुआ या छद्म मुद्दा रहता है, जिसे वह हर इलेक्शन के समय अपने पिटारे को खोलकर सामने लेकर आते हैं, वह मुद्दा है श्रीराम जन्मभूमि या धर्म का मुद्दा, लेकिन इस बार इस बात को लेकर उन्होंने अति की। एक व्यक्ति जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूं, मैं सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहती हूं और एक व्यक्ति जो इस सदन के सदस्य हैं, लेकिन इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, मैं उनके बारे में भी ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग गुजरात से उठकर आया और जिन शब्दों का प्रयोग एक युवा साथी ने उत्तर प्रदेश में किया, मैं सोचती हूं कि गंभीरता के साथ इस सदन को सोचना चाहिए कि आज हम किस दशा और किस दिशा में कुछ लोगों के कारण जा रहे हैं। यही वजह रही कि जनता-जनार्दन के फिर से एनडीए की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के कारनामों के कारण, या फिर मैं कहूं कि पूरी तरह से एनडीए की सरकार को नकारा है, करारा जवाब दिया है।

यहां पर आदरणीया राष्ट्रपति जी का मंतव्य पहले स्तर पर देश की सेकुलरिज्म और देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने का है। उन्होंने जो दस प्वाइंट्स दिए हैं, मैं सोचती हूं कि आने वाले समय के हिसाब से उन सभी को परख कर दिया है। मैं सुषमा जी के वक्तव्य को पढ़ रही थी। उसे पढ़कर अच्छा भी लगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ नहीं है। इसमें उन्होंने कहा कि जो हमने किया है, उसी को एजेंडा मानकर राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण दिया है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह कांग्रेस का वर्षों का, सदियों का, जब से हम लोगों ने यहां पर आकर देश की सेवा की है, जब से हमने कुर्बानियां देकर आजादी लाने का प्रयास किया है, तब से आम आदमी हमारे जेहन में है। आम आदमी के साथ-साथ देश की उन्नति भी हमारे जेहन में है। इसलिए हम क्या एजेंडा चुराएंगे। हमारे ही कुछ एजेंडे को आपने चुराया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उस एजेंडे की आप आपूर्ति नहीं कर पाए, केवल 'इंडिया शाइनिंग' के नारे के साथ ही आपने अपने काम की इतिश्री कर दी। मैं सोचती हूं कि वह इतिश्री हमेशा के लिए हो गई है। इस देश ने बता दिया कि बहुत दिनों तक साम्प्रदायिक ताकतें मुंह नहीं उठा सकेंगी, क्योंकि यह देश सबका देश है।

आज जब आप इस चेयर पर बैठी हैं, तो मुझे याद आता है कि पूना में कांग्रेस के अधिवेशन के तुरंत बाद जब पत्रकारों ने गांधी जी से पूछा था कि आजादी का क्या मायना होगा, तो गांधी जी ने कहा था कि आजादी का अर्थ होगा कि पंक्ति में खड़े सब व्यक्तियों को एक जैसा अधिकार मिले। हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर या लिंग के नाम पर विभेद नहीं करेंगे। महिलाएं तो बहुत पीछे थीं। लेकिन आज हमारे देश में राष्ट्रपति के पद पर एक महिला आसीन हैं, वह गांधी जी के सपनों के कारण ही बैठी हैं। इसलिए मैं यूपीए सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि अनेक ऐसे फैसले उसने किए हैं, जिनका जिक्र भले ही अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में न हो, लेकिन उन फैसलों से हमारा हौसला बढ़ा है कि हम कहां तक पहुंचे हैं।

लड़ाई लड़नी है, अभी भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी है और प्रजातंत्र में नीचे तक हमें लड़ाई लड़नी है। राहुल गांधी जी ने यहां से कहा था, उनके पिता जी ने वर्षों पहले जो बात कही थी, उसे दोहराया था कि यहां से जो एक रुपया जनता के कल्याण के लिए दिया जाता है, नीचे तक जाते-जाते उसमें से सिर्फ दस पैसे का ही इस्तेमाल होता है और पूरा पैसा परकोलेट नहीं हो पाता। उसे चैलेंज के रूप में यूपीए सरकार ने पिछली बार लिया था, इस बार भी लिया और फिर लेकर हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देश की धर्म निरपेक्षता का क्या होगा, गांधी जी ने फिर कहा था कि मुझे चिंता विकास की इतनी नहीं है, विकास थोड़े दिन रुक सकता है, लेकिन हम धर्म निरपेक्षता को नहीं रोक सकते, हम साम्प्रदायिक सद्भाव को नहीं रोक सकते। अनेक बार किए गए उनके अनशन इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने हमेशा हिन्दू और मुसलमानों को अपनी दो बाजुएं समझा। जब उन्हें अलग होते देखा तो उस पीड़ा का दर्द हम समझ सकते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं आजादी की उस रात को, जिस रात को एक तरफ पाकिस्तान जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान जश्न मना रहा था। उस वक्त भी वे अनशन पर थे, क्योंकि उनके दो बाजू कटकर एक इधर और दूसरा उधर गिर गया था। लेकिन साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने का कार्य कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने और समाज के कंटकों ने किया था, जो आज भी धर्म निरपेक्षता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोचती हूं कि इस सरकार का पहला दायित्व यह है कि हम साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाए रखें। इस सम्बन्ध में जो बिल आने वाला है, उसका मैं स्वागत करती हूं जिसका जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किया गया है।

कभी-कभी लगता है कि जैसे कुछ लोगों ने हिन्दुत्व को परिभाषित करने का फैसला कर लिया है या उन लोगों ने डेजिग्नेट कर लिया

[डॉ. गिरिजा व्यास]

है कि हम हिन्दुत्व को परिभाषित करेंगे। मैं इस बात से इनकार करती हूं कि यदि उन लोगों की हिन्दुत्व की परिभाषा मान ली गई तो हमारा देश जो सदियों से चलता रहा है, जैसा अलामा इकबाल ने कहा था – कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी-उसे झुठला दिया जाएगा। इस देश में हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इसलिए कायम रही, क्योंकि लोग चलते रहे, हम कूप मंडूक नहीं रहे, हम कुंए के पानी की तरह स्थिर नहीं रहे, बल्कि अनवरत रूप से चले। इसलिए देश काल के अनुरूप धर्म की परिभाषा परिवर्तित हुई है। यहां पर तो आपात धर्म जैसे धर्म की भी व्याख्या की गई। फिर आज वक्त है, जिसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नई दशा और दिशा के रूप में किया गया है।

मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी तरफ आज विश्व भर की निगाहें लगी हैं, कि हम कुछ करके दिखाएं। इस बारे में कुछ प्रयास पिछले कुछ वर्षों से किए भी गए हैं। हम लोग इतना संकुचित हो गए हैं कि यदि अपने आपको खुरचें तो उसके नीचे से हम लोग हिन्दु, मुसलमान, सिख-ईसाई निकलेंगे। लेकिन हमें अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि धर्म की परिभाषा को फिर से हमें देखना होगा और राष्ट्र धर्म के रूप में हमें देखना होगा। मुझे वाल्मीकि की रामायण की एक बात याद आती है, जब लक्ष्मण ने राम से पूछा था कि आपने सीता को वनवास क्यों दिया, यह अलग बात है कि इस तथ्य से, एक महिला होने के नाते शायद मैं पूरी तरह से गले के नीचे नही उतार पाऊं, लेकिन उस वक्त राम ने प्रशासक के रूप में कहा था कि मेरे लिए राष्ट्र धर्म ही धर्म है। उनकी इस बात को हम लोग एप्रिशिएट कर सकते हैं। सदियों पहले राम द्वारा राष्ट्र धर्म को धर्म के रूप में परिभाषित करने की कोशिश वाल्मीकि द्वारा की गई तो मैं सोचती हूं कि आज इस बात की जरूरत क्यों नहीं है।

इसलिए इस वक्त हम इसे बदलने की कोशिश करें। मुझे मालूम है और आप सब ने देखा कि चुनाव के दौरान हिन्दुत्व के नाम पर किस प्रकार की बयानबाजी हुई, लेकिन सच्चा हिंन्दुस्तानी वह है जो किसी मंदिर के सामने से गुजरे तो प्रणाम करे, मस्जिद के सामने से गुजरे तो उसका सिर सज़दे में अपने आप झुक जाए, गुरुद्वारे के शब्द की आवाज उसे झुकने पर मजबूर कर दे, गिरजाघर के घंटे की आवाज उसे नमन् करने की प्रेरणा दे। यह इशारा आने वाले एक्ट की दिशा की ओर संकेत कर रहा है, तथा आने वाल समय बहुत दिनों तक इन साम्प्रदायिक ताकतों और वक्तव्यों पर चलने वाला नहीं है। इस चुनाव ने हमें दिखा दिया कि लोग विकास चाहते हैं, समरसता चाहते हैं, एकता चाहते हैं। पांचों उंगलियां अलग-अलग तरह की हैं लेकिन इन पांचों उंगलियों को हम एकसाथ रख सकें, इस बात का दायित्व हम लोगों ने हमेशा लिया है और इसी ओर हमने हमेशा कोशिश की है। इसलिए अलामा इकबाल की बात सच है कि ''कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी''।

महोदया, यह चुनाव कांग्रेस ने बहुत सी जगह अकेले लड़ा। अकेले लड़ने का अर्थ और मायना भी था और एक बात थी कि अपने पैदा किये गये सूरज की दुआएं मांगो, धूप मांगों और कईयों पर हमने भरोसा किया। हम अपने पैरों पर खड़े हुए और चाहे बात किसी भी वजह से टूटी हो, कुछ लोग गये भी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हुई। उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों का निर्णय इस बात का संकेत है कि लोगों को कांग्रेस पर विश्वास है और यह विश्वास कल भी कायम रहेगा।

इतिहास का नया अध्याय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के साथ शुरू होता है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें आंतरिक सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। मैंने माननीय आडवाणी जी के भाषण के कुछ अंशों को पढ़ा और निश्चित तौर पर मैं उन अंशों के साथ अपने आपको संलिप्त करती हूं। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहती हूं कि लोगों का विश्वास जो सैकूलरिज्म और सुरक्षा की तरफ है, जिसके लिए लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया तथा लोगों का विश्वास इस बात को लेकर भी है कि समवेत रूप में हम लोगों ने प्रयास किये तो हम लोग अपनी आंतरिक सुरक्षा को बचाकर रखेंगे। कांग्रेस वह कांग्रेस है जो एकता को बनाकर, एकता को संजोकर रखती है।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करती हूं:–

''भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वही वादा करती है जिसे वह पूरा कर सके और वह वही करेगी जिसका वह वादा करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सरकार जनता के हित में कार्य करे जिसके लिए वह अस्तित्व में है और कार्य करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदैव यह विश्वास रहा है कि उत्तम शासन कर अर्थ जनता की रोज की चिंताओं का निवारण करना और उसकी समस्याओं का समाधान करना है।''

[हिन्दी]

एक विश्वास के साथ प्राइम-मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के निर्देश में एकता के साथ आगे बढ़कर हम सैकूलरिज्म की रक्षा कर सकें। साथ ही हम लोग आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह से आच्छादित रहे। मैं इतना ही कह सकती हूं कि हमारा मंतव्य केवल यह है कि लोग जब-जब त्रिशूल बांटेंगे, हम अपने उसूल बांटेंगे, वो सजाते रहें दुकान कांटों की, हम तो बस्ती में फूल बांटेंगे। इस बात का प्रयास कांग्रेस ने हमेशा ही किया है। मैं बात आंतरिक सुरक्षा की कर रही थी। इंटरनल सिक्योरिटी के प्रति जैसा राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है। एक तरफ टैरेरिस्ट मूवमेंट है, दूसरी तरफ उल्फा है, तीसरी तरफ नक्सलाइट्स हैं और ऐसे इलाकों में जहां से निकलकर आना बहुत मुश्किल हो और उसके अतिरिक्त हिंटरलैंड में स्केरी सिचुएशन है। लेकिन जीतने की ताकत यूपीए की सरकार में थी और वह ताकत अभी भी है। इसीलिए एक ऐसी मल्टी-प्रॉंग्ड स्ट्रेटजी तैयार की गयी है जिसमें चाहे मैगा-सिटीज की पॉलिसी हो, चाहे डैजर्ट पॉलिसी हो, चाहे कोस्टल सिक्योरिटी की पॉलिसी हो, उन पर सरकार का पूरा ध्यान गया है।

महोदया, दूसरे स्तर पर बौर्डर फेंसिग और फ्लड लाइटिंग की पूरी व्यवस्था करके उसे रोकने का प्रयास किया गया है। 13 इन्टरमिडिएट चेकपोस्ट्स बनाए गए हैं, जो बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार देशों से लगी हमारी सीमा की रक्षा करेंगे। 13 इमिग्रेशन चेकपोस्ट्स लगाए गए हैं, जिन पर विशिष्ट सुरक्षा के संसाधन लगाए गए हैं। 359 बौर्डर ब्लाक्स सुनिश्चित किए हैं, जो 90 डिस्ट्रिक्ट्स और 17 राज्यों को कवर करेंगे। इनमें सबसे बड़ी बात सोशल सिक्योरिटी वहां के रिहायशी लोगों को दी है कि किस तरह से वे अपने एग्रीकल्चर, सोशल स्टेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बौर्डर की रक्षा कर सकें।

महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जब पिछले वर्ष हम असम, नागालैंड आदि के दौरे पर थे, उन इंटीरियर स्थानों पर महिलाओं के साथ आज भी जो बुरी तरह से बर्ताव किया जा रहा है, मैं सोचती हूं कि सरकार उस तरफ विशेष ध्यान देगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि खासकर महिलाओं की सिक्योरिटी का विशेष ध्यान इन इलाकों में जरूर रखा जाए। हम सभी जानते हैं कि जब तक पुलिस फोर्स का आधुनिकीकरण नहीं होगा, तब तक इस समस्या से मुक्ति पाना मुश्किल है। इसी कारण केंद्र सरकार ने उनके लिए सुनिश्चित योजना तैयार की है। 76 डिस्ट्रिक्ट्स चुने गए हैं, जिन जगहों पर नक्सलाइट्स कार्यवाही होती है, वहां दो करोड़ रुपए प्रति माह 5 साल तक दिए जाएंगे, ताकि वे अपनी फोर्स का पूरी तरह से आधुनिकीकरण कर सकें। पैरामिलिटरी फोर्स, अगमेन्टेशन या स्टेशंस और दूसरी फोर्सिस चाहे वह आईआर हो आदि की व्यवस्था केन्द्र सरकार करती है। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने इस बात को जाना और पहचाना है, जिसके लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि जब तक राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में आपसी तालमेल नहीं होगा, तब तक समस्या का पूरी तरह से निदान नहीं हो सकता है क्योंकि कई बार यह बात सामने आती है कि केन्द्र द्वारा कही गई बात के लिए राज्य सरकार कह देती है कि हमें इस बात का पता नहीं था। आपसी तालमेल और तालमेल के अलावा इंक्लूडिंग शेयरिंग आफ इंफोर्मेशन एंड इंटेलिजेंस, जो शामिल करने का प्रयास हमारी मिनिस्टरी ने किया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, लेकिन इसका प्रयोग पूरी तरह से हो, इस बात की चेष्टा हमें जरूर करनी चाहिए।

सरकार ने एनएसजी के रीजनल हब्स को बनाने का निर्णय लिया है और चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई में इसकी शुरूआत की। अन्य स्थानों पर भी इसकी शुरूआत होनी चाहिए।

महोदया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट बनकर जो तैयार हुआ और जिसने काम्प्रिहेंसिव डेफिनीशन आफ टेरिस्ट्स और उसके साथ-साथ जहां से पैसा आता है, न्यूक्लियर आदि, उसकी व्याख्या विस्तृत रूप से की गई है, उसे रिफ्लैक्ट करने की जो कोशिश की गई है, मैं समझती हूं कि उसका बहुत बड़ा फायदा निश्चित रूप से मिला है और मिलेगा। एक बात और मैं कहना चाहती हूं कि मोडिफाइड बेल प्रोविजन की भी हम लोगों को तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि पहले जो चीजें इसमें नहीं थीं इसमें संजो करके रखा गया है। जब इस एक्ट के लिए हम आगे बढ़े, तो केवल आलोचना के लिए ही आलोचना न करें, यह एक्ट निश्चित तौर पर सारी गतिविधियों को कम्बैट करने के लिए कारगर साबित होगा।

महोदया, दूसरा प्रयास नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी एक्ट, 2008 के जरिए हुआ है, उसके डायरेक्टर जनरल भी बन चुके हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इन बातों के लिए बाइलेटरल इंटरनेशनल स्तर पर जो बात हो रही है, भारत सरकार उसके लिए भी प्रतिबद्ध है। बायलेटरल टॉक और मल्टीलेटरल टॉक जारी है। रिजनल ग्रुप्स के साथ वार्ता जारी है। सबसे बड़ी बात यूनाइटेड नेशनंस, जो टेरिज्म या इस तरह की एक्टिविटीज़ को कम्बेक्ट करना चाहता है, उसमें भारत पूरी तरह से उनके साथ है।

महोदया, मैं राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण की संवेदना को समझने की कोशिश करती हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी प्रत्येक की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, लेकिन मैं समझती हूं कि यदि हम अपने

[डॉ. गिरिजा व्यास]

आंतरिक मन को टटोलें और प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर देखें, तो विदित होगा कि इन सारी एक्टिविटीज़ के पीछे बहुत से लोगों की, जो हमारे देश के भी हैं, उन लोगों की कहीं मंशा तो छिपी नहीं है। केवल पालिटिकल गेन करने के लिए तो हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कहती हूं कि ''न इधर-उधर की तू बात कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों की फिकर नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है''। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, जो हम अपने आप से पूछें। हम यह पूछें कि क्या देश को केवल वोट के लिए बांट कर रख देंगे, क्या नक्सैलाइट्स इसलिए पैदा होते रहेंगे, क्या आतंकवाद इस तरह आता रहेगा, क्या एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर और क्या अपनी परिभाषाओं को परिवर्तित करके, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भी समाप्त करने की कोशिश करेंगे? भारत की जनता चाहती है कि वह आज इससे मुक्त हो। वे ऐसी स्वतंत्रता के माहौल में सांस लें जहां कोई भय न हो। यही वायदा यूपीए की सरकार का है, जिस ओर संकेत राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है।

महोदया, पिछली यूपीए सरकार को और आगे शुरू करने वाले कार्यक्रमों के लिए भी इस सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति जी ने इसका अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। पिछली बार भी एक परिवर्तन आया था। इंडिया शाइनिंग में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन मैं यहां मनमोहन सिंह जी की बात को कोट करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि:–

[अनुवाद]

> ''...इस देश को चलाने के तरीके में परिवर्तन, राष्ट्रीय प्राथमिकता में परिवर्तन और सरकार की प्रक्रिया तथा लक्ष्य में परिवर्तन...''

[हिन्दी]

यह परिवर्तन आम आदमी को एक माध्यम बनाने से आया। इन पांच सालों में जहां ग्रोथ रेट 7 और 8 परसेंट से नीचे कभी नहीं गिरी, जहां पर यूनिवर्सल ऐक्सेस टू क्वालिटी बेसिक एजुकेशन और हैल्थ का दायित्व रहा, जहां गेनफुल एम्पलॉयमेंट और प्रोमोटिंग इनवैस्टमेंट हां, जहां हरेक फैमिली को हंड्रेड डेज का रोजगार और मीनिमम वेजिस देने का वायदा ही नहीं किया गया बल्कि उसे कानून का रूप दिया, जहां पर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट और इनफ्रास्ट्रक्चर को महत्व देकर आगे विकास की ओर बढ़ने की कोशिश की गई, जहां एक्सीलरेशन, फिसकल, कनसॉलिडेशन और रिफॉर्म्स की न केवल बात की बल्कि हम उसकी तरफ आगे बढ़े, जहां एफिशिएंट फिसकल रेवोल्यूशन लाया गया, मैं सोचती हूं कि यह बहुत बड़ी देन है। मैं यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उसने पिछले पांच वर्षों में, तीन वर्षों तक 9 परसेंट से नीचे आर्थिक विकास दर को नहीं गिरने दिया और ऐसे कठिन समय में 7.4 परसेंट विकास दर को रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों के रहन-सहन को ऊंचा उठाने की दृष्टि से काफी प्रयास किया गया और इसलिए इस पीरियड में पर-कैपिटा इनकम 7.4 परसेंट पर-एनम की दृष्टि से बढ़ी। उससे लोगों के लिविंग स्टैडर्ड में काफी फर्क पड़ा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और गांधी जी व नेहरू जी के सपनों को साकार करने तथा इन्दिरा जी के गरीबी मिटाओ नारे को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है। इसमें राजीव जी के सपने की भी पूर्ति होती है।

महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस पीरियड में फिसकल डेफिसिट जो 2003-04 में 4.5 था, वह कम होकर 2.7 पर आ गया और 2007-08 में जो रेवेन्यू डेफिसिट 3.6 था, वह 1.2 पर आ गया। दिशा सुनिश्चित, दशा सुनिश्चित करके विकास की गति आगे बढ़ी लेकिन अचानक-अचानक विश्व में जैसे बमबार आया हो, तूफान उठा हो, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में एक स्लो-डाउन आया, उसका निश्चित तौर पर कुप्रभाव भारत में भी पड़ा लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं विशेष तौर पर माननीय सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने दूर दृष्टि के साथ इसे देखा और नरेगा जैसी योजना लेकर यूपीए की सरकार आई। मनमोहन जी, जो अर्थविद हैं और मैं चिदम्बरम जी को भी धन्यवाद देने से नहीं बचना चाहती जिन्होंने एक अच्छे अर्थविद का परिचय देते हुए देश को इस स्लो डाउन से बचाया। निश्चित तौर पर यह स्लो-डाउन है। इस ओर राष्ट्रपति जी ने इशारा किया कि विकास की गति जो पिछले पांच सालों में रही, वह कुछ दिनों के लिए ढीली हो गई। हम गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम आम आदमी को रोटी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम ईमानदारी के साथ उन लोगों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम एग्रीकल्चरल ग्रोथ को उतना बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले सालों में जिस तरह से ग्रोथ बढ़ी है, चाहे वह एक्सपोर्ट ग्रोथ हो, जो 26.4 तक पहुंची और फॉरेन ट्रेड जो 23.7 से 35.5 तक पहुंचा, वह अपने आप में उपलब्धि थी।

महोदया, देश इस बात को जानता है और कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पर इसे जानती है क्योंकि वह गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है और आम आदमी की पार्टी है। सरकार द्वारा लाख कोशिश करने के बाद हमें इस दौर से गुजरना ही है।

इसके लिए एक करैक्ट एप्रोच की जरूरत है, एक व्यावहारिक एप्रोच की जरूरत है और इसीलिए सरकार ने जो कुछ निर्णय लिये,

वे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुरंत प्रभाव से जिस तरह से टैक्सेज की निर्णय लिया गया, मैं समझती हूं कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ मैं कहना चाहती हूं कि नेहरू जी का सपना जो खासकर पब्लिक सैक्टर के लिए था, उसने हमें बचाया। इंदिरा गांधी जी का सपना ओनरशिप ऑफ बैंक का जो पूरा हुआ था, उसने हमें बचाया और राजीव गांधी जी का जो प्राइवेट सैक्टर को लेकर सपना था, उसने हमें बचाया। लेकिन सबसे व्यावहारिक बात है कि नरेगा में छठे पे कमीशन ने और हम लोगों की अपनी व्यवस्थाओं ने हमें बचाया। मैं यहां एक बात का निवेदन करना चाहती हूं और एनडीए के हमारे साथियों को एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि बार-बार इस बात को लेकर कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मैं अपने कम्युनिस्ट साथियों को भी याद दिलाना चाहती हूं जो कहते हैं कि मंदी के दौर में जैसे कुछ काम ही नहीं करें, लेकिन एनडीए की सरकार की लाख कोशिश के बावजूद भी उनकी विकास दर 5.1 प्रतिशत के ऊपर नहीं पहुंची थी जबकि तीन लगातार वर्षों तक 9 प्रतिशत से ऊपर विकास दर यूपीए की सरकार के समय में पहुंची थी जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महोदया, हमारे पास लिक्विडिटी है, हमारे पास पर्चेजिंग पॉवर है और हमारे पास विल है जो सबसे बड़ा संकल्प है क्योंकि हम संकल्पित हैं और केवल तूफान को देखकर हम डरकर भाग नहीं जाते, बल्कि तूफान के कुछ देर तक रुकने का इंतजार करके हम लोग एक नयी दिशा और एक नये संकल्प के साथ फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज जिस तरह से राष्ट्रपति जी ने इशारा किया कि टैक्सटाइल और अन्य जो हमारे संसाधन हैं, उनको और आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनको नये तरीके से हम देखने का प्रयास करें। बहुत कठिन समय से यूपीए की सरकार गुजरी है। मैं यहां याद दिलाना चाहती हूं कि जो क्रूड ऑयल था, उसकी कीमत और जब यूपीए की सरकार आई, उस समय उसकी कीमत में कितना बड़ा अंतर था, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने एक तरह से महंगाई को रोककर रखा है। मैं समझती हूं कि उस महंगाई का जिक्र बार-बार करना और वह भी तब इस मंदी के दौर में जब सम्पूर्ण विश्व गुजर रहा हो, उसका जिक्र बार-बार करना हमारे साथ और इस देश के साथ अन्याय करना होगा। आज हम नये सिरे से नयी स्थिति के साथ आगे बढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्रीजी की दृष्टि, वित्त मंत्री जी की दृष्टि और सोनिया गांधी जी की जो संवेदनात्मक सोच है, वह निश्चित तौर पर एक नयी दिशा देगी। मैं सोनिया गांधी जी को यहां कोट करना चाहती हूं:-

[अनुवाद]

''न्यायोचित विकास के लिए सतत आर्थिक विकास आवश्यक है। इसके लिए आर्थिक विकास का लाभ सभी को दिया जाना आवश्यक है। सर्व समावेशी होने का अर्थ सर्वाधिक संख्या में सर्वाधिक विकास नहीं है। यह वास्तव में सर्वोदय अथवा सबका विकास है।''

[हिन्दी]

इसका अर्थ है कि ग्रोथ फास्टर हो, इंक्रीजिंग हो, इसका प्रयास निश्चित तौर पर सरकार करेगी। ऐसा जिक्र राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में निश्चित तौर पर कर दिया। गांव, गरीब और किसान कांग्रेस का पाथेय रहा है और पाथेय रहेगा। यूपीए की सरकार ने 300 प्रतिशत वृद्धि करके इस बात को दिखाया कि किसान को आगे बढ़ाना है। मैं केवल इस बात को यहां कहना चाहती हूं कि किसान को पूरी तरह से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के जरिये या उनको अधिक लोन आदि देने के जरिये जिस तरह से कोशिश की गई, किसानों को जिस तरह से 65 हजार करोड़ रुपये के कर्जे से मुक्ति दिलाई गई और तीन गुना और कर्ज का जो उन का दायित्व सौंपा गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस तरह से बढ़ाई गई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का जो निवेश किया गया और आगे भी जिस तरह से उसकी नयी दिशा खोजी गई है, देश के फूड सिक्योरिटी मिशन की स्थापना और इस पर एक्ट आना इस बात को दर्शाता है कि हम लोगों को भूखा नहीं सोने देंगे। मैं अपने सार्थियों से कहना चाहती हूं जो विशेषकर वेस्ट बंगाल से आते हैं कि दृष्टि सबकी एक है कि भूखा कोई नहीं सोए। हम लोग भी जानते हैं कि ''भुभुक्षता किम् न करोति पापम्'' और भूखे सोये हुए को कांग्रेस कैसे बर्दाश्त कर सकती है, जिस कांग्रेस का सपना आजादी के पहले से ही उन गरीब व्यक्तियों की तरफ था जिनकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता था, उस दौरान चाहे किसी भी तरह की प्रोडक्शन हो, उसमें उनके प्रोक्योरमेंट को बढ़ाया गया है, फर्टिलाइजर सब्सिडी एक लाख करोड़ तक प्रोवाइड की गई है और जहां तक मेजर प्रोडक्शन का सवाल है, उसमें वृद्धि हुई। यह इस बात का संकेत है कि अन्नदाता स्कीम चलेगी और फूड सिक्योरिटी मिशन के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। जहां व्हीट केवल 68 मिलियन टन्स था, वह बढ़कर 78 टन्स हुआ। राइस 83 टन्स से बढ़कर 96 टन्स हुआ। कॉटन 164 टन्स से बढ़कर 258 टन्स हुई। सोयाबीन 68 लाख टन्स से बढ़कर 99 लाख टन्स हुआ और आगे भी प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, बफर स्टॉक हमारे सामने है।

मुझे पता नहीं, राहुल जी सदन में मौजूद हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने यहीं से कहा था:-

''गरीबी से आजादी, खैरात अथवा दया का मामला नहीं है बल्कि यह एक अधिकार है।''

[डॉ. गिरिजा व्यास]

[हिन्दी]

इस बात का कांग्रेस पुराने जमाने से लेकर अब तक कभी नहीं भूली। सबसे बड़ी बात जो वन टाइम सैटलमैन्ट का जिक्र इसमें है, इसलिए नेशनल फूड सिक्युरिटी की तरफ बढ़ता हुआ हमारा मिशन जो अब एक्ट के रूप में सामने आयेगा, फिर पी.डी.एस. के माध्यम से बिलो पावर्टी लाइन के लोगों तक पहुंचेगा और अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से ए.पी.एल. कैटेगरी तक पहुंचेगा।

अध्यक्ष महोदया, रूरल डैवलपमेंट आधार है और इसलिए रूरल डैवलपमेंट में मैं सिर्फ 'नरेगा' का जिक्र करना चाहूंगी। मैं इसका जिक्र करने से पहले एक बात निवेदन कर दूं कि गांवों में जिस तरह से प्रजातंत्र और यूपीए की सरकार के अर्थ पहुंचे हैं, मैं केवल तीन उदाहरण सदन के समक्ष देना चाहती हूं – प्रथम प्रधानमंत्री इन वेटिंग। मैं एक सभा में थी, बेगू के पास श्री जसवंत सिंह का पुराना इलाका है, वहां एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि मैं अब बीजेपी में नहीं रहूंगा। क्योंकि मैं जब भी स्टेशन पर गया हूं, वेटिंग लिस्ट में मेरा नम्बर नहीं आया और यह नम्बर कभी नहीं आयेगा। मैं उनके साथ चलाना चाहता हूं, जो बैठे हैं और सत्ता में रहेगे और उसने उसी वक्त कांग्रेस को ज्वाइन किया था।

माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपके लिए मांग की गई, मैं उस इलाके के थोड़ा नीचे गई, वहां पर यह था कि प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। वहां 'गांव की मांग थी कि मैडम एक काम कर देना, एटोमिक इनर्जी यहां तक पहुंचा देना, ताकि हम छोटे किसान आगे बढ़ सकें। आपकी इनर्जी का कन्सैप्ट वहां तक पहुंचा। 'नरेगा' का कन्सैप्ट पहुंचने तक, एक तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरह से चीनी की कीमत इस इलैक्शन के दौरान बढ़ाई गई, जिस तरह से वातावरण को दूषित करने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की गई, आज मैं यहां पर निश्चित तौर पर इस बात का दोषारोपण करना चाहती हूं कि इस नरेगा ने जहां तीन करोड़ हाउसहोल्ड बैनिफिट दिये हैं, सौ दिन का रोजगार दिया है और सौ दिन के रोजगार में इस स्कीम में 3.4 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड किया है, जिसमें 49 परसैन्ट महिलाएं हैं, 30 परसैन्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं और 25 परसैन्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जिसका टोटल एक्सपैंडीचर 41,700 करोड़ रुपये अभी तक पहुंच चुका हो, जहां 26 लाख वर्क्स चल रहे हों, जिसके कारण रिडक्शन इन माइग्रेशन हुआ हो, जो मिनिमम वेजिज अब सौ दिन तक पहुंचा हो, उसकी एक बानगी मैं यहां पेश करना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण मुझे माफ करें, लेकिन यदि अफवाहें फैलाने की कहीं ट्रेनिंग लेनी हो, वह ट्रेनिंग आप लोगों से लेनी चाहिए। अफवाह फैलाने की दृष्टि से दो-चार बीजेपी के लोगों को हर मीटिंग में इधर-उधर बैठा दिया जाता था। आप सब लोग जानते हैं कि और इस बात के साक्षी हैं कि उनमें से एक उठकर कह देता था कि चीनी के भाव का क्या होगा, चीनी के भाव का क्या होगा?

मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। एक महिला जो नरेगा के काम से लौटी थी, उसने अपनी टोकरी एक तरफ रखी, मुझे एक तरफ हटाया, माइक पर आई और उसने हमारी भाषा में कहा, मैं उसी भाषा का प्रयोग करके फिर से ट्रांसलेट करूंगी। उसने कहा – ऐ बाई सुन, तू कोई रोज चारों पहर, चौबीसों घंटा शक्करेच फांका लगा री है कईं, नरेगा में सौ रुपये मिल रहे हैं, थोड़ी और मेहनत से काम कर, सौ रुपये कमाई रही है, दो-चार रुपये बढ़ गया, चिंता मत कर, वह भी कम हो जायेगा। उसके कहने का अर्थ था, क्या 24 घंटे तक तुम चीनी के फंके लगाते हो, यह उसने पूछा और कहा कि मैं आधा किलो चीनी एक सप्ताह में खरीदती हूं। फिर उसने कहा कि वातावरण खराब करने की जरूरत क्या है। इस 'नरेगा' ने अब आपके सौ रुपये कर दिये हैं, उन सौ रुपये को कमाकर यदि दो रुपये बढ़ोतरी के दे देती है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। पास खड़े हुए एक टीचर के पिता ने सिक्स्थ पे कमीशन के बारे में कहा कि हां, अब मेरा बेटा दस हजार रुपये कमाता है। यदि छोटी-मोटी महंगाई जो विश्व भर में हो रही है, उसका फर्क पड़ता है तो उससे लड़ने की ताकत भी हमें यूपीए की सरकार ने दी है। इसके लिए मैडम, मैं आपसे लेकर प्रधानमंत्री जी तक सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

भारत निर्माण पर चुटकियां लेते हुए अखबार के कुछ वाकये मुझे आज भी याद हैं कि अब क्या भारत निर्माण होगा?

विपक्ष की तरफ से कुछ उंगलियां उठी थीं, कुछ बातें कही गई थीं, कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, मुझे याद है, लेकिन भारत निर्माण एक नीड़ के निर्माण की तरह है। नीड़ का निर्माण हरिवंशराय बच्चन जी की कविता का अंश है। जो लोग यू.पी. से आये हैं, वे सब समझते हैं। नीड़ के निर्माण की तरफ स्थिर करने की दृष्टि से कांग्रेस की सोच है। हम अंतर्दृष्टि और पूरी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हम कहां तक आगे बढ़े हैं, आगे बढ़कर पीछे मुड़कर देखते हैं कि हम कहां तक बढ़े हैं? भारत निर्माण के लिये एक निश्चित योजना बनाकर उसे विकसित करना है। इस योजना में इरिगेशन, रूरल रोड्स, वाटर सप्लाई, हाउसिंग, रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन और रूरल टेलीफोन है। इरिगेशन से लेकर टैलीकॉम तक देहात क्यों वंचित रहे, यह विभिन्नता क्यों? शहर का आदमी अब सुविधायें भोगे लेकिन गांव वाले वंचित रहें,

उनके पास इरिगेशन नहीं हे। इसलिये हम इस तरफ बढ़ें। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि यह दूसरे चरण में कारगर सिद्ध होगी। हमें निश्चित तौर पर इस पर विश्वास है।

आज युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। युवाओं के लिये रोज़गार की कोई कमी नहीं है, यह बात कह दी गई है। प्रधानमंत्री जी की एम्पलायमेंट जनरेशन प्रोग्राम नाम की योजना है जिसमें 37.30 लाख एडीशनल एम्पलायमेंट का जिक्र किया गया है। मैं इस ओर इशारा करना चाहूंगी कि प्राइवेट कम्पनियों में नौकरियों पर रोक लगाकर कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि महिलाओं और युवाओं को न निकालें।

अध्यक्ष महोदया, आप हमारे सामने बैठी हैं, आदरणीय सोनिया जी हैं, मेरे सामने सुषमा जी बैठी हैं और अन्य बहनें बैठी हैं। जब औरतों का जिक्र करने का सवाल आता है तो मैं सोचती हूं कि यह बात कहूं। पिछले पांच वर्षों में उजालों और उपलब्धियों के बीच में, राष्ट्रपति के बनने से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचने, हमारी पासिंग आउट परेड का नेतृत्व करने वाली, जिस तरह महिला आयोग बनाकर दिया है, डोमैस्टिक वायलेंस बिल बनाकर दिया है, उसके साथ इनहैरिटैंट प्रापर्टी राईट बिल तथा रेप के संबंध में कानून बनाया गया है, हमें कुछ कांस्टीट्यूशनल राइट्स मिले हैं, समय-समय पर पार्लियामेंट में स्पेशल लॉज़ लेकर आये हैं। जहां तक कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल्स 14, 15, 15(3), 16, 16(1), 39, 42 51ए, 51(2) की बात की जाये तो महिलाओं को ये प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा स्पेशल एक्ट्स-इम्मौरल ट्रैफिक एक्ट, डॉवरी प्रोहीबीशन एक्ट, इंडिसैंट प्रोहीविशन आफ वुमैन एक्ट, सती प्रीवेंशन एक्ट, प्रोहीविशन ऑफ वुमैन फ्राम डोमैस्टिक वायलेंस एक्ट बने हैं। इंडियन पीनल कोड है, आईसीपीआर है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं जिन्हें कानून के रूप में लाये हैं। मैंने एक शेर कहा है, – ''जाने क्यूं हम वहीं खड़े हैं, तेज़ कदम तो हम भी चलें'' और दोनों बाजू काटकर चलते जा रहे हैं। आज मैंटली रिटारटेड महिलाओं के लिये कोई कानून नहीं है। जो रेप विकटिम्स हैं, उनके रिहैब्लिटेशन के लिये स्कीम दी है लेकिन कानून नहीं बनाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगी कि आप इंटरवीन करें और इसे जल्द से जल्द पास करायें। आज सरेआम तीन साल से लेकर अस्सी साल की औरत रेप का शिकार होती है। आज कहीं सुबह और कहीं शाम को शादी के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिये कांग्रेस की यूपीए सरकार ने पिछली बार इस कानून की आधारशिला रखी। महिला आयोग से कहा गया कि कानून का प्रारूप बनाकर या संशोधित करके भेजे। पीएनडीटी एक्ट से लेकर सब ऐसे कानून के बारे में सरकार की सोच है और उस सोच को कानून में लाना है। इन सबके लिये पांच बातें जरूरी हैं। एक- कानून का कड़ा होना, दो- प्रशासन का संवेदनशील होना, तीन-जागरूकता के कार्यक्रम बनाना, चार- सिविल सोसायटी की भूमिका, पांच- मीडिया की भूमिका। इन पांचों बातों को संयुक्त रूप से लागू करना होगा।

अध्यक्ष महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के अंत में कहा है कि दस साल की योजनाओं में एक नया भारत देखें और स्वप्न देखें। हमें स्वप्न देखना है, उसे पूरा करना है। चाहे शहरी रिन्युअल हो, चाहे आर्थिक सुधार हों। मेरा निवेदन है कि सोशल ऑडिटिंग और जैंडर ऑडिटिंग बहुत जरूरी है। हमने श्री चिदम्बरम जी से मिलकर निवेदन किया था कि जैंडर डिबेटिंग हो लेकिन जब तक जैंडर ऑडिटिंग नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो पायेगा। इसी प्रकार सोशल ऑडिटिंग की आवश्यकता है। राष्ट्रपति जी ने मॉनिटरिंग का जिक्र किया है। मेरा निवेदन है कि यह राज्यों के लिये होनी चाहिये। जिस प्रकार राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के द्वारा भेजे गये पैसे का दुरुपयोग करती है, उसका उदाहरण न केवल राजस्थान बल्कि सारे राज्य हैं, इसके लिये वे और विशेषकर जो राज्य कांग्रेस शासित नहीं हैं।

उन राज्यों की विशेष मॉनीटरिंग करना आवश्यक है।...*(व्यवधान)* मैं इस सदन के प्रति अपनी बहुत-बहुत...*(व्यवधान)* क्योंकि कांग्रेस प्रशासन चलाना जानती है, क्योंकि कांग्रेस शासन करना जानती है, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वह करती है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि हम जनता तक कैसे पहुंचें। आप लोग केवल वोट लेकर आ जाते हैं। इसलिए कांग्रेस में जो फर्क है, उसका समझने की कोशिश कीजिए और साथ दीजिए यूपीए सरकार का। महामहिम ने कल कहा था कि साथ दीजिए ताकि हम ऐसे सुंदर भारत का निर्माण कर सकें जिसमें समरसता हो, समन्वय हो, सांप्रदायिक सद्भाव हो, प्रगति हो और विकास हो। एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी:–

''ये चिराग जैसे लमहे कहीं रायगा न जाएं, (कहीं खत्म न हो जाएँ)
कोई ख्वाब देख डालो कोई इंकलाब लाओ।''

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (थ्रिसूर) : अध्यक्ष महोदया, मैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 4 जून को संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों को दिए गए अभिभाषण के लिए इस सम्मानीय सभा की ओर से डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदया, राष्ट्रपति का भाषण भारत के आम आदमी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अटूट विश्वास और 'आम आदमी' के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उनकी सरकार के दृढ़ संकल्प को भी सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है।

[श्री पी.सी. चाको]

उनके भाषण में घोषित विविध कार्यक्रम, जो आगामी 100 दिन और 365 दिन में भी कार्यान्वित किए जाएंगे, वे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल देंगे। नि:संदेह, यह नवनिर्वाचित संसद और सरकार, जो इस संसद का प्रतिनिधित्व करती है, 100 करोड़ से अधिक अर्थात विश्व की जनसंख्या के छठे हिस्से की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध है।

हम दोबारा चुनाव इसलिए जीते हैं क्योंकि हमारी सरकार ने कार्य किया था और लक्ष्यों को प्राप्त किया था। मैं जानता हूं कि चुनाव परिणाम घोषित होने से पूर्व दुष्प्रचार किया जा रहा था कि भारत में एक और संकट आने वाला है और किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं होगा। अनेक नेता सपने देख रहे थे कि वे ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आज हम भारत के आम आदमी की समझ का अभिवादन करते हैं जिसने एक मजबूत और अगले पांच वर्ष तक कार्य करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया जिसकी किसी को आशा नहीं थी।

समाचार माध्यम इस खबर से पटे हुए थे कि कांग्रेस समाप्त होने जा रही है और संप्रग की करारी हार होगी इस प्रकार के दुष्प्रचार को आम आदमी ने नकार दिया। आज हममें आत्मविश्वास हैं; हम ऐसे कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं जिनसे इस देश के गरीबों के जीवन स्तर में सुधार होगा। हमें ऐसे भारत की आवश्यकता है जिसमें हमारे बच्चे हम से बेहतर जीवन जी सकें।

इन कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए, यह देखना समीचीन होगा कि पिछले पांच वर्ष के दौरान क्या हुआ था। 2004 में, 14वें आम चुनाव में त्रिशंकु संसद आई। किसी को भी बहुमत नहीं मिला था विश्व भारत के बारे में आशंकित था और कहा जा रहा था कि लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और इस देश में कोई भी मजबूत सरकार नहीं बना सकेगा। यह श्रीमती सोनिया गांधी और संप्रग नेताओं का नेतृत्व और दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि संप्रग की जीत हुई और उसने इस देश में सरकार का गठन किया। भविष्यवक्ता कह रहे कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी।

लेकिन आज इतिहास इस बात का साक्षी है कि गत पांच वर्ष के दौरान डा. मनमोहन सिंह की सरकार इस देश के इतिहास में सर्वाधिक प्रभावशाली और सबसे बेहतर काम करने वाली सरकारों में से एक थी। अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए जो हमारे देश को नई ऊंचाईयों पर ले गए।

आज विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश की क्या स्थिति है? सबसे बुरे दौर में भी हमारे देश ने सात प्रतिशत विकास दर प्राप्त की जो चीन के बाद सर्वाधिक है। गत पांच वर्ष के दौरान इस देश की औसत विकास दर 8.5 प्रतिशत रही है। इस तथ्य को कोई भी नकार नहीं सकता है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि ''इंडिया शाइनिंग'' के दौरान भारत की विकास दर केवल 5.8 प्रतिशत थी लेकिन गत 5 वर्ष के दौरान भारत में विकास दर 8.5 प्रतिशत रही और यही कारण है आज बहुमत के साथ मजबूत सरकार बिना किसी दबाब के सरकार कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकती है। ऐसी स्थिति है। जब सरकार ने कार्यक्रम सामने रखे तो काफी दबाव था और सरकार के सामने अनेक चुनौतियां थी। लेकिन आज, इस देश के लोगों को इस प्रकार की सभी अनिश्चितताओं का उत्तर मिल गया है। इस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया है।

पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों को देखने पर हमें यह पता लग जाता है कि लोगों ने इस चुनाव में संप्रग के पक्ष में मतदान क्यों किया। गत पांच वर्ष के दौरान संप्रग सरकार द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों की पिछले कुछ वर्षों में कोई तुलना नहीं है। संप्रग सरकार की उपलब्धियों पर अनेक लोगों ने अपना दावा जताया। पिछली बार हमारे पास न्यूनतम साझा कार्यक्रम था। हमारे कुछ मित्र दल बाहर से समर्थन दे रहे थे और कुछ सरकार में शामिल थे। लेकिन हमारा विश्वास है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम का आधार शुरूआत से ही कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में था। निस्संदेह, हमने सभी दलों से इस पर विचार-विमर्श किया था और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किया था। लेकिन सरकार की मुख्य उपलब्धियों से देश में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। पिछली सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। जो आम आदमी सरकार चुनता है देश में वही सर्वोच्च शक्ति है। लेकिन शासकीय गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत आम आदमी को सूचना प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। अब एक विधिक प्रावधान है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम कहा जाता है जो इस सम्मानीय सभा द्वारा पारित किया गया था। उस विधि के अनुसार, देश का प्रत्येक नागरिक देश में लिए गए निर्णयों की प्रक्रिया के बारे में समस्त सूचना प्राप्त करने का हकदार है।

इसी प्रकार संप्रग सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। आज, गांवों में हम इसका प्रभाव देखते हैं। 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार है और 100 दिन की निश्चित मजदूरी है। चाहे पुरुष हो अथवा महिला कोई भेदभाव नहीं है। इस प्रमुख योजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माननीया राष्ट्रपति ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है कि वह व्यापक कार्यक्रम बनेगा और पूरे देश में फैलेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी अधिनियम का विस्तार किया जाएगा। यह पूरे देश में क्रियान्वित किया जाएगा। इस सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि इस पर चाहे कितना भी खर्च हो, यह सरकार इसे पूर्णरुपेण लागू करेगी।

भारत निर्माण परियोजना के बारे में, डॉ. गिरिजा व्यास स्पष्ट कर चुकी हैं और मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाऊंगा। महात्मा गांधीजी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है। जहां तक अवसंरचना क्षेत्र का संबंध है, भारत निर्माण परियोजना में ग्रामीण भारत के विकास का पूरा ख्याल रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इस देश के गरीब लोगों के लिए है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। आज राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे 90 प्रतिशत कार्यक्रम या तो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत संप्रग सरकार द्वारा की गई थी। यहां तक कि देशभर में प्राथमिक विद्यालयों के लिए छपने वाली पुस्तकों का खर्च भी सर्व शिक्षा अभियान से किया जा रहा है।

संप्रग सरकार सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा हेतु निधियां प्रदान करती है और देशभर में सुविधाओं का सृजन हो रहा है। यदि आप पिछला बजट देखें तो आप पाएंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए निधियों के प्रावधान में पांच गुणा वृद्धि हुई है। जब आप हमारी विकास दर के मुख्य कारण का विश्लेषण करते हैं तो पाएंगे कि कृषि क्षेत्र में निवेश में चार गुणा वृद्धि हुई है। आज, कृषि और शिक्षा में निवेश का अर्थ है कि हम इस देश के विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं।

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन से भारत के शहरों की तस्वीर बदल रही है। शहरी विकास परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत एक विशेष योजना तैयार की जा रही है। महोदया, इस योजना के तहत, इस सरकार की यह संकल्पना है और राष्ट्रपति ने भी स्पष्ट कहा है कि हम झुग्गी-झोंपड़ी-मुक्त भारत चाहते हैं। इन्दिरा आवास योजना को देश में और भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, देश में झोंपड़-पट्टी के पुनर्निर्माण ओर झुग्गीवासियों को बेहतर आवास प्रदान करने के लिए राजीव आवास योजना क्रियान्वित की जाएगी।

हमारे सामने मौजूद समस्याओं के निदान के लिए सरकार त्वरित प्रभावी कदम उठा रही है। आज, आतंकवाद देश के लिए खतरा है। हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? हमने इस सरकार से यही प्रश्न पूछा। महोदया, हमें इस बारे में कोई संदेह नहीं है और हम इसे बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि आंतरिक सुरक्षा सर्वोपरि है और आतंकवाद को बिल्कुल भी सहन न करना इस देश के नीति है। मैंने, विशेष रूप से भाजपा की ओर से, यह आलोचना सुनी है कि इस सरकार में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दृढ़ इच्छा-शक्ति नहीं है। हमारे पूर्व विदेश मंत्री, श्री जसवंत सिंह, जो यहां मौजूद हैं, के प्रति मेरे मन में पूरा सम्मान है। लेकिन मुझे वह दिन याद हैं जब भारत के विदेश मंत्री को एक आतंकवादी के साथ कंधार जाना पड़ा और एक विदेशी शक्ति की धमकी के कारण झुकना पड़ा था। लेकिन आज, हम पाते हैं कि काफी लोग हमारे देश को निशाना बना रहे हैं और हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता इस आतंकवाद रूपी बुराई के कारण शहीद हुए हैं। पिछले नवंबर में मुंबई में क्या हुआ? आतंकवाद को समाप्त करने के बारे में सरकार का क्या संकल्प है? इस सरकार ने निर्णय लिया है कि हम पूरी शक्ति के साथ आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। इसे हमने मात्र शब्दों में नहीं बल्कि पिछले नवंबर में मुंबई में हुए हमले में अपनी कार्यवाही से स्पष्ट रूप से दर्शा दिया है।

पिछली लोक सभा ने सांप्रदायिक सद्भावना विधेयक पारित किया था। हम इसे पूर्णरुपेण कार्यान्वित करेंगे। सांप्रदायिक सद्भावना हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और उनके आधुनिकीकरण के बारे में हमारे विचार स्पष्ट हैं।

पिछले कई वर्षों से समान-रैंक-समान-पेंशन योजना को कार्यान्वित करने की मांग हो रही थी और माननीया राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रिमंडल सचिव स्तर पर सरकार इस मामले पर सर्वोच्च ध्यान दे रही है। और यह हमारा संकल्प है कि हम इस मांग को पूरा करने के प्रति न्याय करेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आज हमारी विशिष्ट पहचान है। आम आदमी के जीवन में सुधार के लिए हम सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी क्षमता, अपने ज्ञान और पहुंच का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं? अब, इस देश के प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा। यह एक अत्यंत व्यापक योजना है और सरकार इसे समयबद्ध रूप से पूरा करेगी।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटना है। आज श्री बसुदेव आचार्य इस सभा में एक मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता हूं कि उन्होंने माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण के शुरूआती पैराओं पर ध्यान नहीं दिया है। अपने अभिभाषण के शुरूआत में ही माननीया राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल के चक्रवात पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट की थी। महोदया, यह केवल सहानुभूति नहीं है बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पश्चिम बंगाल में चक्रवात प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा सभी संभव सहायता दी जाएगी।

महोदया, मैं इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कल भी प्रेस रिपोर्ट थी कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री चाको, मैं आपसे कुछ देर रुकने का अनुरोध करती हूं। आप भाषण बाद में पुनः शुरू कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद् के सदस्यों का परिचय देंगे।

...(व्यवधान)

मध्याह्न 12.00 बजे

मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : महोदया, आपकी अनुमति से मैं आपको और आप के माध्यम से इस सम्माननीय सभा को मंत्रिपरिषद् के सदस्यों का परिचय देता हूं:–

कैबिनेट मंत्री

श्री दयानिधि मारन	वस्त्र मंत्री
श्री ए. राजा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री एम.के. अलागिरी	रसायन और उर्वरक मंत्री

राज्य मंत्री

श्री एस.एस. पलानीमनिकम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री डी. नैपोलियन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. एस. जगतरक्षकन	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. गांधी सेलवन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

अपराह्न 12.02 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.सी. चाको, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री पी.सी. चाको (थ्रिसूर) : महोदया, कल के समाचार पत्रों में भी खबर थी कि पश्चिम बंगाल के राहत शिविरों में, जहां चक्रवात प्रभावित लोगों को रखा गया है, वहां पेयजल, भोजन और दवाईयां तक उपलब्ध नहीं है। मैं नहीं जानता, वहां क्या हो रहा है। लेकिन केन्द्र सरकार की घोषणा और राष्ट्रपति जी के भाषण में लोगों को भरपूर राहत देने की बात कही गई है। हमारी सहानुभूति पश्चिम बंगाल के शोक-संतप्त परिवारों के साथ है।*...(व्यवधान)*

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर) : हम इसकी प्रशंसा करते हैं। हमारी मांग है कि सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाको : यह सत्य है। लेकिन शिविरों में आप कम से कम, पेयजल प्रदान करने का प्रयास तो कीजिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री चाको जो कुछ कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

श्री पी.सी. चाको : श्री बसुदेव आचार्य, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने साथियों को परामर्श दे सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री चाको, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री पी.सी. चाको : मैं चाहता हूं कि आचार्य जी, जो सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेता हैं, वहां अपने साथियों को परामर्श दें कि वे कम से कम पेयजल तो उपलब्ध कराएं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री चाको की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

श्री पी.सी. चाको : यदि मेरे द्वारा कही गई बात से श्री आचार्य जी भड़क गए हैं तो मुझे खेद है। परंतु ये तथ्य हैं और तथ्यों को दबाया नहीं जा सकता।

महोदया, सौ दिनों के कार्यक्रम का हमारी राष्ट्रपति जी के भाषण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और डॉ. गिरिजा व्यास ने

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसका सही वर्णन किया है। मैं यहां पर केवल एक मुद्दे को दोहराना चाहूंगा। अगले 100 दिनों में संसद में महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित कराए जाने के महत्व के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। महोदया, हमने इस सभा में देखा है कि कितनी बार इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाते समय इसे माननीय मंत्री जी से छीना गया और सभा में फेंका गया। ऐसा हमने अनेकों बार देखा है। पूरा देश अत्यधिक तनाव और चिंता के साथ देख रहा था कि इस सभा में क्या हो रहा है। आज, हमें प्रसन्नता है कि इस देश की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और यह सभा बिना किसी बाधा और धमकी के इस विधेयक को पारित करने की स्थिति में है।

महोदया, देश की 51 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। यदि कोई यह सोचता है कि इन्हें दबाया जा सकता है और हमेशा इसी स्तर पर रखा जा सकता है तो यह देश इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। संप्रग और कांग्रेस की घोषित नीति है। महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाएंगे। हम अत्यंत प्रसन्न हैं और माननीया राष्ट्रपति जी के प्रति उस बात के लिए आभारी हैं जिसका उन्होंने अभिभाषण में उल्लेख किया है।

हम भूल नहीं सकते जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने रातभर इस सभा में बैठकर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 73वें और 74वें (संशोधन) विधेयकों को पारित किया।

मैं किसी के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता परंतु तथाकथित प्रगतिवादी दलों में भी उस समय श्री राजीव गांधी के विधेयक का समर्थन नहीं किया परंतु श्री राजीव गांधी के दृढ़ संकल्प की जीत हुई और वह विधेयक पारित हुआ। आज देश में पंचायती राज प्रणाली में 40 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं। इस सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायती राज प्रणाली में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया जाएगा सभी राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मैं चाहता हूं कि सभी दल पंचायती राज प्रणाली में 50 प्रतिशत आरक्षण वाले इस कार्य का समर्थन करें। हमने यह स्पष्ट घोषणा की है कि इस देश में सोलहवें आम चुनाव इस नए विधान को पारित कराने के पश्चात होंगे और महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलेगा।

महोदया भाग्यवश, इस सभा में महिलाओं का अधिकतम प्रतिनिधित्व है और 543 सदस्यों वाली सभा में 59 सदस्य महिलाएं हैं। परंतु अगले लोकसभा चुनाव के लिए, यदि यह लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करे तो हमें प्रसन्नता होगी कि हम महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दे सकेंगे। जिन सबको आपत्ति थी मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनें इसकी हकदार हैं और हमें इस विधेयक को पारित करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। इसी तरह, महिला उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम हैं। जैसे केंद्रीय सरकार की सेवाओं में उनकी भागीदारी और महिला केंद्रित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जिसका हमें कार्यान्वयन करना है। यह गरीब-हितैषी कार्यक्रम है। यह सरकार गरीब-हितैषी उपायों पर जोर देती है।

वर्ष 1991 से हमारी बहुत अधिक आलोचना की गई है। मुझे याद है कि वर्ष 1991 में जब मैं सदस्य के रूप में पहली बार इस सभा में आया तो उस समय श्री नरसिंह राव उस स्थान पर बैठे थे जहां अब डॉ. मनमोहन सिंह बैठे हैं। उस समय, डॉ. मनमोहन सिंह एक विधेयक पुर:स्थापित कर रहें थे। 1991 में भारत कर्ज के जाल में फंसा हुआ था। चाहे विश्व बैंक हो या एशियाई विकास बैंक हो– कोई भी हमें थोड़ा सा भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं था। मैं इस बात को दोहराता हूं कि कोई भी हमें थोड़ा सा भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं था। कोई देश हमारी सहायता के लिए नहीं आ रहा था। यह देश जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी उसको हमने धीरे-धीरे सुदृढ़ किया आज, हम जिस स्थिति में हैं जरा, उसके बारे में सोचिए। हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्व बैंक से ऋण अथवा किसी अन्य, की सहायता नहीं चाहिए। हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जबसे वर्ष 1991 में इन सुधारों को लागू किया गया है तब से आज तक इनका निरंतर विरोध किया जा रहा है। यदि कोई इसका, विचारधारा के आधार पर, विरोध कर रहा है तो हम इस बात को समझ सकते हैं। कोई इसकी आवश्यकता, इस देश की आवश्यकता के बारे में क्यों नहीं समझता है? जिन्हें नीतियों पर आपत्ति है उन्हें इसके बारें में विचार करना चाहिए।

महोदया, मैं इस सभा को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। पिछली लोकसभा में वाम मोर्चा के 60 से अधिक सदस्य थे। आज वे वापस आए हैं। वे अपनी बात पर अब भी अड़े हुए हैं उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया है। उन्हें विश्व में हर किसी को आलोचना करने का अधिकार है। परंतु इस चुनाव के बाद उनके दल के 24 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमें यह महसूस नहीं करना चाहिए कि इस देश के लोग क्या चाहते हैं?

महोदया, हमारी विदेश नीति की हर तरह से आलोचना की गई विशेषकर वहां जहां से मैं आता हूं। उन्होंने आलोचना की कि हमने विदेश नीति के मामले में आत्मसमर्पण कर दिया है...*(व्यवधान)* भारत अब विदेश नीति का पालन कर रहा है जिसे किसी और के द्वारा तय नहीं किया गया है। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू की देन है, यह उनकी विरासत है। हमने इसके साथ समझौता नहीं किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इस विश्व में प्रत्येक देश के साथ लड़ना

[श्री पी.सी. चाको]

चाहिए। आज विश्व में सारी महाशक्तियां हमारे मित्र हैं। केवल महाशक्तियां ही नहीं बल्कि विश्व के सारे देश हमारे मित्र हैं। हमारा कोई शत्रु नहीं है। गांधीजी ने हमें यही शिक्षा दी है। विश्व में कोई देश हमारा शत्रु नहीं है। हमारे केवल मित्र हैं। कोई है जो नहीं चाहता कि भारत प्रगति करे। हमने अमरीका के साथ परमाणु करार किया। इस पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई? जिन्होंने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया, जो साढ़े चार वर्षों तक हमारे साथ रहे उन्होंने इसी अवसर को चुना। उन्होंने निर्णय लिया है कि हम अमरीका के साथ जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने हमें दिया हुआ समर्थन वापस ले लिया। परंतु सरकार नहीं गिरी। जनता ने इस सरकार को शानदार विजय दिलाकर पुनः चुना। इसका क्या अर्थ है? क्या वे अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हैं? आज, हमने परमाणु करार न सिर्फ अमरीका के साथ बल्कि रूस, जर्मनी और फ्रांस के साथ भी परमाणु करार किया है। आज विश्व में हमारे और भी अधिक मित्र हैं। मित्रो, क्या आप यह चाहते हैं कि भारत राष्ट्रों के इस समूह में अलग-थलग पड़ जाए? विश्व में यदि कोई यह चाहता है कि भारत अलग-थलग पड़ जाए, भारत का कोई-मित्र न रहे, यदि किसी का यह सपना है तो उसे महसूस कर लेना चाहिए कि इस देश की जनता ने इस सोच का समुचित उत्तर दे दिया है। मैं चाहता हूं कि वे कम से कम, इस पर पुर्नविचार करें। भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा हमारी विदेश नीति के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। मेरे प्रिय मित्रो, कृपया इस बात को समझिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : व्यवधान को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया सभा की कार्यवाही में विध्न उत्पन्न मत कीजिए।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : श्री चाको, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री पी.सी. चाको : मैं उनकी चिंता को समझ सकता हूं। जो इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ भी न्याय नहीं कर सके, यदि वे सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं – गलतियां किसी भी दल से हो सकती हैं, गलतियां किसी भी व्यक्ति से हो सकती हैं – तो मेरी इच्छा केवल यह है कि वे अपने को सुधारें। इस देश की जनता उन्हें अवसर दे रही है। यदि वे अपनी आंखें नहीं खोलते हैं और वास्तविकता को नहीं देखते हैं तो यह उनकी गलती है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, अब भारत प्रगति कर रहा है। ईश्वर की कृपा से 10 वर्षों के पश्चात इस देश का भविष्य बिल्कुल अलग और बेहतर होगा। इस सभा के लगभग 70 प्रतिशत सदस्य युवा हैं। अतः 10 वर्षों के बाद इस सभा के अधिकांश सदस्य देखेंगे कि इस देश में कितनी प्रगति हुई है। भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा, भारत में बेरोजगारी की स्थिति नहीं होगी और वे सभी समस्याएं नहीं होंगी जिनका हम आज के समय में सामना कर रहे हैं। हम इतनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। यदि कोई इसमें बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है तो जनता उसे माफ नहीं करेगी। देश की जनता इस सरकार के साथ है। यह सरकार राष्ट्रपति द्वारा घोषित सभी कार्यक्रमों को दृढ़ संकल्प के साथ कार्यान्वित करेगी।

गत पांच वर्षों में विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। बजट में इन कार्यक्रमों के लिए और प्रावधान किए जा रहे हैं। जिसे अगले कुछ सप्ताह में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अतः सभी प्रमुख कार्यक्रम जारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति द्वारा घोषित नए कार्यक्रम इस प्रगति का हिस्सा होंगे।

महोदया, हमने लोक सभा का चुनाव करके अपने लोकतंत्र का सबसे बड़े कार्य को हाल ही में पूरा किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह लोकतंत्र का उत्सव है। इस देश की लगभग 70 करोड़ जनता ने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया है। यह एक खरब की जनसंख्या वाला विश्व का सबसे बड़ा कार्यात्मक लोकतंत्र है। क्या यह प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा? क्या हम उसे असफल होने दे सकते हैं? इतिहास प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वालों को माफ नहीं करेगा। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा अतः, यह सरकार अपने पूरे संकल्प और अपने चालू कार्यक्रमों तथा राष्ट्रपति द्वारा घोषित नए कार्यक्रमों के साथ सुनिश्चित करेगी कि भारत आज जिस स्थिति में है उससे अधिक ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़े।

मैं यह कहना चाहूंगा धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराना हमारा परम कर्त्तव्य है। मुझे मालूम नहीं है। कि यहां पर विभिन्न दलों द्वारा क्या रवैया अपनाया जाएगा। हमारे राजनीतिक मतभेद हैं। भाजपा सदैव संकीर्ण सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के बारे में सोचती है, परंतु हम उदार राष्ट्रवादी हैं। अतः हमारे बीच मतभेद हैं। कम्युनिस्ट सोचते हैं कि वे हमेशा सही होते हैं परन्तु जनता ने उन्हें बता दिया कि वे हमेशा गलत होते हैं।

हमें आज की स्थिति में विकास कार्यक्रम जैसे मूलभूत मुद्दों पर एकजुट होना है जिन्हें हम इस देश की जनता के कल्याण हेतु कार्यान्वित करने जा रहे हैं। यदि कोई हमें यह विश्वास दिला दे कि राष्ट्रपति

द्वारा घोषित कोई कार्यक्रम गलत है तो हम हाथ जोड़कर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा, उन्हें भी अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए।

यह एक नए युग की शुरूआत है। गत पांच वर्षों के बाद यह अगले पांच वर्षों की निरंतरता है। इस देश के आम आदमी ने यही निर्णय लिया है। सभी चुनाव विश्लेषक, ज्योतिषीचार्य और राजनीतिक पंडित कांग्रेस और संप्रग के हारने की भविष्यवाणी कर रहे थे लेकिन इस देश की जनता कांग्रेस और संप्रग को वापस सत्ता में लाई। यह आम आदमी की सूझ-बूझ है। यह राजनीतिक पंडितों द्वारा किए गए आकलन और भविष्यवाणी से अधिक ऊपर है।

अत:, माननीया राष्ट्रपति द्वारा घोषित कार्यक्रमों से भारत अधिक ऊंचाइयों को छुएगा। ये कार्यक्रम हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के लिए हैं अत: हम छोटी-छोटी बातों पर न झगड़ें और इन कार्यक्रमों को रोकने का प्रयास न करें। यह इस लोक सभा की शुरूआत है और मैं चाहता हूं कि सभी दल अपनी पूर्ण भागीदारी के साथ धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराने के लिए एकजुट हो जाएं ताकि हम संप्रग और कांग्रेस की जबर्दस्त जीत दिलाने वाले इस देश के आम आदमी की आशाओं पर हम रखे उतर सकें। लोगों ने इस देश की एक खरब जनता की प्रगति अश्वस्त करते हुए अगले पांच वर्षों के लिए स्थायी सरकार हेतु जनादेश दिया है।

अध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:–

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:–

> ''कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 04 जून, 2009 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की हैं उनके अत्यंत आभारी हैं।''

धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं यदि वे अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें तो जिन संशोधनों को वे प्रस्तुत करना चाहते हैं उनकी संख्या की दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर पर्चियां दे दें। केवल इन प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा।

प्रस्तुत माने गए संशोधनों की संख्या को दर्शाने वाली सूची को इसके थोड़ी देर बाद सूचना पट्ट पर लगाया जाएगा। यदि कोई सदस्य सूची में कोई विसंगति पाता है तो वह कृपया इसे तत्काल टेबल अधिकारी के ध्यान में लाए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : महोदया, बहुत से सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में संशोधन दिए गए हैं और यदि आप माननीय सदस्यों को आग्रह करने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए केवल 15 मिनट देंगे तो यह काफी नहीं होगा।

[हिन्दी]

आप इस बारे में कुछ कहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह नियम के अनुसार है और वह 15 मिनट है।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अभी जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री चाको ने अपने भाषण के अंतिम वाक्य में कहा कि ''मैं आशा करता हूं कि यह धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होगा।'' यह इस सदन की परम्परा है कि अभिभाषण पर अगर कुछ कहना भी है, तो भी धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए संशोधन दिया जाता है कि मुझे खेद है कि उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव का पूरा सदन हमेशा समर्थन करता है और वह सर्वसम्मति से ही पारित होता है।

अध्यक्ष महोदया, आज इस लोक सभा की यह पहली बहस है, जिसकी आप अध्यक्षता कर रही हैं। एक प्रकार से संसदीय इतिहास में भी एक अनूठी घटना घटी कि पहली बार एक महिला सदन की अध्यक्ष बनीं और एक ही प्रकार से महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक सशक्तिकरण, दोनों एक साथ ही हो गये। मैंने जैसे परसों कहा कि मैं भूल नहीं पाता हूं कि मुझे आपके स्वर्गीय पिताजी के साथ मंत्रिमंडल में भी काम करने का अवसर मिला। उनकी अद्‌भूत प्रशासनिक क्षमता से हम सभी प्रभावित थे। वे निर्णय करने में देर नहीं लगाते थे। देश, समाज और राष्ट्र के हित में जो भी उचित लगता था, वे उस बारे में शीघ्र निर्णय करते थे।

पन्द्रहवीं लोक सभा का यह पहला अधिवेशन है। इस अवसर पर मैं अपना पहला भाषण करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस चुनाव में वे देश के प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं। सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी, यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी समेत सभी को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्हें वर्ष 2009 के चुनाव में जनादेश मिला है। वर्ष 2004 से भी बड़ा जनादेश मिला है। भले ही वैसा न मिला हो, जिस कारण कई लोगों ने बड़ी आशाएं

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

प्रकट कीं कि यह होगा, वह होगा। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि शायद सबसे बड़ा जनादेश यदि किसी को मिला, तो वर्ष 1984 में श्री राजीव गांधी जी को मिला। उन्हें सबसे बड़ा जनादेश मिला।

मुझे स्मरण नहीं है कि कभी चार सौ से अधिक सांसद पंडित नेहरू या इंदिराजी के साथ भी रहे हों, जितने राजीवजी के साथ थे, लेकिन बावजूद इसके अगले ही चुनाव में परिणाम बिल्कुल दूसरे हो गए। वह चुनाव एक प्रकार से हर सरकार को चेतावनी देता है कि जनता पूरे समय आपके कार्यों पर नजर रखती है और इतनी बड़ी संख्या में जीतने के बाद भी अगला परिणाम दूसरा भी हो सकता है। हिन्दुस्तान में ऐसा लगातार होता रहा है, मैं केवल वर्ष 1984 और वर्ष 1989 की बात नहीं कर रहा हूं।

मैं यह हमेशा मानता हूं कि हिन्दुस्तान ने सारी दुनिया में संसदीय लोकतंत्र को सफल बनाने का एक अद्भूत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब हमने वर्ष 1950 में इसे अपनाया था तो उन दिनों के विश्लेषणकर्ता तथा विद्वानों खासकर पश्चिम के इस प्रकार के आशंका प्रकट करते थे कि इन्होंने संसदीय लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए जो मूलभूत परिस्थितियां किसी देश में होनी चाहिए, वह तो यहां नहीं हैं। यहां पर लोग शिक्षित नहीं है, पढ़े-लिखे नहीं हैं। लोग मजाक करते थे कि यहां पर लाखों लोग अंगूठा छाप हैं जिनको कुछ नहीं आता है। लोग यह भी कहते थे कि प्रैक्टिकली पूरे हिन्दुस्तान में, बाकी सब पार्टियां छोटी-छोटी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्षों तक यहां इस संसद में, लोकसभा में कोई रिकग्नाईज्ड अपोजिशन पार्टी नहीं बन पाई क्योंकि रिकग्नाईज्ड अपोजिशन पार्टी के लिए 54 सदस्य होने चाहिए, कम से कम कोरम चाहिए जो नहीं बन पाया। यह सब कुछ होते हुए भी जिस प्रकार से 60 साल तक भारत ने संसदीय लोकतंत्र को संचालित किया है, उससे सारी दुनिया में हमारी साख बनी है और मैं मानता हूं कि वर्ष 2009 के चुनाव उस साख में और वृद्धि करते हैं।

हमारा लोकतंत्र केवल इसीलिए उल्लेखनीय नहीं है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स यहां पर हैं, अपितु इसलिए भी उल्लेखनीय है कि यह एक सजीव लोकतंत्र भी है, जहां पर जनता सोच-विचार कर अपना निर्णय करती है। मैं इस अवसर का उपयोग इन चुनाव परिणामों के विश्लेषण के लिए नहीं करूंगा। यह अवसर नहीं है। इस संबंध में मैंने केवल एक वाक्य कहा था कि जनता का यह जो निर्णय है, यह जो जनादेश है, यह जनादेश स्थायित्व और दो-ध्रुवीय पक्षो के लिए है मैं इसका विश्लेषण कर सकता हूं लेकिन मैं केवल स्टेबिलिटी की बात कहना चाहूंगा। जैसी स्टेबिलिटी राजीवजी की सरकार को मिली थी, यह वैसी स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी मिली है। दिशा स्टेबिलिटी की है। यह दिशा आगे बढ़े, यह मैं चाहूंगा।

मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में जो गठबंधन बनते हैं, उनके प्रति लोगों के मन में आशंका होती है कि क्या यह गठबंधन स्थिर रहेगा, यह टिक पाएगा? इसीलिए यहां पर गठबंधन टिकाऊ दिखते हैं, वहां पर आम मतदाता उसे वोट देता है; और अगर टिकाऊ नहीं दिखते हैं तो फिर उसकी प्रवृत्ति किसी एक मजबूत पार्टी को वोट देने की होती है। मुझसे कभी-कभी लोग पूछते हैं कि आपकी पार्टी के पूरे इतिहास में आप पार्टी की कौन सी सबसे प्रमुख उपलब्धि मानेंगे; तो मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं यह मानता हूं कि वर्ष 1950 में भारत का संविधान बना, वर्ष 1951 में मेरी पार्टी बनी, वर्ष 1952 में पहला चुनाव हुआ और उस चुनाव में हमारी पार्टी को केवल तीन सीटें मिलीं।

भारतीय जनसंघ को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में केवल तीन सीटें मिली। फिर भी उन्होंने कॉशसली पहली-पहली लोक सभा में एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया, जिसमें अनेक पार्टियां थीं। वह गठबंधन का पहला-पहला प्रयास था। उसमें उन्होंने शब्द प्रयोग किया था – नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। बाद में जब कई दलों के सहयोग से वाजपेयीजी की कॉलीएशन गवर्नमेंट बनी, तब हमने ''फ्रंट'' के बजाए ''एलायंस'' शब्द का प्रयोग किया और हमने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस। आम जनता देखती है कि क्या ये टिके रहते हैं या नहीं, ये स्थिर रहते हैं या नहीं। मैं मार्क्सवादियों की चाहे जितनी आलोचना करता रहूं, लेकिन मैं कहता हूं कि उनका लेफ्ट फ्रंट एक पूरा टिकाऊ गठबंधन है। वह ठीक प्रकार से स्थिरता से चलता है, मैं इसे मानता हूं। लेकिन मैं उनसे शिकायत करता हूं कि उन्होंने जिस समय सन् 2004 में कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, तब इस कारण नहीं किया कि वे कोई हमेशा उनसे टिके रहना चाहते थे। वे उनकी नीतियों को, उनके निर्णयों को प्रभावित करना चाहते थे और साथ-साथ उनका अगर कोई उद्देश्य था तो वह एक नकारात्मक उद्देश्य था कि प्रमुख विरोधी बीजेपी को बाहर रखने के लिए हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने पहले कभी ऐसे समर्थन नहीं दिया, सिर्फ 2004 में दिया। इसीलिए मैंने तब भी आपको और आपके मित्रों को कहा था कि एक बार आपकी सहयोगी पार्टी सीपीआई ने पहले यही प्रयोग किया था, उसका परिणाम उसे कितना भुगतना पड़ा, वह आपको यानी सीपीआई (एम) को अब भुगतना पड़ा है। लेकिन यह तो एक नकारात्मक कारण था, अन्यथा आप उसी समय कह देते कि आपने अगर अमेरिका से मित्रता की, तो हम

उसके बिल्कुल खिलाफ होंगे। आप डॉ. मनमोहन सिंहजी को उसी समय यह कह देते।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने तो उसी समय कह दिया था। हमने कॉमन मिनीमन प्रोग्राम का समर्थन किया था, और यह बात उसमें नहीं थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपने जो कुछ कहा, वह सबको पता है। देश ने उसके आधार पर निर्णय लिया है। लेकिन हां, स्थिरता का महत्व है। इसीलिए मैं ट्रेज़री बैंचेज़ पर बैठे हुए मंत्रियों को कहूंगा,

[अनुवाद]

स्थायित्व सिर्फ नाम के लिए नहीं है। स्थायित्व अच्छे कार्य सुशासन के लिए है। विकास के लिए है। और स्थायित्व सुरक्षा के लिए भी है। *[हिन्दी]* मैंने तीन शब्द वही प्रयोग किए हैं, जो हम अपने पूरे अभियान में करते थे। *[अनुवाद]* यह सुशासन, विकास और सुरक्षा है। ये तीन चीजें हैं।

[हिन्दी]

इसकी कोई हमारी मोनोपायी नहीं है, हमारा कोई यह कॉपीराइट नहीं है।

[अनुवाद]

लेकिन ये कसौटी हैं जिनके आधार पर मतदाता निर्णय करता है कि हमने स्थायी सरकार बनाई है अथवा नहीं। क्या वे अपना कर्तव्य तद्नुसार निभा रहे है? इसलिए, वे इस पर पैनी नजर रखेंगे।

[हिन्दी]

मैं आज के अवसर पर शुरू में इतना ही कहूंगा कि हम विपक्ष में हैं। हमारी संख्या में पहले से कमी हुई है। पिछली बार हमारी स्ट्रैंथ 138 थी, इस बार 116 है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 116 भी कोई कम स्ट्रैंथ नहीं है, अच्छी-खासी है। यह ठीक है कि आप 200 के ऊपर हो गए, लेकिन क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। पहले ही कांग्रेस की सरकारों को जितनी क्लियर मेजोरिटी मिलती थी, राजीवजी को जितनी मिली थी, वह स्थिति नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा,

[अनुवाद]

इस चुनाव तथा 15वीं लोक सभा में सरकार-विपक्ष के संबंधों की एक नई शुरूआत होनी चाहिए...

[हिन्दी]

सरकार और विपक्ष के बीच सम्बन्धों की एक नई शुरूआत हो, वह नई शुरूआत होगी तो उसका परिणाम संसद की कार्यवाही पर भी निश्चित रूप से होगा। जितने संकेत मुझे अभी मिले हैं, मैं मानता हूं कि शायद नई शुरूआत होगी, जरूर होगी।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : क्या आपका मतलब केवल भाजपा से है?*...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरा मतलब 'विपक्ष' से है। मैं सत्तापक्ष और विपक्ष के संबंधों की बात कर रहा हूं।*...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : यह द्वि-ध्रुवीय नहीं बल्कि बहु-ध्रुवीय होना चाहिए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरुदासजी, कृपया बैठ जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह एक बहुदलीय लोकतंत्र है। लेकिन ध्रुव दो हैं। मेरा कहना है*...(व्यवधान)* जैसे पश्चिम बंगाल में दो ध्रुव है – मार्क्सवादी और कांग्रेस हम लोग वहां नहीं हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दो ध्रुव, जिसे सभी स्वीकार करते हैं, कांग्रेस और भाजपा हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : यह आपका कहना है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री दासगुप्त, कृपया आप बोल सकते हैं लेकिन जब आपकी बारी आएगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मान लो, आप तो किसी समय मानते ही नहीं थे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : श्री आडवाणी, चुनाव परिणाम द्वि-ध्रुवीय प्रणाली के विरुद्ध है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री बसुदेव आचार्य, आप बोल सकते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आएगी।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आज भारतीय लोकतंत्र के विकास पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैंने विकास क्रम को देखा है।

[हिन्दी]

मुझे पता नहीं, हमारे प्रणबजी हो सकते हैं। मैं एक ऐसा सदस्य हूं जिसने 1952 के चुनाव में एक कैम्पेनर के नाते भाग लिया। सन् 1952 से लेकर सन् 2009 तक के चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसलिए जो हमारे लोकतंत्र का इवोल्यूशन हुआ है, इस सिस्टम का, उसे मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि डा. मुखर्जी ने जब नेशनल डेमोक्रैटिक फ्रंट बनाया, तो पहले हमें समझ में नहीं आया कि तीन लोगों की पार्टी हमारी तो फ्रंट काहे के लिए बनाते हैं, जिसमें गणतंत्र फ्रंट उड़ीसा का जोड़ा, जिसमें अकाली दल पंजाब का जोड़ा और आगे बढ़कर अकाली दल के साथ सबसे पहले समझौता करके एक कोलिएशन गवर्नमेंट जस्टिस गुरनाम सिंह की बनाई थी। मुझे इन सारी प्रक्रियाओं की जानकारी है।

डा. लोहिया, जयप्रकाश नारायण, डा. मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब के सब उन महापुरुषों में थे जिन्होंने इस बात को नोट किया कि दुनिया के सारे लोग कहते हैं कि इस देश में एक ही पार्टी छाई रही तो फिर लोकतंत्र विकसित नहीं होगा। इसलिए सिस्टमैटिकली हमने अप्रोच अपनाई कि किस प्रकार से यह जो कांग्रेस पार्टी की हैजीमनी है, मौनोपली ऑफ रूल है, उसे कैसे तोड़ा जाए। अंततः उसे तोड़ने में सफल हुए, इसीलिए बाईपोलर पॉलिटी बनी। सन् 1984 वाला समय आया, जब हम केवल दो सीटें ही पूरे हिन्दुस्तान में प्राप्त कर सके। लेकिन सन् 1998 आते-आते हम सदन की सबसे बड़ी पार्टी बन गये और अपनी सरकार बनाकर हमने 6 साल तक देश पर राज किया – यह भी सच्ची बात है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि

[अनुसार]

सरकार को अपना काम करने दीजिए। विपक्ष-मेरा दल और राजग एकसाथ मिलकर अपना कर्त्तव्य निभाएंगे। मैं आपको कहता हूं कि साथ-साथ रहकर हम निश्चित रूप से इसे कर सकते हैं।

[हिन्दी]

मैं आपको कहता हूं कि *[अनुवाद]* मिलकर हम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। *[हिन्दी]* जो भी हमारी एम्बीशन्स हैं, आपकी हमारी और देश की जनता की भी हैं कि यह शताब्दी जो अभी बहुत लम्बी है, अभी तो वर्ष 2009 ही है, *[अनुवाद]* यह शताब्दी भारत की शताब्दी बन जाए। यह सभी का लक्ष्य होना चाहिए और हम इसे प्राप्त करेंगे। यह बिना किसी कठिनाई के संभव है।

राष्ट्रपति अभिभाषण के पूरे मामले पर अपने विचार विस्तार से व्यक्त करने के बाद मैं कुछ विशेष मुद्दों, विशेषकर सुरक्षा के बारे में, क्योंकि सुरक्षा हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है, पर चर्चा करें।

[हिन्दी]

अभी-अभी एक घटना घटी, जिस घटना के बारे में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली माननीया गिरिजा व्यासजी ने कहा कि ''मैंने आडवाणी जी का भाषण पढ़ा और उस भाषण से मैं सहमत हूं''। मुझे लगा कि मुम्बई कि 26.11.2008 की घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, कोई साधारण आतंकवादी हमला नहीं था।

महोदया, पिछले कई सालों से आतंकवादी हमले लगातार होते रहे हैं। मुम्बई की 26/11 घटना-आतंकी हमले को देश की जनता ने तीन दिन तक लगातार टीवी पर देखा, तो एक धारण बनी कि यह कोई एक घटना मात्र नहीं है। यह कोई अकेला हमला नहीं है।

[अनुवाद]

यह देश पर हमला है। यह एक प्रकार का युद्ध है। जिसका हम सामना कर रहे हैं। *[हिन्दी]* कम से कम टेलीविजन से यह अभास मिला। हम लगातार यह कहते हैं कि तीन-तीन युद्धों में पराजित होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदल कर इस प्रॉक्सी वार की रणनीति अपनाई।

[अनुवाद]

आतंकवाद और कुछ नहीं बल्कि छद्म-युद्ध है जिसे तीन बड़े युद्धों में पराजित के बाद पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध छेड़ रखा है।

[हिन्दी]

इसके बाद जनरल जिया ने तय किया कि अब इसके बाद सीधा युद्ध नहीं करना है, बल्कि अप्रत्यक्ष युद्ध आतंकवाद के माध्यम से करना है, मैं मानता हूं कि 26/11 की घटना ने यह अहसास एक प्रकार से सारी दुनिया को भी करा दिया।

हमें इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि 26/11 की घटना का मास्टर माइंड हाफिज़ था। जिस मास्टर माइंड को हमारे प्रयत्न से यू एन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अपने रेज्युलूशन 1267 में कहा कि

हाफिज़ का अलकायदा से संबंध है, तालिबान से संबंध है। हाफिज़ सईद को पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ कर गिरफ्तार भी किया, लेकिन अचानक कोर्ट ने उसे छोड़ दिया और कहा कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर, जो गवाही दी गई है, एविडेंस किया गया है, वह एडिक्वेट नहीं है। पाकिस्तान सरकार कहेगी कि यह कोर्ट का फैसला है। पाकिस्तान सरकार यह कह कर बचने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान की कोर्ट्स का क्या हाल है, वहां क्या-क्या होता है, उसे बारे में मैं यहां टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान को एक बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि हमारे पास जितना एविडेंस था, वह हमने प्रस्तुत किया है। पाकिस्तान सरकार के पास तो किसी प्रकार का एविडेंस नहीं था। हमारे एविडेंस के आधार पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हाफिज के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अपना केस कोर्ट में प्रस्तुत किया, उसके कारण हाफिज़ रिहा हो गया। लश्करे तोयबा का रिलिजस पालिटिकल फ्रंट जमात उद दावा है। गृह मंत्री चिदम्बरमजी सदन में उपस्थित हैं, मैं मांग करता हूं कि हाफिज़ के संदर्भ में, 26/11 की घटना के संदर्भ में, हमने जो एविडेंस पाकिस्तान सरकार को दिए हैं, उन एविडेंस को सदन के साथ शेयर करें। देश को भी पता लगे कि हमने पाकिस्तान को क्या-क्या एविडेंस दिए हैं, जिसके आधार पर वह कोर्ट में गए। मुझे विश्वास है कि देश को इससे संतोष होगा। हम उनके ऊपर दबाव बढ़ाते रहें, अंतर्राष्ट्रीय विश्व के लोग भी उन पर दबाव डालते रहें कि उस पर कार्यवाही हो, तभी इस बारे में हमें सफलता मिलेगी।

महोदया, मैं जानना चाहूंगा कि जिस 26/11 की घटना के दौरान जिंदा पकड़े गए एकमात्र व्यक्ति कसाब को, जिस पुलिस कांस्टेबल के साहस तथा उसके बलिदान के कारण पकड़ सके, उस कसाब के केस में क्या प्रगति हुई है? मैं चाहूंगा कि इस केस में विलम्ब नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जानी चाहिए। मैंने जो बात पहले कही, उसके लिए मैं एक पाकिस्तानी पत्रकार याहिद हुसैन, जो लेखक भी हैं, की बात को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने 'फ्रंट लाइन पाकिस्तान' पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि लश्कर-ए-तोयबा और आई एस आई के संबंध बिल्कुल अटूट हैं।

प्रणबजी ने कहा कि हमने यह सफलता पायी है कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना पड़ा कि जो लोग आए थे वे पाकिस्तानी थे लेकिन उन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कहते थे। वह कहते थे कि स्टेट का कोई संबंध नहीं है, लश्कर-ए-तोयबा के होंगे, जो टैरारिस्ट ऑर्गेनाइजेशन्स हैं, वे उनके साथ जुड़े होंगे लेकिन राज्य का कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि इतना बड़ा कांड हो, इतना भयंकर कांड हो, इतना नियोजित कांड हो और उसमें वे समुद्र के रास्ते से आएं, इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार में किसी को पता न हो, आई एस आई ने ही इसे प्लान किया होगा, ऐसी हमें आशंका है और खास तौर पर पाकिस्तान के याहिद हुसैन की पुस्तक पढ़ने के बाद तो लगा कि निश्चित रूप से उन्होंने किया होगा लेकिन मैं जानना चाहूंगा, मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रीजी इसका जवाब दे सकेंगे क्योंकि इस घटना के बाद महाराष्ट्र की सरकार ने जांच करने के लिए आर. डी. प्रधान की एक टू मैम्बर कमेटी बनायी। आर.डी. प्रधान कमेटी ने जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार को कहा कि उनका कोई दोष नहीं है। उन्हें बेरी कर दिया और कहा कि अगर किसी का दोष है तो वह सैंट्रल गवर्नमेंट का है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने बड़े कांड के लिए राज्य सरकार की कोई कमेटी बने और वह यह कहे कि राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है। इसमें अगर कोई विफलता हुई है तो केन्द्र सरकार की हुई है। इतना ही नहीं,

[अनुवाद]

श्री चिदम्बरम, मुझे ज्ञात नहीं है कि आप जानते हैं अथवा नहीं लेकिन मैंने दिनांक 28.05.2009 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित एक समाचार पढ़ा है जिसका शीर्षक था ''सेन्टर टू ब्लेम फार 26/11 लेप्स: पैनल'' इसमें कहा गया कि:–

> ''आतंकी हमले के बाद मुम्बई के अपने दौर के दौरान, केन्द्रीय गृह मंत्री पी.सी. चिदम्बरम ने राज्य के लोगों से माफी मांगी है, यह अपने-आप में दर्शाता है कि केन्द्र सरकार से चूक हुई है।''

मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं जो उन्होंने कहीं है। लेकिन यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो यह बहुत ही गंभीर बात है। इस घटना के कारण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को त्याग-पत्र देना पड़ा – मुझे मालूम नहीं वे यहां उपस्थित हैं या नहीं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री जो गृहमंत्री भी थे, को त्याग-पत्र देना पड़ा।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं समझता हूं कि दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी ली जबकि पिछले कुछ मामलो में किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ठीक है, मैं समझता हूं...*(व्यवधान)* पिछले पांच वर्षों में घटित कई घटनाओं और मुम्बई की घटना के लिए जैसे किसी ने जिम्मेदारी ली हो। कृपया इस तरह मत बोलिए।

मैं सिर्फ यहीं कहता हूं कि यहां एक ऐसी स्थिति जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक औपचारिक समिति गठित की गई है और यही बात

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

इसमें कही गई है। और यही नहीं बल्कि इसमें औपचारिक रूप से कहा गया है:–

''बहुत-से गैर-सरकारी लोगों ने पैनल से संपर्क किया था लेकिन हमने फैसला किया कि हम इनमें से किसी से नहीं मिलेंगे। इस रिपोर्ट में गैर-सरकारी अधिकारियों की बातें सम्मिलित नहीं हैं बल्कि यह 50 पुलिस अधिकारियों के साथ की गई जांच पर आधारित है।''

श्री अशोक काम्टे, पुलिस अधिकारी जिसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी, कि पत्नी श्रीमती विनीता काम्टे ने बताया है कि, ''मैंने प्रधान समिति से अपना साक्ष्य देने के लिए अनुमति मांगी थी। मुझे अनुमति नहीं दी गई और समिति ने मुम्बई पुलिस तथा सरकार को क्लिनचिट दे दी है। इतना ही नहीं उन्होंने समिति के समक्ष अपना बयान देना चाहा था लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि 26 नवम्बर के दिन की पुलिस नियंत्रण कक्ष की कुछ कॉले कॉल रिकार्ड से हटा दी गई है।

इसलिए, मैं अपनी चौथी मांग पर आता हूं, जिसकी मांग मैंने पहले भी, जब मैं घटना के बाद संसद में बोला था, की थी। मैंने कहा था कि 9/11 के बाद अमरीका में एक जांच आयोग का गठन किया गया था और उस आयोग ने एक वृहद रिपोर्ट तैयार की थी कि क्या घटना घटी और कैसे घटी।

उस जांच आयोग की अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित की गई थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अमरीका में कोई आतंकी घटना इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया था। लेकिन मैं एक बार पुन:, विशेषकर प्रधान समिति की रिपोर्ट के बाद तथा केन्द्र सरकार के विरुद्ध इसमें लगाए गए आरोप को देखते हुए मांग करता हूं। हम जानते हैं कि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह संकेत दिया था। कि आगामी आतंकी हमला समुद्रीमार्ग से हो सकता है। उन्होंने यह बात संसद में कही हैं, और उन्होंने यह सार्वजनिक रूप से कहा है। यही कारण है कि देश और संसद को यह अवश्य ही जानना चाहिए कि गलती कहां हुई। यह कैसे हुआ? सरकार की आशंकाओं के बावजूद आवश्यक कदम नहीं उठाए गए।

जांच आयोग किसी के विरुद्ध नहीं है लेकिन जांच आयोग सच्चाई का पता लगाने तथा भविष्य के लिए कार्रवाई के लिए होता है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और इस दृष्टिकोण से भी *[हिन्दी]* अभी तक हमने नहीं किया होगा। आज यह अवसर है जब पहली-पहली हमारी सभा हो रही है और चिदम्बरमजी स्वयं कहें कि मैं इस बात से सहमत हूं और प्रधानमंत्री जी को रिकमेंड करें कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाइए जो इस बात की पूरी जांच करे और जो आर.डी. प्रधान कमेटी की रिपोर्ट है, पैनल की रिपोर्ट है उसको भी देखे आखिर गृह मंत्रीजी को इस्तीफा देना पड़ा। वहां के मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दिया, उनके सहयोगी ने इस्तीफा दिया। मेरी यह चौथी डिमांड है कि यह होना चाहिए।

मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूं तो मैं जरूर इस बात का उल्लेख करूंगा और मुझे इस बात की खुशी है कि सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों की बहुत दिनों से ''वन रैंक वन पेंशन'' की जो मांग रही है, उसका उल्लेख इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में है। मैं उम्मीद करता हूं कि जून के महीने तक संबंधित कमेटी की यह रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें उनकी इस मांग को स्वीकार किया जाएगा हालांकि इसमें इस मांग को स्वीकार करने की बात नहीं है। शायद आपके इस बार के घोषणा-पत्र में भी नहीं थी लेकिन अच्छा होगा कि इस मांग को स्वीकार किया जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए।

अब मैं विकास के मुद्दों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा जिनका इसमें उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत अच्छी बात कही गई है:–

[अनुवाद]

''पिछली जनगणना के पुरुष साक्षरता बढ़कर 75% हो गई थी और उम्मीद है कि अब यह और अधिक होगी, महिला साक्षरता 2001 में मात्र 54 प्रतिशत थी।''

फिर उन्होंने कहा है कि–

''मेरी सरकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन का रूप देगी ताकि अगले पांच वर्षों में प्रत्येक महिला साक्षर हो जाए।''

[हिन्दी]

मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। बहुत उचित है क्योंकि गांधीजी हमेशा कहा करते थे कि एक लड़के को शिक्षित करने का मतलब होगा कि देश में शिक्षितों की संख्या में एक और बढाना लेकिन एक लड़की को शिक्षित करने का मतलब है कि देश में शिक्षितों का एक परिवार बढ़ाना। इसीलिए मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। इस मामले में कई प्रदेशों में भी अपने-अपने ढंग से कार्रवाई हो रही

है। मैं उन प्रदेशों को भी जानता हूं कि जहां मेरे सहयोगी यह कार्य कर रहे हैं। यह काम ऐसा है कि जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर काम आगे बढ़ाएं। विकास के कार्यों में क्रेडिट किसको मिलता है, इस चक्कर में ज्यादा न पड़ें। अच्छी बात है कि अगर हमारी सरकार कोई काम करती है या केन्द्र की सरकार करती है– यदि केन्द्र की सरकार करती है तो केन्द्र को क्रेडिट मिलेगा। प्रदेश की सरकार करती है तो प्रदेश को क्रेडिट मिलेगा। लेकिन क्रेडिट किसको मिलेगा, इसके आधार पर कोई फैसला नहीं होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि अच्छे काम होने चाहिए।

मैंने जब मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना देखी तो मुझे लगा कि लिटरेसी की बात हीं काफी नहीं है। लड़की स्कूल में भर्ती तो हो जाती है, लेकिन लगातार उसके बाद ड्रॉप आउट होते जाते हैं। उस ड्रॉप आउट के दोष को रोकने के लिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, जिसका उद्देश्य था कि जिस-जिस घर में लड़की का जन्म हुआ, उसे जन्म से लेकर जब तक वह बारहवीं पास नहीं करती, आगे नहीं पढ़ती, तब तक उन्हें पीरियोडकली सहायता मिलती रहे। लेकिन जब वह बारहवीं पास कर लेती है तो उन्हें एक लाख बीस हजार रुपये मिलते हैं। इस योजना का वहां बहुत अच्छा परिणाम हुआ है। मैं चाहूंगा कि सारे देश में सरकार इसे लागू करे। यह बहुत अच्छा होगा। कुछ और प्रदेशों ने भी इस दिशा में काम किया है।

इसमें कोई संदेह नही है, मुझे भी बहुत खुशी हुई, स्वाभाविक रूप से जब से अध्यक्ष महोदया आप आई हैं सब महिलाएं तब से बहुत प्रसन्न हैं। जब हम अध्यक्ष महोदया से उनके कक्ष में जाकर मिले थे, तभी यही बात सबसे आगे आई थी कि अब देखिये वूमैन्स रिजर्वेशन बिल पास हो जायेगा। मुझे कभी-कभी लगता है कि इतने साल लग गये, यह बिल बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इतने साल इसलिए लग गये कि शायद राष्ट्रपति भी महिला हो जाएं और स्पीकर भी महिला हो जाएं, तब इसे पास करेंगे। इसलिए इतनी प्रतीक्षा की। मैं फिर से अपनी पार्टी का स्टैंड दोहराना चाहूंगा कि आप जब भी इस बिल को लायेंगे, हमारी ओर से बिल पर पूरा समर्थन होगा। मुझे खुशी होती है कि मेरी अपनी पार्टी में यह लागू है। इस संबंध में सरकार कब करती है, क्या करती है यह पता नहीं मगर हमने अपनी पार्टी में इसे अपने ढंग से जहां तक ऑफिस बियरर्स हैं, पार्टी की हमारी यूनिट्स हैं, कमेटियां आदि हैं, उनमें सबमें लागू कर दिया है।

यहां शिक्षा की बात हो रही थी। मैं शिक्षा संदर्भ में इस बात को दोहराना चाहूंगा कि एक समय था कि लिटरेसी का अर्थ था – क ख ग घ और ङ का ज्ञान देना, ए, बी, सी, डी, से लड़के और लड़कियों को परिचित कराना। आज शिक्षित करने का लिटरेट करने का अर्थ समझना चाहिए। *[अनुवाद]* साक्षरता का मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका मतलब सूचना प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर ज्ञान होना चाहिए। *[हिन्दी]* कंप्यूटर से भी एक-एक बालक और बालिका को स्कूल के समय परिचित कराना। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे अपने परिवारों में बच्चे जानते हैं कि हम बहुत बार नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन वे समझते हैं। यह होता है, यह अच्छी बात है, क्योंकि लिटरेसी का अर्थ वही हो गया और फोर्मली सर्व शिक्षा अभियान में उसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हम गांवों में उसे जितनी अधिक मात्रा में पहुंचा सकें उतना हमें लाभ होगा। वैसे तो सर्व शिक्षा अभियान का भी इसमें उल्लेख है। इसमें इस बात का संकोच नहीं हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान हमारे डा. जोशी ने शुरू किया था, एन.डी.ए. की सरकार ने शुरू किया था। लेकिन उसका इसमें उल्लेख है और मैं इसका स्वागत करता हूं साथ ही मैं यह सुझाव देता हूं कि इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी का कितना उपयोग कहा-कहां हो सकता है, न केवल ई. गवर्नेन्स के लिए, न केवल हैल्थ केयर के लिए, न केवल सुरक्षा के लिए अपितु जहां-जहां भी आई.टी. का उपयोग हो सकता है, उसे करने की योजनाएं बननी चाहिए। हमने अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से आई. टी., विजन का एक डाक्यूमेंट जरूर बनाया है, उसका जितना उपयोग होगा, वह होगा।

हां उसमें खास तौर पर बहुत समय से जो मेरे मन में बात थी, उसे आपने इस अभिभाषण में कहा है कि एक यूनीक आइडेंटिटी कार्ड देंगे, लेकिन उसकी व्याख्या इसमें नहीं की गई है, यूनीक क्या होगा। मैं चाहूंगा कि भले ही वह यूनीक को, अच्छा है, लेकिन यह मल्टीपरपज जरूर होना चाहिए। *[अनुवाद]* हमें प्रत्येक काम के लिए अलग-अलग कार्ड की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। *[हिन्दी]* हर चीज के लिए अलग कार्ड, राशन के लिए अलग कार्ड, वोटिंग के लिए अलग कार्ड और पैन कार्ड आदि नहीं होने चाहिए। एक ही कार्ड होना चाहिए, जो यूनीक हो और मल्टीपरपज हो, यह मेरा आग्रह रहेगा।

खासकर सुरक्षा की दृष्टि से यह आइडैंटिटी कार्ड बहुत लाभकारी है। दुनिया के अधिकांश बड़े-बड़े देशों में है। पहले-पहले कभी-कभी बाकी देशों को देखकर मेरे मन में चिन्ता आती थी कि जिस देश में 100 करोड़ से अधिक लोग रहते हों, वहां हर आदमी के लिये आइडैंटिटी कार्ड कम्पलसरी करना कितना कठिन है और उसे बनाने में कितनी कठिनाई होगी? लोगों को भी कठिनाई होगी। इसलिये, तब से लेकर जब अभी इनफॉरमेशन टैक्नालाजी का आविष्कार हुआ है, कम्प्यूटर का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक यह चिन्ता मिट गई है। लोग कहते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में सब से पहले दो इनवैन्शन

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

हुए – पहला व्हील का और दूसरा इलैक्ट्रिसिटी का लेकिन मैं मानता हूं कि हिस्ट्री का तीसरा सब से बड़ा इनवैन्शन इंटरनेट का है। इसलिये देश को प्रगति की ओर बढ़ाने में उसका पूरा उपयोग होना चाहिये। केवल मात्र अंग्रेजी में नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में इसका विकास होना चाहिये। इंटरनेट आधारित शिक्षा सब लैवल पर होनी चाहिये।

डॉ. गिरिजा व्यास ने बहुत ही भावुक होकर कहा कि कांग्रेस सरकार कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई व्यक्ति रात में भूखा सोए? यह बहुत अच्छी बात है, भाव बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यूनिसैफ की एक रिपोर्ट पढ़कर चिन्तित हुआ जिसमें कहा गया कि *[अनुवाद]* भारत में भूखमरी से शिकार लोगों की संख्या 2007-08 के अंत तक 230 मिलियन हो गयीं जो वर्ष 2005-06 में 209.5 मिलियन थी। *[हिन्दी]* उसके लिये मैं किसी को दोष नहीं देता हूं लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह चिन्ता का विषय है। इस चिन्ता के विषय को सारे हिन्दुस्तान को, केन्द्र सरकार को और सारी प्रदेश सरकारों को ग्रहण करना चाहिये। सब को मिलकर इस बात का जल्द से जल्द निश्चित रूप से प्रबंध करना चाहिये कि हिन्दुस्तान में एक भी बच्चा या व्यक्ति रात में भूखा न सोये।

अध्यक्ष महोदया, मुझे याद है कि पहली बार जब मैंने चुनाव के दौरान स्विस बैंकों में पड़ी हुई भारत की पूंजी की बात की थी तो मेरी कैसी आलोचना हुई थी। एक सज्जन, जो यहां नहीं हैं, ने मुझे पत्र लिखा जिसमें मुझे कहा कि आप झूठे हो, असत्य कह रहे हो। मैंने वह सहन कर लिया लेकिन ग्रहण भी कर लिया। फिर मैंने कहा कि यह लूट की मात्रा की बात नहीं है। लेकिन यहां की सम्पति ले जाकर विदेशों में जमा करा दी गई है क्योंकि उस पर टैक्स नहीं देना चाहता था, टैक्स इवेजन के कारण वह पैसा वहां ले गया। वह चोरी का पैसा था, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा था। अब लूट कितनी है, यह डाइमैंशन का इश्यू है लेकिन फैक्ट यह है कि यह निर्विवाद है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने इस निर्विवाद सत्य को स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है और 'हां' कहा है कि सरकार वह पैसा वापस लाने के लिये कदम उठा रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्लीज सिट डाउन। रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिये एफिडेविट में इस बात को स्वीकार किया है। एक व्यक्ति जो पुणे में हवाला का काम करता है, उससे आई टी डिपार्टमेंट द्वारा 78 हजार करोड़ रुपया लेना बाकी है।

अपराह्न 1.00 बजे

मुझे खुशी है कि इस इश्यू को कई पार्टियों ने समर्थन दिया। सीपीएम ने भी समर्थन दिया और जेडीयू ने भी समर्थन दिया। इतना ही नहीं, पोलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं बल्कि कई सारे धार्मिक नेता जिनकी बहुत फॉलोइंग है – सब लोग जानते हैं कि स्वामी रामदेवजी जब योगासन करवाते हैं तो स्वामी रामदेवजी के कार्यक्रम में कितने हज़ारों लोग आते हैं और वे जब भी प्रवचन करते थे, इस स्विस बैंक में जमा भारतीय पूंजी का उल्लेख करना नहीं चूकते थे, हमेशा उल्लेख करते थे। मुझे अगर इस सरकार से थोड़ी शिकायत है तो इतनी है कि इसमें उल्लेख तो है कि हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। ...*(व्यवधान)* है, मैंने तो सुना कल। उन्होंने कहा–

[अनुवाद]

हमारी सरकार को विदेशों में भारतीयों के गुप्त बैंक खातों में अवैध पैसों की पूरी जानकारी है, वह संबंधित देशों के साथ समन्वय कर तेजी से आवश्यक कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा वह मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के 25 अप्रैल के इश्यू में पढ़ा कि

[अनुवाद]

वह विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के मामले को अपने 100 दिनों को कार्य योजना में शामिल करेंगे।

[हिन्दी]

100 दिन की जो उनकी कार्य योजना है, उसमें इस विषय को जोड़ेंगे और सौ दिनों की जो योजना इसमें पढ़ी, मैं कल सुनता रहा, तो उसमें जब मैंने नहीं देखा तो मैं थोड़ा चकित हुआ। मैंने कहा प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बारे में कहा लेकिन सौ दिन वाली इस योजना में उसका उल्लेख नहीं हुआ। हो सकता है कि इनको कुछ कठिनाइयां लगती हों, मैं नहीं जानता सरकार में रहती हैं, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि

[अनुवाद]

आप क्या करना चाहते हैं? आप इसे कैसे करेंगे? आप कितने जोर-शोर से इस मामले में कार्रवाई करने जा रहे हैं? मैं इसे महत्वपूर्ण समझता हूं। स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद, जहां तक देश का संबंध है और उच्चतम न्यायालय में शपथपत्र देने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रश्न पर ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

इसी संदर्भ में मैं एक और उल्लेख करूंगा कि इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भ्रष्टाचार शब्द का कोई उल्लेख नहीं है टैररिज़्म के खिलाफ़ ज़ीरो टॉलरैन्स की बात भी चाकोजी ने कही। बहुत अच्छी कही। *[अनुवाद]* मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में भी एकदम समझौता नहीं करने का सिद्धांत अपनाया जाए। *[हिन्दी]* वह जो गवर्नैन्स के संबंध में आपने बातें कही हैं सुधार की, उसमें करप्शन का ज़रूर उल्लेख होता है और उस संदर्भ में भी जो रिकार्ड मेजॉरिटी मिली कांग्रेस गवर्नमैंट को राजीव जी के नेतृत्व में, वह रिकार्ड मेजारिटी क्यों चली गई उसका कारण भी एक करप्शन का ही इश्यू था जो बोफोर्स का कांड था, जिसके कारण वह सरकार चली गई और आपके तब के मंत्रिमंडल के एक सहयोगी भी आपसे अलग होकर आपके विरोधी हो गए।

फॉरैन पॉलिसी की कुछ बातों का मैं जिक्र करूंगा। वह यह है कि आस्ट्रेलिया के संबंध में सारा देश चिन्तित है। बहुत चिन्तित है कि आस्ट्रेलिया में इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि भारतीयों के प्रति इस प्रकार के अत्याचार और आक्रमण लगातार होते रहे और उस दिन टेलीविज़न पर मैं देख रहा था एक प्रदर्शन हो रहा था जिसमें पुलिस उनके साथ किस प्रकार व्यवहार कर रही थी, लड़कियां थीं, महिलाएं थीं जो वहां पढ़ती थीं, उनको किस प्रकार से उठा उठाकर उनके साथ व्यवहार हो रहा था, वह बहुत चिन्ताजनक था। इसीलिए देश में इसके बारे में बहुत चिन्ता है। आपने अपनी चिन्ता जताई है उनको। उन्होंने भी जवाब दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी को वहां जाना चाहिए। आप एक डैलिगेशन यहां से भेज दें, पार्लियामैंट का एक डैलिगेशन चला जाए और वहां जाकर वहां पर बात करके आए तो अच्छा होगा। वे वहां की स्थिति भी समझकर आएंगे। उससे देश की चिन्ता निश्चित रूप से प्रकट होगी।

नेबरहुड का ज़िक्र किया गया है। नेबरहुड में पिछले दिनों में स्थिति खराब ही होती गई है। ठीक है कि नई सरकार आई है नेपाल में। माधव जी, जो नेपाल के नये प्रधानमंत्री बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनको बधाई दी है। मैं आशा करता हूं कि एक नया अध्याय शुरू होगा, जिस अध्याय में भारत और नेपाल के जो परम्परागत संबंध रहे हैं, उनके आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। विगत दिनों में ऐसा सोचा गया था कि जैसे मानो चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, वह स्थिति चिन्ताजनक थी।

मैं आशा करता हूं कि अब जो नयी सरकार आएगी, उसमें यह स्थिति बदलेगी। मुझे शिकायत है कि बंगलादेश के बारे में और वहां से लगातार हो रहे इल्लिगल इमीग्रेशन के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। वर्षों से हम इसके प्रति आंखें मूंद करके बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आई एम डी टी एक्ट के विषय को लेकर इस सरकार की भर्त्सना की है, उन्होंने यहां तक कह दिया– *[अनुवाद]* आप एक तरह से अवैध आप्रवास पर सहमति जता रहे हैं। *[हिन्दी]* उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए गए। वैसे तो वहां नयी सरकार आई है और इस सरकार की हमारे साथ अधिक मित्रता है। चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया को चलाते हुए ऐसा एहसास कभी नहीं देना चाहिए कि *[अनुवाद]* हम उनको खुश करने के लिए झुक रहे हैं। *[हिन्दी]* पिछले दिनों जब यह खबर आई कि चीन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और असीस्टेंस दे रहा है। यह एक ऐसा अवसर था कि जब भारत में चिन्ता पैदा होती थी। जिस प्रकार से लगातार चीन के लोग अरुणाचल के बारे में बोलते रहे हैं, वे सारी की सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें हर मामले में सही प्रतिक्रिया देनी चाहिए और मजबूती दिखानी चाहिए। विदेश के मामले में मुझे इतना ही कहना है।

मैं एक बार फिर से डॉ. मनमोहन सिंहजी, प्रणब मुखर्जीजी और श्रीमती सोनिया गांधीजी को बधाई देकर यही कहूंगा कि देश देखेगा कि, आपकी सरकार ने जो विश्वास लोगों को दिया है, उस विश्वास के अनुरूप आप कैसे कार्य करते हैं। देश और संसद भी इन सारे कामों को मोनिटर करती रहेगी। मैं एक बार पुन: इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.12 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.12 बजे पुनः समवेत हुई

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा को विशेष श्रेणी राज्य घोषित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 1

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती माओवादी हिंसा को उखाड़ फेंकने के लिए किसी समयबद्ध कार्ययोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 2

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हाल में हो रहे हमलों को देखते हुए आस्ट्रेलिया के साथ संबंधों की समीक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 3

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षा प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 4

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसंख्या वृद्धि को रोके जाने के लिए किसी ठोस कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 5

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 6

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कथित रूप से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन पर पूर्ण रोक लगाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 7

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर कारगर रोक सुनिश्चित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 8

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 9

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी दूर किए जाने के लिए किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 10

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बालिका भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं को रोके जाने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 11

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बनाई और बेची जा रही नकली दवाओं को रोके जाने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 12

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उपज बढ़ाने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 13

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि भूमि के लिए सिंचाई

सुविधाएं प्रदान करने हेतु किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 14

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी के लिए समयबद्ध तरीके से पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 15

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 16

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य में पाराद्वीप और गोपालपुर के बीच समुद्र तटों के आधुनिकीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 17

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 18

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशियों के निर्वासन के लिए किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 19

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में किसानों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोके जाने के लिए किसी योजना के बारे कोई में उल्लेख नहीं है।'' 20

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ते आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 21

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नवसृजित राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 22

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत की सीमाओं की सुरक्षा हेतु नई रक्षा नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 32

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आस्ट्रेलिया में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों पर जघन्य नस्लवादी हमलों को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 33

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता के प्रावधान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति के संभावित असंतुलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 34

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में मुंगेर-साहेबपुर कमाल गंगा रेल सड़क योजना को पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 35

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार को विशेष दर्जा दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 36

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोसी नदी की बाढ़ के कारण विस्थापित हुए लगभग 40 लाख लोगों के पुनर्वास हेतु 14000 करोड़ रुपये प्रदान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 37

[डॉ. भोला सिंह]

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एक करोड़ 21 लाख लोगों को बी.पी.एल. दर्जा दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 38

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में ए.पी.एल. परिवारों को भी मिट्टी का तेल प्रदान किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 39

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में बरौनी पेट्रो रसायन फैक्ट्री खोले जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 40

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाल के तराई क्षेत्र से निकलने वाली कोसी और गंगा अधवार नदियों के कारण आई बाढ़ के कारण हर वर्ष करोड़ों रुपये की क्षति तथा इन नदियों पर बांधों का निर्माण कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 41

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 42

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार को एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 43

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के रजौली में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने संबंधी योजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 44

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार विशेषकर नवादा जिला में सतत सूखे से निपटने के लिए सूखा राहत योजनाएं पुनः प्रारंभ करने हेतु कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 45

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ''राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना'' के क्रियान्वयन की धीमी गति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 46

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में गया–नवादा–लखीसराय–क्यूल जंक्शन तक दोहरी लाईन बिछाने के रेल मंत्रालय के किसी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।'' 47

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एफ.सी.आई. के खरीद केन्द्रों द्वारा किसानों से धान न खरीदने, खरीदे गये धान का भुगतान न करने, धान की खरीद में बिचौलियों द्वारा अपनाये गये खरीद के भ्रष्ट तरीकों से उत्पन्न स्थिति जिसके कारण बिहार में किसानों को अपनी फसल जलाने के लिए विवश होना पड़ा है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 48

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में धान की खरीद हेतु एक प्रभावी तंत्र बनाने, किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और अवैध, मनमाने तथा अनुचित खरीद के तरीकों पर रोक लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 49

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार और झारखंड सरकार के बीच ऊपरी सकरी सिंचाई योजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता कराने संबंधी केन्द्र की किसी पहल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 50

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूसा कृषि विश्वविद्यालय, बिहार

को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 51

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने को किसी योजना के बारे में उल्लेख नहीं है।'' 52

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरहरा यार्ड, बैरौनी जंक्शन, बिहार में रेलवे की जमीन पर रेल फैक्ट्री खोलने संबंधी किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 53

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में ''प्रधानमंत्री ग्रामीण संपर्क सड़क योजना'' के क्रियान्वयन में तेजी लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। 54

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऋण प्रदान किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 55

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के किसानों को 200 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्रदान करने संबंधी किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 56

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिजली की भारी कमी का सामना कर रहे बिहार को केन्द्रीय पूल से बिजली प्रदान किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 57

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की विदेश नीति को जारी रखे जाने का उल्लेख नहीं है जिसकी उपादेयता विगत समय में सिद्ध हो चुकी है।'' 58

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय उद्योगों को प्रभावित करने वाले तथा लाखों कामगारों एवं कर्मचारियों की नौकरियां खत्म करने वाली वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 59

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुट निरपेक्ष आन्दोलन को सुदृढ़ करने में सरकार की कारगर भागीदारी की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 60

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त राष्ट्र में कारगर भूमिका अदा करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 61

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न देशों में भारतीय नागरिकों को नस्लीय हमलों से बचाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 62

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न देशों के कामगारों में काफी समय में कैद भारतीय कैदियों को रिहा कराये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 63

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विगत एक वर्ष के दौरान भारत में एक करोड़ नौकरियां समाप्त होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 64

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को उदार बनाये जाने के संबंध में सरकार के लिए दिशानिर्देशों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 65

[श्री बसुदेव आचार्य]

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 66

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गरीब लोगों को पर्याप्त भोजन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 67

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसंख्या के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों (बीपीएल) की समुचित पहचान किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 68

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी रेखा को पुन: परिभाषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 69

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की भीषण समस्या से निपटने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 70

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिला आरक्षण विधेयक को पारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 71

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य सरकारों की मांगों के अनुरूप केन्द्र-राज्य संबंधों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 72

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 73

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए सरकारी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि का निवेश किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 74

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के संगत उपबंधों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसके परिणामस्वरूप 43 करोड़ असंगठित कर्मकारों के 95 प्रतिशत हिस्से को असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का कोई लाभ नहीं मिल सकेगा।'' 75

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अप्रचलित युद्धोपकरणों की खरीद रोके जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 76

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'गरीबी रेखा' की आधिकारिक परिभाषा में आमूल-चूल संशोधन करने तथा/अथवा सुधार करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 77

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विगत वर्षों के दौरान 'ग्रामीण भारत' में किसानों द्वारा आत्महत्या के अगणित मामलों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिनके लिए 'एक नये डील' का वादा किया गया था।'' 78

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर

सब्जियों, खाद्य तेल, चाय तथा दालों के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि रोकने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 79

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 3जी स्पेक्ट्रम दिए जाने में भारी अनियमितताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।'' 80

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वैश्विक आर्थिक मंदी के अनर्थकारी प्रभाव से निपटने के लिए गंभीर कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में बंदी, छंटनी, मजदूरी में कटौती आदि तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में तीव्र गिरावट की खतरनाक प्रवृत्ति के कारण लाखों कामगारों को अपनी नौकरियां, आजीविका तथा आय आदि गवाना पड़ा है।'' 81

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में हीरा पॉलिश करने वाले उद्योगों में कार्यरत लाखों कामगारों की नौकरियां जाने तथा केवल सौराष्ट्र में 71 कामगारों द्वारा आत्महत्या किए जाने की रिपोर्ट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 82

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतंत्र भारत में सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज द्वारा 7000 करोड़ रुपये से अधिक के सबसे बड़े कारपोरेट घोटाले के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 83

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 30.5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 84

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेष श्रेणी राज्यों को क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने हेतु समर्थ बनाने के लिए किसी विशेष पैकेज के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 85

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों पर केन्द्र सरकार के सभी बकाया ऋण तथा उन पर ब्याज को बट्टे खाते में डालकर एकमुश्त ऋण राहत पैकेज दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 86

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेष श्रेणी राज्यों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 87

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कृषि कामगारों के कल्याण के लिए किसी व्यापक विधेयक के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 88

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्विस तथा अन्य विदेशी बैंकों में धनराशि के गैरकानूनी बर्हिप्रवाह के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 89

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में किसानों द्वारा लगातार की जा रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए किसी ठोस कदम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 90

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भूमि सुधारों में तेजी लाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 91

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकीकृत बाल विकास योजना को सर्वव्यापक बनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 92

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा से होकर गुजरने के लिए प्रस्तावित ट्रांस एशियाई राजमार्गों तथा ट्रांस एशियाई रेल के पुर्नसरेखरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 93

[श्री बसुदेव आचार्य]

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल को बुरी तरह प्रभावित करने वाले आइला चक्रवात को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 94

[हिन्दी]

श्री महेश्वर हजारी (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मीडिया द्वारा प्रकाशित और प्रसारित की जा रही अश्लीलता और अभद्रता पर रोक लगाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 95

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जल प्रबंधन की प्रभावी प्रणाली का विकास करके देश को बाढ़ मुक्त और सूखामुक्त बनाने की किसी समय सीमा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 96

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईंधन को करमुक्त करके सस्ता बनाने की किसी घोषणा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 97

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सेवा क्षेत्र के हिस्से की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से को बढ़ाने के लिए किसी समयबद्ध कार्ययोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 98

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सबसे निर्बल वर्गों के आर्थिक विकास की किसी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 99

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में संसाधनों के स्वदेशी विकास पर आधारित उत्पादन को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता को वरीयता प्रदान करने की किसी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 100

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य के निर्धारण के बावजूद खरीद प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण विशेषकर बिहार में किसानों को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के किसी प्रावधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 101

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के सतत् रूप से घटते हिस्से को समयबद्ध तरीके से बढ़ाने के लक्ष्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 102

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में पारंपरिक जल संग्रहण प्रणाली के नवीकरण एवं पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्योन्मुखी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 103

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की शैक्षणिक प्रणाली में पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों को शामिल करने के उद्देश्य वाले व्यापक सुधार करने हेतु उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 104

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों के बढ़ते वाणिज्यीकरण को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 105

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उद्योगों के सेज और गैर-सेज क्षेत्रों में विभाजन की समस्या पर काबू पाने हेतु सभी उद्योगों के लिए समान औद्योगिक नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 106

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार में आरक्षण प्रदान करने हेतु ठोस कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 107

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु प्रावधान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 108

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र सरकार कल्याणकारी योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 109

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के संबंध में गरीबी रेखा से नीचे की योजना के **अंत**र्गत अर्हता को पुन: परिभाषित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 110

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की किसी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 111

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति कम से कम 12 घंटे प्रति दिन सुनिश्चित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 112

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेश मुख्यत: आस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों पर नस्लीय हमले रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 157

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती आतंकवादी/अलगाववादी गतिविधियों को रोकने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 158

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़े रहे आतंकवाद को रोकने के लिए समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 159

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि निर्धारित अवधि के भीतर पूरे देश के लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 160

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 161

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमा चौकियों के आधुनिकीकरण की योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 162

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 163

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए किसान आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 164

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादों के बढ़ते समर्थन मूल्य के बारे में कोई उल्लेख है।'' 165

[श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र]

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायालयों में बढ़ते मामलों को देखते हुए नए न्यायालय स्थायी किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 166

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी को देखते हुए न्यायाधीशों रिक्त पदों के भरने की योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 167

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की अत्यधिक बढ़ती कीमतों प्रभावी रूप से रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 168

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी को कम करने या समाप्त करने के लिए समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 169

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की छटनी को रोकने के सरकार के प्रयास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 170

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 171

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धरवाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्नाटक में धरवाड़ में नई आईआईटी की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 201

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को अधिक किसान हितैषी बनाने के लिए इसमें किसी व्यापक परिवर्तन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 202

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय किसान की सहायता करने के उद्देश्य से अधिक से अधिक कृषि उपजों को सम्मिलित करने के लिये व्यापक कृषि उपज समर्थन मूल्य नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 203

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नरेगा में भारी धनराशि के दुरुपयोग हेतु कथित रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध उठाए गए कड़े कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 208

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लंबे समय से मांग कर रहे कर्नाटक राज्य को एन एस जी यूनिट के प्रावधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 210

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मांग के अनुसार पर्याप्त एलपीजी आपूर्ति हेतु किसी व्यापक योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 213

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 239

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) खोले जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 240

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 241

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुछ राज्यों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में एकपक्षीय कार्रवाई करने जिसके कारण न्यायालयों में मुकदमें दायर हुए, के कारण उत्पन्न **अंत**र्राज्य जल विवादों को हल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 242

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सामान्यत: देश में और विशेषकर उड़ीसा में बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 243

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में रोग से पीड़ित लोगों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भुवनेश्वर में और अन्य राज्यों में छह क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान तुरंत शुरू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 244

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाराद्वीप में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. द्वारा तेल शोधनशाला शुरू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 245

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा सहित तटीय राज्यों में सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए सी-वाल प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 246

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 को चार लेनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 247

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों और विशेषकर उड़ीसा राज्य के दस जिलों में माओवाद के बढ़ते हुए खतरे को रोकने हेतु विशेष कार्रवाई योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 248

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में असमान आर्थिक विकास के मुद्दे का समाधान करने हेतु विशेष कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 249

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में चालू परियोजनाओं को पूरा करने हेतु सहायता के लिए त्वरित सिंचाई कार्यक्रम लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 90% अनुदान स्वीकृत करते हुए इन राज्यों में सिंचाई सुविधाओं की गति से तेजी लाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 250

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य में बहुधा आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक पिछड़ेपन और खस्ताहाल वित्तीय स्थिति को सुधारने की दृष्टि से उड़ीसा राज्य को वित्तीय पैकेज देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 251

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोणार्क और श्रीजगन्नाथ मंदिर जैसे दुर्लभ स्मारकों की देखभाल और सुरक्षा हेतु पुरातत्व विभाग को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 252

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में जलमार्ग के त्वरित विकास हेतु पर्याप्त और त्वरित निधि दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 253

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वस्त्र क्षेत्र की सुरक्षा हेतु नई वस्त्र नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 254

श्री एस. सेम्मलई (सेलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु भू-जल स्तर को बनाए रखने के लिए वर्षा जल संचयन योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 255

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूख से मरने वाले किसानों के जीवन की रक्षा हेतु नई कृषि नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 256

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वस्त्र क्षेत्र की सुरक्षा हेतु नई वस्त्र नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 257

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों के जीवन के प्रत्येक पहलू को शामिल करने वाले विशेष विधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 258

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा आत्महत्या रोकने हेतु कोई कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 259

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 260

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े पैमाने पर छंटनी के विरूद्ध कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।'' 261

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े पैमाने पर कंपनी बंद होने और कर्मचारियों की छंटनी करने और इसके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 262

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्य देशों में विशेषकर आस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों पर हमले और उत्पीड़न के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 263

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईरान के साथ संबंध सुधारने हेतु कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 264

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइप लाइन के संबंधमें उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 265

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के पिछड़े जिलों में विकास के लिए कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 272

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों की सूची में उत्तर प्रदेश के 16 पिछड़ी जातियों को शामिल किए जाने के लिए कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।'' 273

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों जैसे-चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 274

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर के 5 से 18 आयु वर्ग बालकों को समान, अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 275

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़ी जातियों के लोगों को रोजगार में समुचित स्थान प्रदान करने के लिए बकाया रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 276

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए देश में बीपीएल कार्डों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 277

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी के लिए तत्काल स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने की योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 278

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए नहरों के सुदृढ़ीकरण और नवीकरण की योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 279

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने हेतु नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज और सुरक्षा प्रबंध के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 280

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं से होने वाले जान-माल की क्षति को रोकने के लिए प्रभावी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 281

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित कारखानों द्वारा जनित प्रदूषण को रोकने के लिए कानून को और कठोर बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 282

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलित विकास को देखते हुए संतुलित विकास के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 283

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय विकास योजना, जिसे पूर्ववर्ती भारत सरकार ने पिछड़े जिलों के विकास के लिए लागू किया था, के पुन: कार्यान्वियन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 284

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के पिछड़े और नक्सल प्रभावित जिलों में भूमि की सिंचाई के लिए समुचित प्रबंधन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 285

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतंत्रता सैनानियों और शहीदों के पैतृक ग्रामों के समग्र विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 286

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के **अंतर्**गत मुगलसराय-पटना रेलमार्ग और मुगलसराय-गया रेलमार्ग पर उपरि पुल के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 287

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अत्यधिक पूंजीगत निवेश के कारण शेयर बाजार में होने वाले अचानक उतार-चढ़ाव के कारण अनपेक्षित लाभ-हानि की निगरानी हेतु शेयर बाजार में कोई सुधार लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 300

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, जो कि नियमित रूप से घट रही है, के लिए कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 301

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में परांगत जल भंडारण प्रणाली के आधुनिकीकरण और पुनरूद्धार के लिए किसी ठोस कार्ययोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।'' 302

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भुखमरी की घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 303

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार के अवसरों की तलाश में मजदूरों के पलायन को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कुटीर उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए किसी आर्थिक पैकेज के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 304

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राथमिक क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की राशि 40% से 60% तक बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 305

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, गन्ना और कपास का उत्पादन बढ़ाने हेतु ठोस कार्ययोजना के कार्यान्वियन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 306

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे संस्कृति मूल्यों के विरूद्ध और अश्लील लेखों के प्रकाशन तथा कार्यक्रमों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 307

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपयुक्त जल प्रबंधन द्वारा देश में बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करने के लिए किसी कार्ययोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 308

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईंधन को करों से मुक्त करके सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 309

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा को शामिल करने तथा स्कूली शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 310

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई जैसे सामाजिक क्षेत्रों के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले किन्हीं उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 311

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वियन के कारण औद्योगिक क्षेत्र के बंटवारे को रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 312

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए अभिप्रेत किसी विशिष्ट आर्थिक नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 313

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में स्वदेशी संसाधनों का सृजन और विकास करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली किसी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 314

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए वितरण, पारेषण और विद्युत उत्पादन को सुचारू बनाने के लिए किन्हीं उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 315

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार राज्य में वर्ष 2004.05 में शुरू की गई योजनाओं को पूरा करने में हो रहे विलम्ब के लिए कारणों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 316

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने के बावजूद सरकार द्वारा विशेषकर बिहार राज्य में खाद्यान्नों की खरीद ने किए जाने के कारण किसानों को हुई हानि के लिए मुआवजा देने के बारे में कदम उठाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।'' 317

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दलित लोगों के समग्र विकास के लिए समयबद्ध तरीके से सरकार द्वारा निर्धारित किसी विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 318

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य बिहार में स्थित पर्यटन स्थलों जैसे वनवर्गा पर्वत, राजगीर, बोधगाया, तपोवन, नालंदा, आदि के विकास के संबंध में किसी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 319

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 5 साल शुरू की गई पटना-गया लाइन की दोहरीकरण परियोजना है, के पूरा होने में विलंब के किसी कारण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 320

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य बिहार के जिलों में मौर्यकालीन ऐतिहासिक स्थलों, जिनमें परम्परागत तालाब और नहरें शामिल हैं, के आधुनिकरण हेतु किसी कार्ययोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 321

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ''किसान ऋण राहत योजना'' के लाभों को उन किसानों, जिन्होंने अपने ऋण का आंशिक भुगतान कर दिया है, को देने के लिए किसी कार्ययोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 322

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए युवाओं को नक्सल कैडर में शामिल होने से रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 323

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 110 बिहारशरीफ से अरवल वाया जहानाबाद के रखरखाव हेतु तत्काल आर्थिक सहायता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 324

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : मैं प्रस्ताव करती हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आस्ट्रेलिया में भारतीय विद्यार्थियों पर नस्लवादी हमले को रोकने और वहां रह रहे भारतीय विद्यार्थियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 391

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रीलंका में तमिलों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 392

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान की बढ़ती परमाणु क्षमता का मुकाबला करने के लिए निरूपित योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 393

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के पड़ोसी देशों (नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान) के मामलों में चीन के हस्तक्षेप को रोकने के लिए किसी भी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 394

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम और अन्य राज्यों में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 395

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि पर प्रभावकारी रोक लगाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 396

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि के जरिए देश में नकली मुद्राओं के आने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 397

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती कन्या भ्रूण-हत्या को रोकने के लिए किसी भी ठोस योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 398

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गोवंश के संबंध में कोई भी विधान बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 399

[अनुवाद]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की आत्महत्या के मुद्दे, लाभप्रद मूल्य, फसल बीमा, बुनकरों और शिल्पकारों द्वारा आत्महत्या आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 400

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय छात्रों/विदेश में कार्यरत कर्मचारियों पर बढ़ते हमले के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 401

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सारे देश में विशेषरूप से महाराष्ट्र में मुंबई, असम में बोडोलैंड क्षेत्र नार्थ कचार हिल्स असम में स्वायत्त जिला और संपूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र/राज्यों के अन्य सुभेदय स्थानों और देश के वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त राज्यों में आंतरिक बनाए रखे जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 402

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुलिस, कानून और व्यवस्था तथा राजनैतिक विभाग को, असम में 'बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट', असम में उत्तरी कछार पहाड़ियों और करबी-एंगलांग स्वायत्तशासी जिला परिषदों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेघालय,

त्रिपुरा और मिजोरम में कार्यशील अनेक अन्य स्वायत्तशासी जिला परिषदों की तरह देश के संविधान की छठी अनुसूची के उपबंध के **अंत**र्गत सृजित सभी स्वायत्तशासी जिला परिषदों को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 403

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न पड़ोसी देशों विशेषकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से अवैध विदेशी नागरिकों की बेरोक घुसपैठ को रोके जाने तथा साथ ही सभी अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से निकले जाने के लिए स्पष्ट नीतिगत रवैया अपनाने तथा समयबद्ध कार्ययोजना बनाएं जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 404

श्री विश्व मोहन कुमार : (सुपौल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाल के उद्गम वाली नदी के कारण बिहार में आने वाली विनाशकारी बाढ़ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 442

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नस्ली भेदभाव के कारण विदेश में उत्पीड़न की स्थिति का सामना करने वाले हजारों नागरिकों की समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 443

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तमिल विद्रोहियों के नाम पर श्रीलंका से निकाले जा रहे भारतीयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 444

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्वरकों की कमी और उनके मूल्यों में वृद्धि के कारण किसानों की समस्या के समाधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 445

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार को विशेष दर्जा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 446

[हिन्दी]

डॉ मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय शेयर बाजार में अनिश्चितता के कारण हुए अभूतपूर्व उतार-चढ़ाव के कारणों को दूर करने के लिए प्रशासनिक कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 447

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 448

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के अत्यधिक पिछड़े पूर्वांचल क्षेत्र के आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए विशेष दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 449

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े बिहार राज्य को विशेष दर्जा प्रदान कर उसके आर्थिक विकास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 450

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में एथनॉल के उत्पादन के लिए नीति को स्वीकृति देने में विलंब के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 451

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के लिए मंजूर किए गए ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं को कोयला पहुंचाने में होने वाले अत्यधिक विलंब से निपटने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 452

[डॉ मुरली मनोहर जोशी]

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 5 लाख और उससे ज्यादा की जनसंख्या वाले शहरों में यातायात से संबंधित कुप्रबंधन पर नियंत्रण के लिए किसी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 453

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गंगा के पानी की प्राकृतिक शुद्धता और इसके सतत प्रवाह को बनाए को बनाए रखने के किसी समयबद्ध कार्य योजना को क्रियान्वित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 454

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न क्षेत्रों विशेषरूप से वाराणसी और आसपास के जिलों में रहने वाले गरीब बुनकरों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 455

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न शहरों विशेषरूप से वाराणसी में रिंग रोड के लिए यातायात के सुचारू संचालन के लिए समयबद्ध केन्द्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 456

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने और घातक बीमारियों की चिकित्सा के लिए काशी हिन्दु विश्वविद्यालय चिकित्सा संस्थान को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 457

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को आई.आई.टी. का दर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 458

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में विशेषरूप से महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की बढ़ती संख्याओं के मद्देनजर भारत की राजधानी दिल्ली को अपराध मुक्त शहर बनाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 459

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 460

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के गरीब तीर्थ यात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा को वहनीय बनाने के लिए राजसहायता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 461

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दुनिया के विभिन्न देशों में नस्लवाद के विरूद्ध **अंत**र्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने तथा इसे जड़ से समाप्त किए जाने हेतु किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 462

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 47 में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश के नागरिकों को नि:शुल्क चिकित्सा देखभाल, पेयजल, पोषक आहार प्रदान किए जाने के लिए ठोस कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 470

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेश में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के जान की सुरक्षा, स्वतंत्रता और अन्य हितों की रक्षा के लिए किसी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 471

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की सुरक्षा के लिए बाह्य खतरों का सामना करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने और उसका कार्यान्वयन किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 472

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की योजना क्रियान्वित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 473

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के समग्र विकास के लिए विदेशी संसाधनों के स्थान पर स्वदेशी संसाधनों के सृजन के विकास को प्राथमिकता दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 474

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए किसी विशिष्ट कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 475

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन में अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए अनुसंधान संस्थानों को बढ़ावा देने की घोषणा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 476

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए किसी समयबद्ध कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 477

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को कृषि ऋण चार प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 478

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कृषि उत्पादन लागत को कम किए जाने के उपायों के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 479

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि राजसहायता सीधे उत्पादकों को प्रदान किए जाने की नीति की घोषणा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 480

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में घटिया किस्म के बीज और कीटनाशकों की बिक्री रोके जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 481

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि के उपयोग के लिए वर्षा जल के संचयन और नदी जल के प्रवाह को बदले जाने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 482

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईंधन के स्रोतों को सस्ता बनाने के लिए उत्पादन से उपभोक्ता को बिक्री तक लगने वाला कुल कर के 10 प्रतिशत से अधिक न होने के आशय की किसी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 483

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लघु बचत के माध्यम से पूंजी सृजन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 484

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर संरचना में व्यापक संशोधन के माध्यम से काले धन को उत्पादन क्षेत्र में निवेश कर उसके पुन: संचरण संबंधी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 485

[डॉ मुरली मनोहर जोशी]

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न संस्थानों में शिक्षा के एक ही पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एक समान शुल्क ढांचा तैयार किए जाने और उसे लागू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 486

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से सस्ती विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से सस्ती विद्युत प्रदान करने की योजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 487

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रयोगकत्ताओं से वसूले जाने वाले पथ कर में समय-समय पर वृद्धि की किसी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 488

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में वातावरण की सुरक्षा के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्रों के 33 प्रतिशत पर वन लगाने की किसी समयबद्ध कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 489

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्य देशों के बैंकों में, विशेषकर स्विस बैंकों में अवैध रूप से जमा धन वापिस लाने और इसे भारत में उत्पादन क्षेत्र में निवेश किये जाने संबंधी किसी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 490

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय राजमार्गों का निजी क्षेत्र द्वारा निर्माण को बढ़ावा दिए जाने और डीजल और पेट्रोल पर उपकर हटाने या कम किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 491

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम आदमी से उपकर के रूप में संग्रहित धनराशि को पूर्व निर्धारित समय-सीमा के भीतर विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर शिक्षा, गन्ना, पेट्रोलियम आदि के विकास के लिए उपयोग किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 492

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों के प्रोत्साहन और उनकी सहायता के लिए विशेष पैकेज के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 493

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से कम वृद्धि दर वाले राज्यों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे राज्यों को विशेष दर्जा दिए के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 494

[अनुवाद]

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिमालयी राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देवे और उन्हें विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 498

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की क्षतिपूर्ति करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 499

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शेलाओं के लिये तत्काल 'एक रैंक-एक पेंशन' नीति कार्यान्वित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 500

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों के सभी प्रकार के ऋणों को माफ करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 501

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नरेगा के **अंत**र्गत जिला स्तर पर संसद सदस्य की देख-रेख में स्वतंत्र निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 502

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंगनवाड़ी कामगार और सहायकों को नियमित करने और उनके लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 503

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गत अनेक वर्षों से हिमालयी राज्यों के वगों में रहने और खेती करने वाले व्यक्तियों को वन भूमि पर अधिकार देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 504

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साठ वर्ष से अधिक के सभी व्यक्तियों, विकलांगों और विधवाओं को पेशन प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 505

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिमालयी राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन स्थलों को और विकसित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 506

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में राष्ट्रीय नदी **जोड़ों** मिशन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 507

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 508

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तीन वर्ष के बजाए एक वर्ष की विशेष पहचान योजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 509

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी भारतीय मतदाताओं के लिए मतदान अनिवार्य करने हेतु विशेष उपबंध करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' 510

अपराह्न 12½ बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : सभा अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी रखेगी।

श्री शरद यादव

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उनके अभिभाषण का अपनी सारी बातों के साथ जरूर समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पूरे देश आर्थिक गैर-बराबरी या सामाजिक विषमता को लक्ष्य कर के सभी चीजों को स्पर्श करते हुए जिक्र किया है। यह राष्ट्रपति जा का अभिभाषण नहीं है, बल्कि वास्तव में यह सरकार की नीतियों को बताने वाला भाषण है।

महोदया, मैं पांचवीं लोक सभा में आया था और अब यह 15वीं लोक सभा है। प्रत्येक सरकार, हर वर्ष अपनी नीतियों का बखान करते हुए राष्ट्रपति जी के मुख से अभिभाषण कराती है। यह वाजिब भी है, लेकिन मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बहुत पुरानी बात कहना चाहता हूं। जब भारत में अन्तरिम सरकार बन गई, तब महत्मा गांधी जी ने 1943 में, उस समय की जो अंतरिम सरकार थी,

[श्री शरद यादव]

उसको देख करके उन्होंने अपने लिखित वक्तव्य में कहा- याद रखना, आजादी करीब है, वह लखनऊ में, अहमदाबाद में, दिल्ली में आएगी। सरकारें बहुत जोर से यह जरूर कहेंगी कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मेरी व्यावहारिकता किसी भी अर्थशास्त्री से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी जब सरकार आएगी, तो उस सरकार के कहने पर मत जाना, इस देश के किसी हिस्से में एक किलोमीटर चल लेना, हिन्दुस्तान का सबसे लाचार, बेबस और बनिहार मिल जायेगा, बनिहार का मतलब डेली वेजिज होता है, अगर उसकी जिंदगी में कोई फर्क न आया हो तो उसी दिन से, उसी क्षण के बाद वह सरकार चाहे दिल्ली में हो, अहमदाबाद में हो, लखनऊ में हो, उन्होंने तीन सरकारों का जिक्र किया था, उसका कोई मतलब नहीं है।

62 वर्ष हो गये, मैं यह नहीं कह रहा कि यह सरकार सारी लाचारी, बेबसी और गुरबत के लिए जिम्मेदार है। हम भी सरकार में रहे, हमारे भी 5-5 प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन 11 महीने, 8 महीने, 9 महीने रहे। एन.डी.ए. की सरकार भी रही। अब 2004 और 2009 में भी यू.पी.ए. की सरकार है। लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि चूंकि इस दुनिया में जीत प्रभावित करती है, लेकिन इस देश में वह गजब प्रभावित करती है। आप जीत के बाद किसी चीज की किसी तरह की बहस नहीं कर सकते। ऐसा जीत का उन्माद कहीं नहीं होता। जीत की खुशी होनी चाहिए, लेकिन वह उन्माद में बदल जाये, तो वह कौम, वह देश पीछे हो जाता है, वह आगे नहीं बढ़ता है।

मैं मानता हूं कि आपको बहुमत मिला है, उसकी जरूरत है। पहले जितने सदस्य जीते थे, उससे बढ़कर अब 206 हो गये, लेकिन ऐसा लग रहा है, जैसे कोई दो तिहाई बहुमत आपको मिल गया है और आपमें से बहुत से साथी हैं, जब आडवाणी जी बोल रहे थे तो चिदम्बरम जी जिस ताव में खड़े हुए, याद रखना, जो सरकार में है, वह तो सामर्थ्यवान और पुरुषार्थी है, सब कुछ उसके पास है, वह जब गुस्सा होता है तो जरूर उसका अहंकार झलकता है। पावर में, सत्ता में कोई अहंकार चल जाये तो वह भी आप 206 हैं, 272 की सरकार नहीं चलती है, आपको उसके लिए 80 और चाहिए। वे 80 जो हैं, वे सब के सब कांग्रेस पार्टी से कोई अलग नहीं हैं। मेरी पार्टी भी हो, चाहे बी.जे.पी. हो, वामपंथियों को छोड़कर इस देश में कोई राज में हिस्सेदारी किए बगैर रहता नहीं है। पिछली बार तो आपको 62 लोगों का, बगैर ताकत की हिस्सेदारी किए, अंत्री, मंत्री और मंत्री के बगैर 62 लोगों का समर्थन था। इस समय तो 80 आदमियों की आपको बाहर से जरूरत है और जो बाहरी लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ भी काम किया है, वर्षों हमारे साथ काम किया है। आप भी उनको जानते हैं, लेकिन हम भी उनको बहुत जानते हैं। जो आपके 80 आदमी हैं, वे सब बाहर से हैं, इसलिए आपका जो बहुमत है, जैसा आपने महसूस कर लिया, क्योंकि आप सोच रहे थे और 140 अखबार वाले कह रहे थे। कोई ऐसा नहीं कह रहा था। कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी और यह दो सौ सीटों को पार कर जाएगी, इसे हम भी नहीं मानते थे। इसका मतलब यह नहीं है, क्योंकि यह 540 सदस्यों का सदन है।

गिरिजा व्यास जी सदन में नहीं हैं और चाको जी, जो केरल के हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने अपनी सामर्थ्य और पुरूषार्थ से पूरी तरीके से अपनी बात रखी। गिरिजा जी तो शेरो-शायरी कर रही थीं। जो सरकार के हक में हो सकता है, वह सब तर्क दिए, लेकिन बात यह है कि ट्रांसलेशन से आविष्कार नहीं होते हैं। हिंदुस्तान के जिस सदन में मैं खड़ा हूं, इसमें एक चीज भी हमने आविष्कार करके नहीं दी। यहां की मल्टिपल वाइस, जो बिजली जल रही है, जो आर.सी.सी. है, इस सदन में जब हम आए हैं, तो इन चीजों को किसी न किसी ने आविष्कार करके दिया। इस देश में आविष्कार हजार-दो हजार वर्ष से मृत्यु प्राप्त कर गया। सौ-डेढ़ सौ साल से तो यह ट्रांसलेशन में चल रहा है।

मित्रो, मैं खुद इंजीनियर हूं, यदि भाषा का बंधन नहीं होता तो मैं इस सदन में नहीं होता। मैं किसी लेबोरेटरी में खड़े होकर कोई दूसरा काम कर रहा होता। लेकिन मुझे उस काम को करने में बाधा पड़ी। मैं गांव के एक स्कूल से आया था, इसलिए अंग्रेजी भाषा को समझने में मुझे परेशानी आयी। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती, लेकिन भाषा का ज्ञान अलग है और आविष्कार अलग है, मेंशन अलग है। हम मुट्ठी भर लोगों के दुनिया में बढ़ने से इतना प्रसन्न हैं कि आजू-बाजू देखना भी हमें गवारा नहीं है।

चुनाव के जरिए मापदंड होते हैं, लेकिन इसमें संपूर्ण तरह से मापदंड नहीं हो सकता है। मैं ही हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पिछले दस बार से हूं, कभी इधर से तो कभी उधर से। मैं नहीं कहता कि इस देश में जब हमारी सरकार बनी तो जिन समस्याओं के बारे में मैं कह रहा हूं, उसने उसका निदान कर दिया। हम अपने एहसास और अपनी ईमानदारी से भी प्रयास न करें, उसे महसूस न करें, इसलिए कभी-कभी तो हमारे मन में भी यह बात आती है कि सदन में रहने का कोई मतलब और अर्थ नहीं है। हमारे लिए तो सुकून हो सकता है, लेकिन इस देश में जो पसीना बहाता है और दौलत बनाता है, उसकी जिंदगी

साठ वर्ष में बद से बद्तर हो गयी है, वह कभी बदली नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपकी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है।

मित्रों, मैं इस सदन में निराशा प्रकट करने के लिए खड़ा हूं। कभी-कभी निराशा का भी जो कर्तव्य होता है, उसको ध्यान में रखा जाता है, सच खड़ा रखा जाता है। यह अजब-गजब देश है, यहां हजारों वर्ष से सच और ईमान ऊपर नहीं आ पाता। अभी एक महीने पहले चुनाव हुए। हम सभी ने जाति को देखकर टिकट दिया, हमने भी दिया। हम इसे मान तो रहे हैं, लेकिन ये इस बात को 60वर्ष से मानने को तैयार नहीं। हमारा भारतीय समाज खंड-खंड है। जो बहुसंख्यक समाज है, उसमें कोई चमड़ी का रिश्ता नहीं है, यह खंड-खंड है। इस सदन से बाहर निकलेंगे तो हम जातियों की बात चाटेंगे, सदन के भीतर आएंगे, तो पाखंड करेंगे। हम टिकट बांटेंगे, जाति को देखकर बांटेंगे और यह कोई बुरी बात नहीं है। जाति हकीकत है, वह अपनी तरह काम करती है। मैं हिन्दुस्तान की लोक सभा में तीन बार जीतकर आया हूं। कोई छोटी जाति का आदमी जीत जाएगा? इंदिरा जी जीतीं, अटल जी जीते। कोई छोटा आदमी लुहार, बढ़ई या कुम्हार कभी जीत जाएगा। हम संख्या में हिन्दुस्तान के पचास फीसदी लोगों को देख नहीं सकते।

इस दस्तावेज में सामाजिक विषमता जो सबसे बड़ी बीमारी है, जिससे हजारों वर्षों से ज्ञान, तरक्की डैड कर गई है, आप ट्रांसलेशन में देश चला रहे हैं। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलने से, मैं जब ओथ देख रहा था तो हैरान था यानी अमरीका और युरोप के असैंट के साथ किसका असैंट मिल रहा है, इसका कम्पीटिशन चला हुआ था। भाषा जाननी चाहिए। श्री जयपाल रेड्डी अंग्रेजी भाषा जानते हैं। लेकिन भारतीय भाषाओं के 90-95 फीसदी नौजवान, चाहे वे तेलगु के हैं, चाहे तमिल के हैं, चाहे बंगाली हैं, चाहे मराठी हैं, चाहे हिन्दुस्तानी हैं, साठ वर्षों में उनके रोजगार का दायरा घटता गया है। वे मुट्ठीभर लोगों की सुख-सुविधा से धकेले जाते रहे हैं, अलग किए जाते रहे हैं। इस दस्तावेज में उनका कोई जिक्र नहीं है। बेकारी, बेरोजगारी को घटाएंगे, कैसे घटाएंगे। अपने पांच वर्षों में कहां घटाई? यदि आप सही है तो आपकी सरकार द्वारा अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बनाई गई थी। सभापति महोदया, आप जानते हैं, श्री अर्जुन सेन गुप्ता आपके सूबे के हैं। आपका प्लानिंग कमीशन है। वह कहता है कि गरीबी 23 फीसदी है, 24 फीसदी कहता है। श्री अर्जुन सेन गुप्ता कहते हैं कि 78 प्रतिशत लोग, 80 में से 2 कम, 20 रुपये रोज की उन पर लिमिट लगाई गई है, कई लोग तो 9 रुपये रोज वाले हैं, कई 12 रुपये रोज वाले हैं। यह गरीबी, 62 वर्षों की आजादी, आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी, यह आजादी किसके लिए है। जो हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक समाज है, आप स्कूल बढ़ा रहे हैं, शिक्षा बढ़ा रहे हैं। इस देश में दस तरह की शिक्षा है। मेरे पास वक्त नहीं है। एक शिक्षा वह है, जो मैंने गांव में प्राप्त की। वहां तख्ती भी नहीं थी, पट्टी भी नहीं थी। मैं नदी पार करके जाता था। मेरे बेटे और बेटी एक किलोमीटर की दूरी पर स्कूल जाते हैं। मेरा और उसका मुकाबला करवा लें। मैं नहीं सोचता कि जो इनवायरमैंट है, वही प्रिविलेज है। वे बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। आजकल कहते हैं कि जनरेशन चेंज हो गई है। अरे मित्रों, गमलों में कभी खेती नहीं होती। हिन्दुस्तान और दुनिया के लोगों का पेट भरने के लिए वसुंधरा में खेती होती है, गमलों में कोई खेती नहीं होती। आप इस देश की जनरेशन चेंज कर रहे हैं, गमलों में खेती कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव जीत जाते हैं तो इस देश में बहस बैन हो जाती है। एक बार नहीं होती, कई बार होती है। लेकिन मैं आपसे विनती करूं कि बेकारी और बेरोजगारी भाषा का सवाल है। मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र का व्यक्ति जब हिन्दुस्तानी बोलता है तो बहुत मीठी बोलता है। लेकिन हमारे यहां सब चीज टोकनिज्म है। टोकनिज्म की हिन्दी मुझे समझ में नहीं आ रही है। टोटका कहेंगे या क्या कहेंगे। टोकनिज्म की हिन्दी क्या होगी? टोकनिज्म का करैक्ट अर्थ टोटका हो सकता है। गांवों में टोटका करते हैं कि इलाज तो होगा नहीं, टोटका कर दें। यह टोटका है, टोटका कर रहे हैं। कई बार सरकार में रहने वाला व्यक्ति भाषा जानता नहीं है लेकिन फिर भी वह बुद-बुद करके भाषा बदलता है क्योंकि वह बेचारा जानता है कि इससे अपना कैरियर बनता है और कांग्रेस में यह कुछ ज्यादा ही हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़ी बीमारी घुसी हुई है।

मैंने कहा कि ट्रांसलेशन से कोई आविष्कार नहीं होता। आपने हजारों वर्षों में कोई आविष्कार किया हो, तो एकाध का आप नाम बताइये। हमारे बाप-दादा जब अपनी भाषा में सोचते थे, तो उन्होंने न्यूमेरिकल ग्रुप खोजा, जीरो खोजा। इस दुनिया में हमारा पुरखा वह शानदार आदमी है जिसने विज्ञान की नींव को सबसे पहले रखा। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं, किस तरह खड़े हैं? आपने इस अभिभाषण में कई चीजों का उल्लेख किया है। मैं विरोधी दल के नेता आडवाणी जी को बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले जो बात कही, वह सहमति के दायरे में थी। हम सहमत तभी होते हैं जब टोटेलिटी भी ठीक होगी। उसका कारण है कि अगर मैं कहीं सहमत हो जाऊं, तो आपका हाथ इतना लम्बा है कि आप उसी को रगड़ते रहेंगे। आडवाणी जी की सब बातों के बारे में, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने अपने

[श्री शरद यादव]

वक्तव्य में एक बात कही, जो हमारे देश में बहुत गहरी बीमारी है, उन्होंने उसका जिक्र किया। भारत में जो दो नम्बर के लोग हैं चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, कार्पोरेट्स हों या सदन में बैठे हुए राजनीतिक लोग हों, उन सबका दो नम्बर का पैसा बाहर जमा है। हो सकता है कि हमारे आंकड़े ठीक न हों, आडवाणी जी के आंकड़े ठीक न हों और हमारे पास आंकड़ा ठीक होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम ओपोजिशन में हैं, विरोध में हैं। हमारी तो सीमित क्षमता है जबकि हाथ तो आपके लम्बे हैं। इस बात को एक साल आठ महीने हो गये। पहले कानून था, आप कहते हैं एनडीए की सरकार के जमाने में आपने इन एकाउंट्स को क्यों नहीं खोला? आपके जमाने में स्विटजरलैंड में बैंक का सीक्रेसी एक्ट था। हमारे जमाने में कहा जाता था कि उनको फांसी लगाओ। फांसी नहीं, जो चाहो वह करो। लेकिन आपके जमाने में वह एक्ट था।

सभापति महोदया, इस देश में गेहूं को घुन के साथ पीसा जा रहा है यानी सबको पीसा जा रहा है। राजनीतिक लोगों के बारे में जिस तरह से प्रचार-दुष्प्रचार चला हुआ है क्योंकि उनके बारे में प्रचार भी है और दुष्प्रचार भी है कि राजनीति में सब खराब लोग आ गये हैं। इसमें कोई आदमी अच्छा नहीं होता। यह इस देश के बाजार की ताकत बढ़ने के बाद ऐसा हो रहा है। यही सदन है, मैं पांचवी लोक सभा में आया था। मैंने यहां ऐसे-ऐसे शानदार लोग देखे हैं। जब मधु लिमये जी चलते थे, तो पार्लियामैंट चलती थी। जब वामपंथी लोगों की तरफ से श्री ज्योतिर्मय बसु बोलते थे, अटल जी बोलते थे, श्याम नंदन मिश्रा बोलते थे, मधु दंडवते बोलने थे, हिन्दुस्तान की राजनीति में जितनी त्याग और तपस्या है, उतनी दूसरी किसी लाइन में नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक आदमी हूं, लेकिन पूरे देश भर में एक प्रचार है कि राजनीति में ऐसे लोग हैं। यह पूरा खेल बाजार का है। यह बाजार आज नहीं आया है, बल्कि हजारों वर्षों से बाजार है। बाजार कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन बाजार ऐसी चीज हो जाये जिससे सब तरह की चीजों का इलाज हो जाये, ओढ़ने-बिछाने, खाने पीने से लेकर बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने की चीज हो जाये, तो बात बिगड़ जायेगी जो बिगड़ गयी है। गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। आज दो साल पूरे होने जा रहे हैं जब स्विस बैंक में एक खुलासा हुआ है। वह खुलासा क्या है? आपको वक्तव्य में पहले सौ दिन में सबसे पहले यही चीज देनी चाहिए। वहां जो लिस्ट है, उसे आप निकालिए। उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम है, उनको आप घोषित करो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। कौन साहूकार है और कौन लुटेरे हैं, किसने इस देश को तबाह और बर्बाद किया है, उनका पता लग जाये। आप बाद में पैसा लाइये, लेकिन अभी तो यह काम आप कर ही सकते हैं।

यह काम किसी कमीशन से नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है लूट। हमारे यहां कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कहावत में सच्चाई है। रिक्शेवाले का मन प्रसन्न नहीं होता जो गिट्टी-मिट्टी तोड़ना है उसका मन खुश नहीं होगा। घर चंगा तौ कठौती में गंगा है इस कहावत का मतलब। यह बहुत सीधी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि 100 दिनों में बड़ा काम आप करेंगे, भ्रष्टाचार और लूट मची है जितने काम आपने बनाए हैं। हमारी सरकार में हमने कहा था 23,000 करोड़ रुपए से गरीबों रेखा से नीचे वालों को अनाज देंगे, गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल लोगों को। लेकिन मैं अपने इलाकों से जानता हूं कि लूट होती है। हम अनाज वहां नहीं दे पा रहे हैं, वह ब्लैक होता है। आपका मिट्टी का तेल जो गरीबी की झोली में जाता है, वह भी नहीं दे सके इमानदारी से। क्यों नहीं दे सके? जो गरीब है उसका नाम बीपीएल में नहीं आता है और जो बीपीएल में नहीं हैं, उनके बहुत से लोगों के नाम आ जाते हैं। मैं फूड मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मालूम है। एनडीए की सरकार में हमने चार बार बैठक की। आपकी पार्टी के लोग इसके लिए मेरे पास कई बार आए, कांग्रेस पार्टी में बहुत ऐसे लोग हैं गरीबों के बारे में, देश की हकीकत के बारे में सोचते हैं। मैं गरीबी और देश के बारे में बात कह रहा हूं। 80-85 फीसदी लोगों से देश बनता है और देश बनता है इसलिए कि हम दुनिया भर में देखकर अपनी पीठ न थपथपा लें कि हमारा बहुत कमाल है। हमने ये कर दिया, हमने वह कर दिया। सब नकल की है आपने। जो विज्ञान है उसमें कोई खोज नहीं की आपने। नकल करना कोई बुरी चीज नहीं है। चीन और जापान ने पूरी खोज नहीं की है, नकल पर आगे बढ़ हैं, लेकिन अपनी भाषा के बल पर। हमारे बाजू में चीन है, हम सब तरफ देखते हैं, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखते हैं।

सभापति महोदया : आपकी पार्टी से एक अन्य माननीय सदस्य को अभी बोलना है।

श्री शरद यादव : महोदया, मेरे पास अभी समय है।

महोदया, हम चीन की तरफ नहीं देखते हैं कि हम लोहा कितना पैदा कर रहे हैं और वे कितना कर रहे हैं। अभी हमने न्युक्लियर डील की, चीन ने न्युक्लियर डील नहीं की। उसका पावर जेनरेशन 8,40,000 मेगावाट है और आपका पिछले 60-62 साल बाद पावर जेनरेशन 1,47,402 मेगावाट है। कहां हैं आप?

आप हमेशा टोकनिज्म पर जोर देते हैं। टोकनिज्म के बारे में कहा गया कि महिला आ गयी। महिला रिजर्वेशन पर बहुत लोग बोले हैं। मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि इसी देश में हम दुर्गा बनाते हैं, सीता बनाते हैं, काली बनाते हैं, सावित्री बनाते हैं, कौन कहता है महिला रिजर्वेशन, हम कहते हैं सौ फीसदी करो। लेकिन क्या इसे भारत की हकीकत को छोड़ कर करेंगे और कहेंगे कि सभी लोग सहमत हो जाओ? इस देश में चाहे ब्युरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकारें हों, सिर्फ सदन में थोड़ा बहुत चेहरा बदला है। गरीबों के हाथ में वोट आया है तो यहां हर तरह का इंसान, हर बिरादरी का मामूली आदमी यहां आ जाता है। आप 183 सीटें कर रहे हैं, आप दिल्ली से रिजर्वेशन से कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि सीता से लेकर इस देश में कितनी नारियां है जिनके बारे में दिन भर महिलाओं को बताया जाता है। हिंदुस्तान की मां गुलाम है जाति व्यवस्था के कारण। हिंदुस्तान की मां आजाद हो सकती है, हिंदुस्तान की सभी बीमारियां मिट सकती हैं, तोड़ो जाति को, हम सारे रिजर्वेशन वापस करेंगे। जाति तोड़ो, जाति बंधन करके मुट्ठी भर लोग इस देश को हजारों वर्ष से चला रहे हैं। इस लोकतंत्र में हम लोग यहां कुछ संख्या में आ गए। आपके दिल में दर्द है, हो सकता है आपके मन में न हो, लेकिन यह महिला रिजर्वेशन इस देश में आप शूद्रों और अति शूद्रों की संख्या घटाने के लिए लाए हैं। शरद यादव के बोलने में दिक्कत है। इनकी मीडिया और इनकी मेहनत, इनकी ओर से कोई आंदोलन होता, धरती से कोई आंदोलन होता जैसा जयप्रकाश का आंदोलन था।

कोई धरती से आंदोलन होता, जय प्रकाश जी जैसा आंदोलन होता, वैसा कोई दूसरा धरती से जुड़ा आंदोलन होता, तो आप जरूर करते। लेकिन बिना आंदोलन के कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी और कहेंगी कि महिलाओं को आरक्षण चाहिए। हमारे पास संख्या भले न हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जैसे सुकरात उसूलों के लिए लड़ते-लड़ते जहर खाकर मर गया, मैं भी उसूलों के लिए लड़ते लड़ते मरने को तैयार हूं। सच्चाई यह है कि इस देश में दबी-कुचली 80-90 प्रतिशत महिलाओं का गला काटकर ये महिला आरक्षण लाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि इस देश में सावित्री और सीता तो प्रतीक नारी हैं, लेकिन इस देश की सबसे तेजस्वनी महिला द्रौपदी का कोई नाम नहीं लेता। मैं कहना चाहता हूं कि जो यह जाति व्यवस्था है और जो यौनावस्था का कांसेप्ट है, उसके चलते उसे गुलाम बनाकर रखा गया है। इसलिए जाति तोड़ो, महिलाओं का आरक्षण अपने आप सामने आ जाएगा। द्रौपदी जैसी तेजस्वनी महिला ने किसी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया, किसी बाधा या किसी जगह समझौता नहीं किया, फिर भी वह प्रतीक नारी नहीं है। उसमें 99 गुण थे, सिर्फ वह प्रतिव्रता नहीं थी, उसके पांच पति थे। सिर्फ हिन्दुस्तान की औरत को पतिव्रता के साथ वफादार होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन यह वफादारी हिन्दुस्तान की आधी मां और आधी औरत को गुलाम बना दे, उसे पूरी तरह जजीरों में जकड़ दे, तो उसे तोड़े बिना महिलाओं के आरक्षण से उनकी आजादी हो जाएगी, यह वास्तविकता नहीं है। केवल किसी महिला को अध्यक्ष या राष्ट्रपति बनाने से ही काम नहीं चलेगा, यह टोटका है। हम इससे कभी सहमत होने वाले नहीं हैं। हिन्दुस्तान की औरत तो कैद है शूद्रों की, कैद है ज्यादा पतियों की, ज्यादा शराब पीने वाले पतियों की, उनके द्वारा सताई जाती है इसलिए पहले इसे लिबरेट करना चाहिए। हम कामन सिविल कोड की बात करते हैं, क्यों हम मुस्लिम औरतों को मौका देते। इससे बड़ा मौका और क्या होगा कि हम उन्हें अवसर दें।

सभापति जी, जब इस विषय पर बहस होगी, तब हम अपनी बात कहेंगे। मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं नारायण स्वामी जी कि आपने जो इसमें लिखा है, वह भजन है, उससे स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे, यह पता नहीं चलता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ भजन से देश नहीं बनता, सार्थक तरीके से और साफ आचरण करने से देश बनता है। गांधी जी बुत नहीं हैं, अम्बेडकर जी बुत नहीं हैं, उनके विचारों को मार कर हम हिन्दुस्तान को आगे बढ़ा पाएंगे, यह सम्भव नहीं लगता। हमने उन्हें मार दिया है, उन्हें गिरा दिया है, उन पर मिट्टी डाल रहे हैं। हम गांधी जी, लोहिया जी, जय प्रकाश जी, चरण सिंह जी और कबीर के विचारों को नहीं अपना रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कबीर से बड़ा आदमी दुनिया में और कोई नहीं है। सभापति जी, आप जिस पार्टी से वास्ता रखते हैं, वह मार्क्सवाद को समझाने के लिए पूरा दास केपिटल का पोथा लिखती है, तब कहीं मार्क्सवाद समझा सकती है। लेकिन कबीर जी ने सिर्फ एक वाक्य में ही यह कह दिया है-

साईं इतना दीजिए जा में कुटुम्ब समाए
न मैं भूखा सोऊं, न साधु भूखा जाए।

यही बाद दास केपिटल में कही गई है। इसलिए इन लोगों के विचारों को हम यदि भजन और उन्हें बुत बनाकर रखेंगे, देश नहीं बन सकता। उनके विचारों को जमीन पर उतारना है तो सबको सच्चा आचरण करना पड़ेगा।

मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि आपको मौका मिला है, तो आप इससे ऐसी छेड़खानी न करें, जिससे अधूरी बात ही हो पाए

[श्री शरद यादव]

और जो आपको खा जाए। यह सरकार आपके लिए शेर की सवारी है, सम्भल कर चलें। हम तो विरोध में हैं और विरोध में हैं तो पूरी तरह से विरोध में हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। उन्होंने इस बार हिन्दी में भाषण दिया। पिछली बार अंग्रेजी में दिया था। मैं उनसे कहूंगा कि आप अच्छी हिन्दी बोलती है इसलिए हिन्दी बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से संबंधित चर्चा में मुझे लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

संसद की दोनों सभाओं में माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण वर्ष 2004 से चलाए जा रहे लक्ष्यों, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की वचनबद्धता को दोहराया गया है। आखिरकार, प्रत्येक सरकार जो पुन: चुनकर आती है, हाल के दशकों में यह भारतीय राजनीति का दुर्लभ परिदृश्य है, यह विश्वास करती है कि चुनाव में सफलता का कारण उसका कार्य निष्पादन है।

माननीय राष्ट्रपति जी ने 100 दिन और अगले पांच वर्षों का कार्यक्रम निर्धारित किया है। यह एक प्रभावित करने वाली कार्य सूची है। यदि इस महत्त्वाकांक्षी चार्टर का आधा कार्य भी पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से इससे भारतीय समाज बदल जाएगा। इसलिए नि:संदेह इसकी परीक्षा इनके कार्यान्वियन में होगी। कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। परन्तु इसके लिए बजटीय सहायता की आवश्यकता होगी जो उच्च विकास दर से सृजित अधिशेष से ही संभव है।

ऐसी कई योजनाएं एवं कार्यक्रम ये चाहे वे वित्त क्षेत्र अथवा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग संबंधी हों, इनकों वर्ष 2004 से 2008 के दौरान कार्यान्वित नहीं किया गया। पुन:, इन सभी का उल्लेख राष्ट्रपति अभिभाषण में है। पुन:, सरकार ने जन सेवा के कार्यों में सुधार सहित शहरीकरण और प्रशासनिक सुधार जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया है।

माननीय राष्ट्रीय महोदया ने पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को संस्थागत रूप देने पर बल दिया है। एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया जाएगा। लोगों को वार्षिक प्रतिवेदन के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण और अवसंरचना के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये सभी ऐसे प्रस्ताव हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति स्वागत करेगा शायद सरकार यह समझ गई है कि वास्तविक अवरोधक क्या है। हाल ही में, हांगकांग स्थित एक कंसलटैन्सी ने भारत को नौकरशाही की गुणवत्ता के संदर्भ में 12 देशों में स्थान दिया है।

लक्षित क्षेत्रों में से सरकार एक ऐसा क्षेत्र है जिसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन जिन योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गयी है वह बहुत ही अस्पष्ट है। जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी नौकरशाही में गहन सुधार करने में अपनी झिझक को दूर नहीं करते तब तक अधिक आशा नहीं कि जा सकती।

एक नयी खाद्य सुरक्षा योजना का सृजन करके गरीब लोगों के लिए मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए काफी कुछ कहा गया है जिससे प्रत्येक गरीब परिवार को 25 किलोग्राम चावल अथवा गेहूं तीन रुपए किलो के हिसाब से प्रत्येक माह मिलने की गारन्टी मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं, इसमें 50,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक की लागत आ सकती है। लेकिन सुपुर्दगी तंत्र क्या है? 100 दिन के अन्दर 25 विशेष कार्य किए जाने वाले हैं, और इनमें से एक है लक्षित पहचान वालों के कार्ड बीपीएल कार्ड का स्थान लेंगे। लेकिन 100 दिनों के अन्दर इस काम को पूरा करने के लिए आज सरकार के पास कौन-सा तंत्र उपलब्ध है? एक जॉब कार्ड है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम नरेगा के लिए प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए दूसरा कार्ड बनाना पड़ेंगा। गरीब लोगों के पास कितने कार्ड होंगे? ये लक्ष्य स्वयं में बुरे नहीं हैं। लेकिन इससे बाद में दो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। प्रथम, घाटे में चल रही सरकार इसे कैसे वित्त पोषित करेगी? दूसरे, भ्रष्ट नौकरशाही इसे कैसे कार्यान्वित करेगी?

माननीय राष्ट्रपति ने 25 कार्यों का उल्लेख किया है जिन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार प्रथम 100 दिनों में पूरा करेगी। इनमें से एक का भी संबंध आर्थिक सुधारों से नहीं है। अधिकांश सुधार जिन्हें किए जाने की आवश्यकता है, के लिए सघन विधायी कार्य और राज्यों के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों में भारत ने अपने कई पुराने नियमों को बदलना है।

मुझे हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के वर्ष 2008 में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से संबंधित दो पत्रों का स्मरण हो रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया : लालू जी, आप क्या बोल रहे हैं?

श्री लाल प्रसाद (सारन) : महोदया, हम लोग बैठ कर बोल रहे हैं।

सभापति महोदया : आप शांत बैठ कर माननीय सदस्य का भाषण सुनिए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, एक समय ऐसा आएगा जब बिहार के वरिष्ठ सदस्य भी कोसी नदी और उसके द्वारा मचाई गयी तबाही के बारे में चर्चा करेंगे। मैं सुवर्णरेखा तथा महानदी द्वारा भी वर्ष 2008 में जुलाई और सितम्बर में मचाई गई तबाही का उल्लेख कर रहा हूं।

उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री उड़ीसा गए और उन्होंने मीडिया तथा जनता के सामने कुछ वायदे किए। वापस दिल्ली आकर उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए एक पत्र भी भेजा कि उड़ीसा राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि दी जायेगी। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है और वास्तव में मुझे दुख हुआ है कि 27 अप्रैल, 2009-23 अप्रैल 2009 को उड़ीसा में मतदान का दूसरा चरण पूरा हुआ- 27 अप्रैल 2009 को इस सरकार से एक पत्र गया जिसे मैं उद्धृत करता हूं: वर्तमान आपदा के लिए एन.सी. सी.एफ. से कोई राशि जारी नहीं की जायेगी।''

जून और सितम्बर 2008 में उड़ीसा में सुवर्ण रेखा और महानदी में भी भारी बाढ़ आई थी। 23 सितम्बर को माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। तत्पश्चात् उन्होंने 29 सितम्बर 2008 को अपने पत्र से इसकी पुष्टि की। लेकिन वास्तव में एन.सी.सी.सी.एफ. से मात्र 98 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई ...*(व्यवधान)* 27 अप्रैल, 2009 को गृह मंत्रालय ने एक पत्र भेजा और वर्तमान आपदा के लिए एन.सी. सी.एफ. से जारी की जाने वाली राशि को शून्य बताया।

इसके अतिरिक्त, जले पर नमक छिड़कने के लिए उड़ीसा सरकार को एन.सी.सी.एफ. से जारी की गई 80.899 करोड़ रुपए की अन्य राशि वापस करने के लिए कहा गया जिसमें 2006 की बाढ़ के दौरान एन.सी.सी.एफ. से जारी की गई 25 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

सभापति महोदया, 2006 में उड़ीसा राज्य में विध्वंसक बाढ़ आने के पश्चात् माननीय प्रधान मंत्री ने उड़ीसा का दौरा किया था। तब माननीय प्रधान मंत्री ने 500 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और हमें 25 करोड़ रुपए मिले थे और 27 अप्रैल 2009 को सरकार हमें 80 करोड़ रुपए वापस करने के लिए कह रही है। जो 2006 में खर्च हो गये थे। ऐसी सरकार है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, इसी तरह का पत्र ज्यों का त्यों बिहार सरकार के पास गया है। कोसी नदी को इन्होंने कहा कि यह विप्लव है और माननीय सदस्य जैसा लैटर पढ़ रहे हैं, इसी तरह का पत्र बिहार सरकार के पास गया है। पुनर्निर्माण के लिए 14800 करोड़ रुपए के बारे में बोलने का काम भी इन्होंने किया है। यह जिम्मेदारी आपकी है। उड़ीसा के बारे में श्री महताब जी जो बोल रहे हैं, वह ज्यों का त्यों बिहार के साथ हुआ है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : यह वास्तव में न केवल अचंभित करने वाली बात है, बल्कि केन्द्रीय ग्रह मंत्री और देश के प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा, जिसकी बाद में लिखित पत्रों के माध्यम से भी पुष्टि की गई थी, का मुद्दा मजाक है 19, नवम्बर 2008 को उड़ीसा सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

सभापति महोदया जैसा कि आप जानते हैं और यह सभा भी जानती है कि उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाओं ने बार-बार तबाही मचाई है, चाहे वह बाढ़ हो, चक्रवात हो या फिर सूखा। लेकिन केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? आप इस तरह ही किसी राज्य के साथ व्यवहार करते हैं जो इस संघीय ढ़ाचें का हिस्सा हैं। क्या सरकार का ऐसा रवैया होना चाहिए? क्या सरकार किसी पिछड़े राज्य का इस तरह उत्थान करती है। नब्बे दशक के प्रारम्भ में सभापति महोदया आप साक्षी हैं- दक्षिण उड़ीसा के एक बड़े भाग, जिसे के बीके जिले के नाम से जाना जाता था और जिसे बाद में 10 जिलों में परिवर्तित कर दिया गया था तथा जिसका भूगौलिक क्षेत्र केरल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में समान है, के लिए दस से बारह वर्षों के लिए एक विशेष योजना बनाई गई थी। इसके पीछे यह विचार था कि उस क्षेत्र की धन खर्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाये। वर्ष 2006-07 में जब योजना अंतिम चरण में थी तो हमने माननीय प्रधान मंत्री पिछली सरकार से यह निवेदन किया था कि इस कार्यक्रम को कम से कम अगली योजनावधि तक जारी रखने की अनुमति दी जाए लेकिन हमें कहा गया कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। निसंदेह, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, लेकिन के.बी.के. के उस सुखा-ग्रस्त क्षेत्र और वहां के गरीबों की

[श्री भर्तृहरि महताब]

मदद के लिए जब केन्द्र सरकार नहीं आई जहां अभी-भी प्रवास हो रहा है और जहां कुछ सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है, वहां धनराशि खर्च करने की क्षमता धीरे-धीरे बढ़ाई गई है। उड़ीसा सरकार पिछले पांच से छह वर्षों के अन्दर उसके द्वारा सृजित राजस्व की बहुत कम राशि से एक कार्यक्रम शुरू किया। बीजू के बी के योजना के रूप में राज्य सरकार, श्री नवीन पटनायक द्वारा एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया था।

आपने हमारे ऊपर विभिन्न राज्यों पर अनेक कार्यक्रम चलाने के लिए जोर डाला हैं। कुछ और कार्यक्रम चलाने के लिए भी हमारे ऊपर जोर डाला जाएगा जैसाकि बताया गया है। इन कार्यक्रमों को चलाए जाने की विभिन्न राज्यों में क्या-क्या क्षमता है? इसलिए उड़ीसा विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग कर रहा है। विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है? इसलिए आप जो भी कार्यक्रम, विशेषकर गरीबों के लिए कार्यक्रम लागू करेंगे उसमें केन्द्र 90 प्रतिशत धनराशि और राज्य सरकार 10 प्रतिशत धनराशि प्रदान करेगी। देश के विभिन्न जिलों में कतिपय विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे है लेकिन उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य होने के कारण उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अपराह्न 2.59 बजे

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*]

जब में यहां विचार विमर्श कर रहा था तब मुझे माननीय राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा के बारे में यह स्मरण कराया गया कि यह सरकार एक महीने में 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम चावल अथवा गेहूं देने वाली है। उड़ीसा में पिछली अगस्त से ही 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह 25 किलोग्राम अनाज दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)* राज्य ऐसा कर रहे हैं। तमिलनाडु ऐसा कर रहा है। आंध्र प्रदेश ऐसा कर रहा है। छत्तीसगढ़ ऐसा कर रहा है। लेकिन उड़ीसा ऐसा पिछली अगस्त से कर रहा है। मेरा यहां यह कहना हे कि यह कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है। जब हम जो कुछ उड़ीसा ने किया है उसका अनुसरण करे। उड़ीसा में चार विशेष निद निर्धारित किये गए हैं अर्थात प्रत्येक माह में दस दिनों के अंतराल पर 11वीं, 12वीं, 20वीं और 21वीं तारीख निर्धारित की जाती है।

अपराह्न 3.00 बजे

इसलिए वहां गरीब आदमी चावल अथवा गेहूं खरीदने में सक्षम होगा। कोई परिवार एक बार में 25 कि.ग्रा. चावल या गेहूं खरीदने की स्थिति में नहीं हो सकता है। इसलिए उन्हें दो बार में अथवा तीन बार में अथवा चार बार में खरीदने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। तथापि यह सुनिश्चित किया जाए कि चावल अथवा गेहूं उन दुकानों में उपलब्ध हो। श्री नवीन पटनायक की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन चार दिनों में खाद्यान्न उपलब्ध होगा और चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर अथवा कितना भी क्यों न हो और यदि कहीं कोई विसंगति होती है कठोर कार्रवाई की जाए। मुझे माननीय राष्ट्रपति के भाषण में ऐसे किसी तंत्र के बारे में उल्लेख नहीं दिखाई पड़ता है जो इसे गरीबों तक पहुंचाने में सहायक होगा।

जहां तक धनराशि संबंधी पहलू का प्रश्न है हमें संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर होना पड़ता है। यदि हम इस विश्व के विभिन्न भागों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वैश्विक दृष्टिकोण देखें-चाहे यह ब्राजील अफ्रीका देश अथवा दक्षिण एशिया के देश ही क्यों न हो तब हम पाते हैं कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वाधिक बड़ी वितरण प्रणाली है लेकिल यह बहुत ही खराब ओर भ्रष्ट प्रणाली है। जम्मू-कश्मीर में एक अलग प्रणाली है।

सभापति महोदय : श्री महताब, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : अनेक राज्यों में अलग-अलग प्रणाली है। मैं खाद्य मंत्रियों को आमंत्रित करूंगा और एक समान प्रणाली तथा एक उचित प्रणाली अपनाने का आह्वान करूंगा जो वास्ताव में उपयोगी हो।

आज मुझे यूनिसेफ की रिपोर्ट के बारे में स्मरण कराया गया है जिसके अंतर्गत सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और निर्वाचित सरकारों को इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण 20 मिलियन भारतीयों को हर रोज भूखे पेट सोना पड़ता है। आज भारत में भूखे लोगों की संख्या 2004-06 के 209.5 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2007-08 के अंत तक 230 मिलियन हो गई है। यह दक्षिण एशिया में महिला ओर बच्चों पर आर्थिक संकट का प्रभाव नामक रिपोर्ट है।

मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। संकट को एक अवसर के रूप में लेने की आवश्यकता है। गरीबों पर अधिक धनराशि खर्च करना चाहिए; ऐसे राज्यों में अधिक धनराशि खर्च करनी चाहिए जो पिछड़े हैं और इसे देश की आबादी के ऐसे बड़े तबके के लिए अधिक धनराशि खर्च करनी चाहिए जिन्होंने हमे चुना है।

इसमें से कई लोग लखपति या करोड़पति या इससे भी अधिक है और तुलनात्मक रूप से अमीर है लेकिन हम ऐसे गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करते जिन्हें लोकतंत्र में विश्वास है और जिन्हे इस गणतंत्र में यकीन है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : महताब जी, धन्यवाद।

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपनी समय सीमा का ध्यान रखें।

अब अगले वक्ता डा. एम. तम्बिदुरई हैं।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : आदरणीय सभापति जी माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 04 जून, 2009 को संसद के दोनों सभाओं के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेना मेरे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है।

सर्वप्रथम, मैं अपनी नेता अपनी पार्टी की महासचिव श्री पुराची तल्वी अम्मा का मुझमें विश्वास जताने और करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मुझे ए.आई.डी.एम.के. का उम्मीदवार बनाने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

मैं विशेष रूप से करूर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और सामान्य रूप से तमिलनाडु राज्य के लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे देश के सर्वोच्च लोक मंच पर उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया।

माननीया राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं। उनके अभिभाषण में इनमें से कुछ मुद्दों का अप्रत्यक्ष उल्लेख किया गया है और कुछ का तो उल्लेख ही नहीं किया गया है। मैं इन्हीं मुद्दों को क्रमवार उठाना चाहता हूं।

भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। अत: यहां चुनाव कराना अत्यंत कठिन कार्य है। लोगों की यह अपेक्षा होती है कि निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी हो और चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ही हो। इस संदर्भ में, मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि कम-से-कम जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, हाल ही में हुए लोक सभा चुनाव न तो स्वतंत्र थे और न ही निष्पक्ष।

ए.आई.ए.डी.एम.के. की महासचिव, पुराची तल्वी जयललिता, माननीया अम्मा ने विगत में कई बार इन इलैक्ट्रानिक वोटिंग (ई.वी.एम.) मशीनों के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं। हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के दौरान, हमें पूरा विश्वास है कि इन वोटिंग मशीनों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई थी।

कई विकसित देशों ने इन इलैक्ट्रानिक वोटिंक मशीनों का प्रयोग किया है लेकिन उन्हें विश्वसनीय न पाकर बाद में उन्होंने पुन: बैलट पेपरों का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया। क्या मतदाता के पास ऐसा कोई उपाय है जिससे वह यह पता लगा सके कि उसका मत वास्तव में किसको गया है? नहीं। किसी व्यक्ति द्वारा अपना वोट डाले जाने के पश्चात बीप की आवाज सुनाई देती है और उस उम्मीदवार जिसको उसने वोट दिया है, के चुनाव चिन्ह के सामने की लाल बत्ती जलती है। लेकिन क्या वोट वास्तव में उसी व्यक्ति को मिला जिसके लिए उसने वोट डाला था? यह जानने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत, एक बैलट पेपर में व्यक्ति को पूरा पता होता है कि उसने किसको वोट डाला है क्योंकि वह अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर स्वयं मोहर लगाता है।

जब तक ऐसी पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों को त्रुटिरहित नहीं माना जा सकता। ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से, लोकतंत्र के संबंध में वास्तविक रूप से चिंतित सभी दलों से मैं आग्रह करता हूं। कि वे भारतीय वोटिंग मशीनों का विश्लेषण करें ताकि किसी के दिमाग में कोई भ्रांति न रहे ऐसे समय में इस सभा को चुपचाप बैठे रहना ठीक नहीं है जब बाहर लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो।

मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब मिले। बहुत से लोग जो अपने साथ वैध मतदाता पहचान पत्र लेकर वोट डालने आए थे उन्हें बताया गया कि उनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। यदि वास्तविक मतदाताओं के बड़े समूह को वोट डालने के मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है तो हम केवल यही कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यदि इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया गया तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजाक के रूप में देखा जाएगा।

सभा को यह जानकर दुख होगा कि लोक सभा चुनावों से कुछ दिन पहले अर्थात् दिनांक 8.5.2009 को करूर में मेरे निवास स्थान पर राज्य सरकार के पुलिस विभाग के अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया। मेरे निवास स्थान पर रात 9 बजे से अगली सुबह तीन बजे तक मेरी अनुपस्थिति में छापा मारा गया। संभवत:,

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

पूरे भारत में मैं ही ऐसा एकमात्र उम्मीदवार हूं जिसने चुनावों से पहले इस तरह का आघात झेला था। उन्हें मेरे निवास स्थान पर कुछ भी नहीं मिला लेकिन राज्य सरकार ने आतंक उत्पन्न कर दिया था और मुझे चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी ही अड़चनों की धमकी दी थी। लेकिन वह कम-से-कम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सफल नहीं हो सके। प्रशासन ने मुझे एक रसीद दी जो इस बात का प्रमाण है कि मेरे निवास स्थान पर छापा मारा गया और कुछ भी नहीं मिला। इससे राज्य सरकार के परोक्ष उद्देश्य का पता चलता है।

मेरी पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में अच्छा लोकतंत्र हो। एक परिवार सम्पूर्ण क्षेत्र को नियंत्रित नहीं कर सकता। हमारी पार्टी का दृढ़ मत है कि 'परिवारवाद' शासन का अंत होना चाहिए। देखिए तमिलनाडु में क्या हो रहा है। पेरारिंगर अन्ना ने डी.एम.के. पार्टी को एक परिवार में बदल दिया और इसके ठीक विपरीत तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य मंत्री अपने परिवार को पार्टी पर हावी कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री आधि शंकर (कल्लाकुरिची) : महोदय, उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना चाहिए, लेकिन वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

डा. एम. तम्बिदुरई : उनका छोटा बेटा तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री है, बड़ा बेटा केन्द्र में कैबिनेट मंत्री है, उनका नाती भी केन्द्र में कैबिनेट मंत्री है और उनकी बेटी राज्य सभा की सदस्या है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया अपना स्थान-ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री आधि शंकर : महोदय, वे राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े मुद्दों पर बिलकुल नहीं बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपना स्थान क्यों नहीं ग्रहण करते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : डा. तम्बिदुरई, आप इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय सदस्य जिस बारे में बोल रहे थे, पीठासीन सभापति ने अब तक इस संबंध में हस्तक्षेप करना नहीं चाहा। अब तक आपने जो कुछ कहा है उसका राष्ट्रपति के अभिभाषण से कोई लेना-देना नहीं है। कृपया विषय के संबंध में बोलें। अन्यथा मुझे व्यवस्था देनी पड़ेगी आपके मामले मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं और आपने जो कुछ कहा है मैं उसे कार्यवाही-वृतान्त से नहीं निकाल रहा हूं। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसे जारी मत रखिए। आपको विषय के बारे में बोलना है।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : महोदय, सुबह प्रति पक्ष के नेता श्री आडवाणी ने कहा था कि राष्ट्रपति के पूरे अभिभाषण में भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरी तरह और शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है जो माननीय अर्थव्यवस्था में दिन-दूनी रात चौगनी गति से बढ़ती जा रही है। इसका नियंत्रक ओर महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा उनके प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया गया था जिसने सरकार को अनेक कार्यक्रमों के धीमें क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहाराया था। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में बेकार पड़े। माननीय धनराशि को वापस लाने के लिए कठोर और शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें अनावाश्यक विधानों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। हमें पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए। हमें कर वंचकों, काला बाजारियों, जमाखोरों और सट्टेबाजों को दंडित करने की आवश्यकता है। हमें जाली नोटों के मामलों को युद्ध-स्तर पर निपटाना पड़ेगा।

3जी स्पेट्रम के मामले पर देश नई सरकार से चाहता है कि वह नीलामी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न पहलुओं को सुलझाए। यद्यपि लोगों तक मोबाइल की पहुंच बहुत तेजी से बढ़ी है। जिससे दूरसंचार-घनत्व बढ़ा है लेकिन स्पेक्ट्रम के आवंटन में पारदर्शिता का अभाव है। सरकार को इस मुद्दे पर पारदर्शिता अपनानी होगी। शुरू में सरकार 30,000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान लगा रही थी। लेकिन बाद में यह घटकर 20,000 करोड़ रुपया रह गया। इसने अनेक विवादों को जन्म दिया है और सरकार पर अनाचार का आरोप लगाया गया। अब वही मंत्री उस मंत्रालय के प्रभारी बने हैं और देश यह समझने में असमर्थ है कि प्रधान मंत्री इस स्थिति से कैसे निपटेगें। संचार मंत्री द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन को सबसे बढ़ा घोटाला समझा गया है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त किए बिना मंत्री ने स्वान और यूनिटेक जैसे रियल स्टेट कंपनी को पहले आओ पहले जाओ के आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया।...*(व्यवधान)*

श्री आधि शंकर : सभापति महोदय, इन मामलों को राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी चर्चा में उठाने की अनुमति प्राप्त नहीं हैं।

सभापति महोदय : कृपया धैर्य रखें। आपकी बारी जब आए तब बोलें। कृपया आप इस तरह व्यवधान न डालें।

श्री आधि शंकर : महोदय, आप इस तरह अनुमति नहीं प्रदान कर सकते।

सभापति महोदय : आप इसका निर्णय नहीं ले सकते। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पीठासीन सभापति की व्यवस्था पर आप आपत्ति नहीं उठा सकते। मैं पहले ही उनको कह चुका हूं।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : देश को इस अनुचित सौदे में लगभग लाख करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हुआ है। मुख्य सतर्कता आयुक्त इन अनियमितताओं की पहले ही पुष्टि कर चुके हैं।

29 मई को दिल्ली उच्च न्यायलय ने टिप्पणी की कि स्पैक्ट्रम आवंटन 'सिनेमा की टिकटों की बिक्री' के आधार पर किया गया था। एक बार पहले भी मंत्री महोदय ने संसद को गुमराह किया है। इन सब अनियमितताओं को देखते हुए प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और इन 2 जी लाइसेंसों को रद्द कर देना चाहिए।

मुझे समझ नहीं आ रहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में कच्चे तेल, पेट्रोल आदि के बारे में एक शब्द का भी उल्लेख क्यों नहीं किया गया। पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मूल्य से आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यही सब्जियों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट आई है लेकिन इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों में कमी नहीं आई। सरकार ने इसका उल्लेख नहीं किया है।

भारत ने पिछले दशक में, और अब मंदी के कारण बेरोजगारी में हो रही वृद्धि को देखा है। चिंता की बात यह है कि अब 55 मिलियन से भी ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए है; अत: रक्षा तथा केन्द्रीय सेवाओं में छह लाख रिक्तियां भरने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सेवाओं में पांच लाख नैमित्तिक श्रमिकों को भी नियमित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा डाक सेवाओं में तीन लाख विभागेत्तर लोगों को नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

बिजली के बार-बार चले जाने के कारण बहुत से उद्योगों को बंद करना पड़ा, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त 13,000 मेगावाट बिजली दिए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक राज्य की आवश्यकता भी लगभग उतनी ही है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समस्या के निपटान के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बेरोजगारी के कारण युवक कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुंठाग्रस्त युवक हिंसा तथा अन्य तरह के अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। केन्द्र तथा राज्यों के बीच ठोस और समन्यवित प्रयास किए जाने चाहिए। इस समस्या की ओर सरकार को ध्यान देना होगा।

सबसे बड़ी समस्या जिसका सामना आज भारत कर रहा है, वह आतंकवाद है। यहां बार-बार आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जिनका निशाना बेसहाय जनता बनी है और जिसमें हजारों लोगों की जाने गई हैं। ऐसे समय में जब अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने अपने देश में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए कठोर कानून बनाए हैं, वहीं भारत सरकार मौजूदा कानून को निरस्त कर दिया हैं जिसके फलस्वरूप देश के अंदर तथा बाहर से आतंकवादी हमलों का रास्ता खुल गया।

26 नवम्बर को मुम्बई हमलें में 164 जानें गई जिससे पूरे विश्व का ध्यान भारत में आतंकवाद की समस्या की ओर गया। आतंकवादियों को सजा देने में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले पांच वर्षों में भारत में हमले की लगभग 20 बड़ी घटनाएं हुई जिसमें हजार से अधिक जानें गई तथा अनेकों घायल हुए लेकिन एक को भी सजा नहीं हुई।

हमारी मांग है कि आतंकवाद रोधी सख्त कानून बनाने के साथ-साथ पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाएं हम सभी नागरिकों को चिप वाले राष्ट्रीय नागरिक पहचान पत्र (नेशनल सिटिजन आईडंटी कार्ड) दिए जाने की भी मांग करते हैं। आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को रोकने के लिए सभी राज्यों में कंमाडों इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए।

पुलिस बलों तथा सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण किए जाने की भी आवश्यकता है। रक्षा बजट को सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 2.5 3.5 प्रतिशत बढ़ाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। हमें पुलिस तथा सशस्त्र बलों के कर्मिकों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि इस देश के प्रतिभाशाली युवकों के लिए यह आकर्षित बन सकें। सेवाओं की वर्तमान रिक्तियां को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए।

बिजली के बार-बार जाने के कारण खेती प्रभावित हुई हैं। किसानों को राजसहायता का अभाव, श्रम की अधिक लागत, उर्वरकों की अनुपब्लता, कम खरीद मूल्य, खराब सिंचाई सुविधाएं तथा अनेकों अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय कृषक समुदाय केवल ऋण माफी ही नहीं चाहिए। जिससे कुछ अमीर किसानों को ही लाभ मिलता है, बल्कि उनकी सभी समस्याओं के लिए एक व्यापक

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

पुर्नवास पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है। अगर शीघ्र ही ऐसा नहीं किया गया तो कृषि पूरी तरह अलाभकारी हो जाएगी तथा ज्यादा से ज्यादा किसान दूसरे व्यवसायों को अपना लेंगे। भारत को उन सभी कृषि उत्पादों का भी आयात शुरू करना पड़ेगा जिनकी कभी हमारे यहां अधिकता थी। ए आई ए डी एम के पार्टी की महासचिव जे. जयललिता माननीय अम्मा जी की ओर से हम सविनय निवेदन करते हैं कि गैर राष्ट्रीय कृत वाणिज्यक बैंकों से लिए गए कृषि ऋणों सहित सभी मौजूदा कृषि ऋणों को माफ कर देना चाहिए।

लाभकारी खरीद मूल्य निर्धारित करने के लिए किसान आयोग गठित किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि गन्ने का खरीद मूल्य 2000 रुपए प्रतिटन अवश्य निर्धारित किया जाना चाहिए और धान का खरीद मूल्य भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

करूर अपने वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यह कई कारणों से, खासकर बार-बार बिजली की कटौति के कारण प्रभावित हुआ।

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : इन उद्योगों की कई शिफ्टें बंद कर दी गयी हैं जिससे करूर और निकटवर्ती क्षेत्रों में बेरोजगारी हो गयी। वस्त्रों का निर्यात प्रभावित हुआ। इस उद्योग में 3000 करोड़ रुपए की राशि परिचालन में थी जो घटकर 1000 करोड़ रुपए रह गयी है।

26 जून 1974 के समझौते के अंतर्गत कच्चातिवू को श्रीलंका को उपहार स्वरूप देना न केवल संवैधानिक विधि के अंतर्गत अवैध था बल्कि इससे रामेश्वरम तट से अपना कार्य करने वाले भारतीय मछुआरों के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गयीं। कच्चातिवू का अलग हो जाना असंवैधानिक था। 1960 के बेरूबड़ी मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारत के किसी क्षेत्र के किसी भाग को किसी विदेशी राज्य के पक्ष में केवल भारत के संविधान में संशोधन द्वारा ही अलग किया जा सकता है और जिसका संसद द्वारा भी अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। भारत सरकार को श्रीलंका के साथ हुए इस समझौते को विखंडित कर देना चाहिए। यहां तक कि हमारी पार्टी की महासचिव महोदय ने भी इस बात पर बल दिया था।

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद के संबंध में, मैं निम्नलिखित बातें कहना चाहता हूं। मुल्लापेरियार बांध विवाद का समाधान दूर तक नजर नहीं आता। हमें जलाशय स्तर बढ़ाना होगा जिससे थेनी, मदुरै, शिवगंगा, रामनाथपुरम और डिंडिगुल जिलों को लाभ मिलेगा।

मैं पलार नदी के बारे में कुछ कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अगले वक्ता श्री अरुण मेघवाल।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : मैं केवल एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा।

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। अपने अधिक समय लिया है।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा।

यह सभा श्रीलंका में तमिल लोगों की दुर्दशा के बारे में तमिलनाडु की भावनाओं से भली-भांति परिचित है। हमें प्रतिदिन मीडिया से श्रीलंका के शिविरों में लगभग 3.5 लाख तमिल लोगों की दुर्दशा के बारे में भयावह खबरें मिल रहीं हैं।

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. एम. तमिबदुरई : मैं केवल इसी मुद्दे पर बोलूगा और तत्पश्चात् अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बन की मून का इस द्वीप के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों के दौरे ने कुछ चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं।

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इस तरह अपनी बात जारी नहीं रख सकते।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : इस क्षेत्र का दौरा करने के बाद, बन की मून इतने आहत हुए कि उन्होंने यहां तक कहा कि फंसे हुए नागरिकों ने अवश्य ही अत्याधिक अमानवीय कष्ट झेलें होंगे।

अब राहत कार्य की व्यापक जरूरत है। इससे पहले कि भुखमरी, रोग और अभावों से सम्पूर्ण जाति समाप्त हो जाएए भारत सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

सभापति महोदय : नहीं। आप इस तरह अपनी बात जारी नहीं रख सकते। कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : हमारी मांग है कि श्रीलंका में तमिलों के पुनर्वास और राहत कार्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाए। सिंहली और श्रीलंकाई तमिलों को शांतिपूर्वक रहना चाहिए; दोनों को समान अधिकार और समान दर्जा मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : डा. तम्बिदुरई के भाषण को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री मेघवाल अपना भाषण आरंभ कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वरिष्ठ सदस्य बहुत ही अनुचित तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। डॉ. तम्बिदुरई, आप एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : माननीय सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पक्ष में धन्यवाद प्रस्ताव आया है उस पर मैं भी अपना पक्ष रख रहा हूं। जो विषय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में टच किए हैं, उनमें कुछ ऐसे विषय हैं, जिन पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं उन विषयों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभिभाषण में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल की बात कही गई है। हम इसका समर्थन करते हैं लेकिन अभिभाषण में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कुछ नहीं कहा गया है, जबकि कन्या भ्रूण हत्या, देश में एक महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। लिंग-भेद बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे स्टेट हैं, जहां लिंग-भेद अनुपात बिगड़ता जा रहा है और यह चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। इस विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, जो मेगा हाइवे बन रहे हैं, जिन्हें नैशनल हाइवे अथौरिटी आफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है। इस अथौरिटी द्वारा सड़कें बनाकर देश के विकास के लिए एक बड़ा काम किया जा रहा है, लेकिन जो एकसीडेंटल डैथ्स हो रही हैं, उनमें जो मुआवजा दिया जाना चाहिए, वह बहुत उचित नहीं है। स्टेट्स में कई स्थानों पर 'मुख्य मंत्री सहायता कोष' के नाम से राशि दी जाती है और सेंटर से भी 'प्रधान मंत्री राहत कोष' के नाम से राशि दी जाती है, लेकिन हमारे ध्यान में कई ऐसे परिवार आए हैं, जिनमें यदि एक आदमी की डैथ हो जाती है और उसमें दूसरा कोई कमाने वाला नहीं होता है, तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। 'हिट एंड रन' एक स्कीम है जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनी की ओर से कुछ मुआवजा मिल जाता है। जब किसी केस में यह पता है कि इसने एक्सीडेंट किया है, उसमें भी कोई विशेष सहायता राशि नहीं मिलती है और वह परिवार बर्बाद हो जाता है। इसके लिए भी कोई एक स्कीम बननी चाहिए।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि जैसे शहरों की आबादी बढ़ी है, लेकिन नैशनल लैवल पर कोई ट्रैफिक पोलिसी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नैशनल लैवल पद एक ट्रैफिक नीति बननी चाहिए। देश में जो छोटे-छोटे शहर हैं, वहां भी जाम लगता है। वहां ट्रैफिक कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है। जगह-जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर चाहे छोटे शहर हों या बड़े। दिल्ली और मुम्बई आदि बड़े शहरों में तो ट्रैफिक जाम ही रहता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां बीकानेर जैसी जगह में भी ट्रैफिक जाम रहता है। लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि नैशनल लैवल पर एक ट्रैफिक प्लान की पालिसी बनाई जानी चाहिए। किसी प्रौफेशनल ग्रुप से बड़े और छोटे शहरों का अध्ययन कराया जाए और कैटेगराईजेशन हो जाए कि 10 लाख से ऊपर वाले नगरों, 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों और 50 लाख आबादी से ज्यादा के शहरों के लिए इस-इस प्रकार के ट्रैफिक प्लान होंगे। इस प्रकार का नैशनल लैवल पर ट्रैफिक प्लान तैयार होना चाहिए।

महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। यह सही है कि यह स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन इस में मैं कुछ संशोधनों हेतु सुझाव देना चाहता हूं। मैं इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस स्कीम के माध्यम से देश में एक

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अर्जुन राम मेघवाल]

परिवर्तन का दौर चल रहा है। मैंने अपने क्षेत्र में भी कई जगह देखा कि जो मेजरमेंट लेने का तरीका है, वह डिसप्ले नहीं होता है। वर्क-साइट अरेंजमेंट है, वह भी प्रापरली इम्पलीमेंट नहीं होते हैं। जो श्रमिक 'नरेगा' में लगा हुआ है, उसे पता नहीं है कि मुझे कितनी मजदूरी मिलने वाली है।

यह बात सही है। अभी सुबह डॉ. गिरिजा व्यास जी ने नरेगा का जिक्र किया, चीनी का भी जिक्र किया। कुछ लोगों को हो सकता है, सौ रुपये मिलते हों, लेकिन मैंने मेरे क्षेत्र में चुनाव के बाद कुछ नरेगा के कार्यों का एज ए एम.पी. निरीक्षण किया। मैंने पाया कि कई जगह नौ रुपये मिले रहे हैं, कई जगह 12 रुपये मिल रहे हैं, कई जगह 15 रुपये मिल रहे हैं तो कार्य करके अगर नरेगा श्रमिक को 12-15 रुपये मिलेंगे तो कैसे काम चलने वाला है। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने बताया कि जो नाप लेने वाला है, एडहाक जे.ईएन. लगा हुआ है, वह जब काम चलता है, तब नाप नहीं लेता है और वह कभी रात को, कभी सुबह जल्दी नाप लेने आता है। अगर श्रमिकों के सामने नाप लेने की व्यवस्था की जाये तो श्रमिकों को भी पता चलेगा कि हमने कितने मेजरमेंट का काम किया, उसका क्या नाप हुआ है या नहीं हुआ है, एक तो मेजरमेंट का बोर्ड मुझे नजर नहीं आया, डिस्प्ले भी नहीं हुआ, इसलिए इसका प्रोपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मुझे वर्क साइट अरेंजमेंट में भी कई कमियां नजर आईं।

मैं अपनी बात थोड़ी लम्बी कर रहा हूं। नरेगा श्रमिकों को त्रिपाल दिया है, आपमें से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि वर्क साइट पर त्रिपाल एवेलेबल नहीं है। पांच वर्ष से कम उम्र के पांच बच्चे एक जगह थे, वहां पालना मिलना चाहिए, लेकिन वहां पालना नहीं मिला। दवाई मिलनी चाहिए, दवाई भी नहीं मिली। मैंने पूछा कि दवाई की क्या स्थिति है तो बताया कि आज तक भी कोई ए.एन.एम. नहीं आई।

[अनुवाद]

यह योजना अच्छी है लेकिन क्रियान्वयन ठीक नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, उसके बारे में भी गवर्नमेंट विचार करे। जितने भी वर्क साइट अरेंजमेंट्स हैं, चाहे वह त्रिपाल का हो या दरी का हो, प्रोपर वाटर फैसिलिटी एवेलेबल कराने का हो, चाहे मैडीसिन एवेलेबल कराने का हो, चाहे पालना एवेलेबल कराने का हो, वर्क साइट पर उपलब्ध रहने चाहिए। उसमें कई बार यह भी पाया गया है कि जो बोर्ड्स हैं, वे भी नहीं हैं। यह भी पता नहीं है कि यह काम किसका चल रहा है, कितनी राशि का चल रहा है। यह कब खत्म होगा, यह भी पता नहीं है। सभी माननीय सदस्य भी इसमें एग्री करेंगे कि नरेगा के प्लान को लेकर इसमें बड़ा लैकूना है एक बार कोई प्लान बन गया, सरपंच ने भी हड़बड़ी में प्लान बना लिया, लेकिन जब उसमें संशोधन की बात आती है तो कहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन नहीं कर सकते। अगर 2009-2010 का प्लान बना, अगर आपको इसमें कहीं माइनर एमेंडमेंट करना हो तो भी नहीं कर सकते। मेरा इसमें सुझाव है कि जैसे वेट एंड मेजरमेंट एक्ट में भी पांच परसेंट प्लस माइनस की एडमिसिबिलिटी होती है, स्कीम में वैसे नरेगा भी कम से कम पांच परसेंट अगर कोई प्लान में कोई आइटम छूट गया हो तो संशोधन का अधिकार होना चाहिए। ग्राम पंचायत में प्लान तैयार होता है, उसके बाद वह पंचायत समिति में आता है, उसके बाद वह जिला परिषद में आता है और जिला परिषद की बैठक में वह पास हो जाता है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीज छूट जाती है। ग्राम पंचायत में संशोधन का प्रस्ताव आता है, लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, चाहे पांच लाख का काम छूट गया, चाहे 10 लाख रुपये का बहुत महत्वपूर्ण काम छूट गया, उसमें आप एमेंडमेंट नहीं कर सकते तो मेरी यह रिक्वैस्ट है कि इस स्कीम में इस तरह का एक एमेंडमेंट होना चाहिए। अगर एम.पी. भी कहे तो उसमें आप वह एमेंडमेंट नहीं कर सकते। वह प्लान अगर एक बार एप्रूव हो गया तो हो गया। आप चाहे स्टेट लेविल की बाडी को अधिकार दे दें, सैंट्रल लेविल की बांडी को अधिकार दे दें, कहीं न कहीं तो उसमें एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जिससे उस प्लान में एक बार एप्रूव होने के बाद भी 5-10 परसेंट राशि तक का उसमें संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए। यह एक सजेशन मैं नरेगा के बारे में देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह (ऊधमपुर) : आप खुद नरेगा के चेयरमैन हो।...*(व्यवधान)*

[अनवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। यह व्यवधान उत्पन्न करने का समय नहीं है। यह बोलने का ढंग नहीं है।

श्री मेघवाल, अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं अपना सजेशन दे रहा हूं कि नरेगा में ये कुछ कमियां हैं कि एक बार प्लान एप्रूव होने के बाद उसमें संशोधन का अधिकार नहीं है। किसी भी कमेटी को नहीं है।

जिला लेवल की कमेटी को अधिकार नहीं है और स्टेट लेवल की कमेटी को भी नहीं है। आर.डी. मिनिस्ट्री में माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में सेंट्रल लेवल पर एक मानिटरिंग कमेटी बनी है, उसको भी अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जब सदस्य, सरपंच और कोई सोशल वर्कर ऐसा कोई प्रस्ताव लाता है कि यह काम नरेगा में एडमिसिबल है, इसको इसमें जोड़ा जाए, तब ऐसी स्थिति में वहां यह बात आती है कि स्कीम में इसका प्रावधान ही नहीं है, आप अमेंडमेंट तो कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर ऐसा अमेंडमेंट हो जाए, चाहे पांच से दस प्रतिशत तक की सर्टेन लिमिट इसके लिए तय हो जाए। यह एक अच्छा संशोधन होगा, जिससे आप इस स्कीम को ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं कंक्रीट सजेशन नहीं दे रहा हूं। मैं स्कीम की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्कीम में कुछ जो खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए अपने सुझाव दे रहा हूं।

महोदय, एपीएल-बीपीएल और केरोसिन तेल की बात आयी। यह बात सही है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। शरद यादव जी चले गए। किरोसिन तेल का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें काफी गड़बड़ है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किरोसिन तेल आखिर कहां जाता है? यह बात किसी मंच में आए या न आए, लेकिन चूंकि मैं इससे जुड़ा हुआ था और मैंने यह देखा। हो सकता है कि कुछ लोग इसका विरोध करें कि यह सिस्टम में होना चाहिए, लेकिन वाकई किरोसिन तेल प्रापरली नहीं बंटता है। इसमें सुधार की गुंजाइश है। वह सुधार कैसे हो? इसके लिए चाहे कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनायी जाए। किरोसिन तेल पर इतना पैसा जा रहा है, लेकिन किरोसिन तेल जिनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता है, इसलिए इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

महोदय, अभिभाषण के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वायदा व्यापार के मुद्दे पर इसमें चर्चा नहीं है। यह भारतीय कृषि व्यवस्था में अनोखी सी चीज हो रही है। जिन जिंसों के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें वायदा व्यापार का महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए इस मुद्दे पर भी सदन में विचार होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि एक्सचेंज कमोडिटीज ठीक है, तो उसको कंटीन्यू करें और अगर ऐसा लगता है कि इससे भारतीय व्यापारियों एवं किसानों को बहुत निराशा हो रही है, तो इसमें मानिटरिंग करके, इसमें अमेंडमेंट किए जाने चाहिए।

महोदय, मैं इस मौके पर एक बात और नरेगा में संशोधन के बारे में कहना चाहूंगा। बीपीएल के लोगों के लिए इसमें वाटर टैंक बनाने का प्रावधान है। मैं चाहता हूं कि हमारे जैसे डेजर्ट प्रदेश में एपीएल के लोग भी गरीब हैं, अगर नरेगा में बीपीएल के साथ-साथ एपीएल के लोगों को भी वाटर टैंक बनाने की छूट दे दी जाए, तो इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन बेहतर हो सकता है।

मैं इस अवसर पर इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत प्रस्ताव का उक्त संशोधनों के साथ समर्थन करता हूं।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर पश्चिम बंगाल) **:** सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस समय मुझे इस चर्चा में भाग लेने में खुशी हो रही है। यह मेरे लिए रोमांच का क्षण है। जैसाकि हमने कल देखा है यह अभिभाषण हमारे देश की एक महिला द्वारा दिया गया है। लोक सभा के अध्यक्षपीठ के इस उच्च पद पर जिसे हम अपने भाषणों में संबोधित कर रहे हैं, एक महिला ही सुशोभित है। इसके अतिरिक्त संप्रग सरकार द्वारा प्रस्तुत सभी महत्वपूर्ण विधत्त्वों को लाने के पीछे सोनिया गांधी महोदया का ही हाथ हैं और वह भी एक महिला हैं।

महोदय, भगवान के बाद हम सभी अपने जीवन के लिए और इसके बाद अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए किसी न किसी महिला के प्रति ऋणी होते हैं। इतिहास को देखने पर हमें पता चलता हैं कि शुरू में सभी ऐतिहासिक परिवर्तन महिलाओं द्वारा ही किए गए हैं।

महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण महिला सशक्तिकरण और गरीब लोगों के अधिकारों का हिमायती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे देश में सामाजिक क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्थ किया गया है। महोदय मैंने देखा है कि संप्रग की अध्यक्षा माननीया सोनिया गांधी महान व्यक्तित्व की धनी भगिनी निवेदिता के सामन जैसे ओजस्वी और सदगुणों से ओत प्रोत हैं, जिनका हृदय बेसहारा लोगों की दुर्दशा, हमारे समाज के वंचित और दुखी तबकों के लिए सदैव रोता है। उन्होंने प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठने से इंकार कर एक पूर्वोदाहरण स्थापित किया है। पूरा देश जब उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बैठा देखना चाहता था तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन मुझे अभी भी याद है

[श्री अधीर चौधरी]

कि उस समय प्रतिपक्ष के नेता ने ईर्ष्यावश उन पर ही सारे दोष मढ़ दिए। परन्तु इस शांत और सौम्य महिला ने, हमारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनी, और इस तरह यह एक अलग मिसाल कायम हुई।

महोदय, यहां श्री लाल कृष्ण आडवाणी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते समय हमारे भारत के दृष्टि कोण का बखान कर रहे थे। हमने चुनाव के पहले क्या पाया है? हमने चुनाव के पहले देखा डा. मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को भारत का कमजोर प्रधानमंत्री बताकर प्रतिपक्ष के नेता द्वारा एक विषाक्त अभियान चलाया गया। कौन कमजोर है और कौन मजबूत है। कमजोर और मजबूत के बीच का अंतर क्या हैं। हमें इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यहां यह बात भी हास्यास्पद लगती है कि चुनाव के पहले श्री लालकृष्ण आडवाणी ने एक व्यायामशाला का दौरा किया और अपनी ताकत को साबित करने के लिए उन्होंने आयरन बार को उठाया ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि उनमें क्षमता है और वे प्रधानमंत्री बन सकते हैं. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप इस तरह हस्तक्षेप क्यों करते है। सदस्य को बोलने दें। यह उनका समय है।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं एक महान चिंतक की कुछ पंक्तियां उघृत करता हूं कि वास्तविक ताकत का ऐसा प्रदर्शन कभी भी अच्छा नहीं होता।

तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना कमजोरी की निशानी है। ऐसे अव्यवस्थित लोगों की गतिविधियों में भी अनियमितता देखने को मिलती है। अत: यह साबित हो गया कि प्रधानमंत्री पद पाने के लिए अधीर तथा इसके प्रबल दावेदार परीक्षा के इस दौर में पूरी तरह से पस्त हो गए। परीक्षा की इस छड़ी में यह साबित हो गया कि हमारे देश के लोगों ने डा. मनमोहन सिंह को देश का नेतृत्व करने के लिए एक समक्ष व्यक्ति के रूप में चुना है। यही खास बात है।

महोदय, यही उनका नैतिक संबल है। यह उनकी नैतिक ताकत है और डा. मनमोहन सिंह जैसे शांत व्यक्ति की नैतिक ईमानदारी के कारण ही भारत विश्व में अलग-थलग होने से बच गया। भारत अमरीका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना हम परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की जमात से अलग-थलग होने से बच नहीं पाते जिसका हम पिछले साढ़े तीन दशकों से सामना कर रहे थे। इससे हमारे देश में एक नए दौर की शुरूआत हुई है। महोदय, वास्तव में इस समय हम सबने देखा कि भारत में प्रधानमंत्री के अनेक दावेदार पैदा हो रहे थे और ऐसा हमें पहले कभी देखने को नहीं मिला था। तथापि उन सभी की आशाएं धूमिल हो गईं और लोगों के विवेकपूर्ण जनमन के फल स्वरूप हमें भारत जैसे महान देश का संचालन करने का यह अवसर प्रदान किया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें एक समग्र समाज और समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। इस सरकार ने वर्ष 2004 से लोगों को सही दिशा प्रदान करने तथा हमारे समाज के कमजोर तबकों के लिए निरंतर प्रयास जारी रखा है हम भारत उदय की बात नहीं करते हैं बल्कि हम एक उदीयमान भारत के प्रतिपादक हैं।

यहां विपक्ष के सदस्य अर्थव्यवस्था के निराशाजनक पहलू को ही उठा रहे हैं, अपने देश के नकारात्मक पहलू को ही रख रहे हैं। उन्हें ऐसा करने का पूरा-पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे संविधान में, शक्तियों का विभाजन किया गया है। हमारे संविधान में कर्तव्यों और दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। यहां हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में भ्रमित हैं। यही मुख्य समस्या है। भारतीय होने के नाते, हमें गर्व होना चाहिए कि हम वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीविदों की सहायता से चन्द्रयान प्रक्षेपित करने में समर्थ हुए। इसे देश में ही तैयार किया गया था। यह जानकर गर्व होना चाहिए कि वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों के लगातार प्रयासों के बाद हम उन कुछ देशों में से हैं जिनके पास इंटरमीडिएट रेंज का बालिस्टिक मिसाइलें हैं। हमने वर्ष 2008 में इसका सफल परिक्षण किया। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उन पांच चुने हुए देशों में से हैं जिनके पास के-15 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल हैं। दुश्मनों के मिसाइलों का पता लगाकर उसे नष्ट करने में अब हम समर्थ हो गए हैं। किसलिए? अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तथा उस स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जिसे हमने खून और पसीने से प्राप्त किया है, और जिसे हमने स्वतंत्रता सैनानियों के बलिदान से प्राप्त किया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अगले पांच वर्षों के लिए प्राथमिकता वाले मोटे तौर पर दस क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। आंतरिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है।

श्री आडवाणी जी, बता रहे थे कि हमें एक जांच आयोग का गठन करना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब पार्लियामैंट पर अटैक हुआ, मेरी यह सोच है कि पार्लियामैंट पर जो अटैक हुआ था, वह मुम्बई अटैक से कम गंभीर नहीं है। अगर उस दिन पार्लियामेंट के अंदर वे टेररिस्ट घुस जाते तो हिंदुस्तान की क्या हालत होती, वह हम लोग महसूस कर सकते हैं। उस दिन पार्लियामेंट सिक्योरिटी में लगी वाच एंड वार्ड की एक महिला जिसके पास हथियार नहीं थे, ने पार्लियामेंट की गरिमा बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। उस दिन एनडीए सरकार ने कोई इनक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बनाया? हम लोगों ने नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी बनाई है, मैक बनाई है जिससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत हो। हम लोग जानते हैं कि जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उस समय एक नारा उठाया गया था कि अब आर-पार की लड़ाई होगी। क्या आर-पार की लड़ाई हुई? करोड़ों रुपए खर्च किए, लाखों सेनानी तैनात किए, फिर क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। आप लोग गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, यही आप लोगों की सबसे बड़ी खामी है।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : लेकिन अभी तक फांसी नहीं दी गयी।

श्री अधीर चौधरी : माइन्स हटाने के दौरान 750 लोग मारे गए थे, तब आप लोगों ने क्या किया?

[अनुवाद]

महोदय, मैं यूपीए सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि वह भोजन के अधिकार संबंधी विधान लाने पर विचार कर रही है। यह भी 'नरेगा' (एनआरजीए) की तरह ही ऐतिहासिक विधान है। मैं इस सरकार से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि सरकार को भोजन के अधिकार और काम के अधिकार के साथ-साथ स्वास्थ्य के अधिकार पर भी विचार करना चाहिए। अगर इस पर विचार किया जाता है तो मैं समझता हूं कि देश के ज्यादातर लोग इससे लाभान्वित होंगे।

महोदय, हमारी सरकार प्रतिभा के दोहन पर बहुत जोर दे रही है। देश के 16 लाख विद्यार्थियों को 26,000 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण दिया गया है क्योंकि ज्ञान के बिना देश आगे प्रगति नहीं कर सकता। अब, इस सरकार को हमारे जन संसाधनों का उपयोग करने के लिए और प्रयास करने चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए सुनहरा मौका है। अगर हम शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्र में और अधिक निवेश करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा अवसर होगा क्योंकि आज हम विश्व में बहुत बड़ी आबादी वाला देश होने का लाभ उठा रहे हैं।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में छोटे और मध्यम उद्यमों पर बल दिया गया है। जैसाकि हम जानते हैं, अगर छोटे और मध्यम उद्योगों को पुनर्जीवित कर दिया जाता है तो अपने देश के करोड़ों बेरोजगार युवक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अत: छोटे और मध्यम उद्योग देश के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इस सरकार, ने तीन मुख्य कार्यक्रम आरंभ किए हैं, सबसे पहले, 25,000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं, दूसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है और तीसरा राष्ट्रीय बागवानी मिशन है।

ये सभी कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में और अधिक विकास की दिशा में ही शुरू किए गए हैं।

महोदय, सरकार माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने पर जोर दे रही है। यही नहीं, उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है और इसलिए सरकार श्रेष्टता, समावेश और विस्तार पर जोर दे रही है।

महोदय, ध्यान दिए जाने वाला एक अन्य क्षेत्र है ग्रामीण जलापूर्ति। मैं पश्चिम बंगाल राज्य से हूं। पश्चिम बंगाल राज्य के आठ जिलों का पानी आर्सेनिक से प्रदूषित है। हम आर्सेनिक बम पर बैठे हैं, लेकिन ऐसा कोई बुनियादी ढांचा नहीं है जो पश्चिम बंगाल के आर्सेनिक प्रभावित लोगों की समस्या का निदान कर सके। मैं जानता हूं कि अन्य राज्य भी पेयजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि के दूषण से पीड़ित हैं।

महोदय, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार वित्तीय रूप से दिवालिया हो गई है अत: वह अनुदान के बराबर आवश्यक राशि प्रदान नहीं कर सकती। वे सभी निधियां जो राष्ट्रीय राजकोष से प्राप्त हुई हैं वे पश्चिम बंगाल राज्य में बेकार पड़ी हुई हैं। अत: मैं संप्रग सरकार से अनुरोध करूंगा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की सक्रियता से निगरानी करें, ताकि पेयजल और अन्य जन कल्याण उपायों के लिए आवंटित धनराशि का इष्टतम उपयोग हो सके।

महोदय, अपने देश के अल्पसंख्यक लोगों में एक नई आशा जगाने के लिए इस सरकार को में अवश्य धन्यवाद दूंगा। सरकार ने सच्चर

[श्री अधीर चौधरी]

समिति की सिफारिशों के अनुपालन में अल्पसंख्यकों के लिए पहले ही 15 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया है। मैं मुर्शिदाबाद जिले से हूं जिसे देश के सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों वाले जिले की मान्यता प्राप्त है। यह पूरी तरह पिछड़ा हुआ जिला है। पूरी सीमा असुरक्षित है। कहीं से कोई भी आ जा सकता है। हमारे पास कोई बुनियादी ढ़ांचा नहीं है और न ही कोई उद्योग है। कटाव चिरस्थायी समस्या बन गई। मुर्शिदाबाद जिले का भूगोल कटाव के कारण, जो वर्षों से जारी है, बदल चुका है। अत: सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य और विशेषकार मुर्शिदाबाद जिले में कटाव, बाढ़ और आर्सेनिक की समस्या पर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, अब मैं दूसरे पहलूओं की और ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम सभी जानते है कि हिन्द महासागर में सोमालिया में समुद्री डकैती और मुम्बई तट पर हमले से स्पष्ट है कि दिन-प्रतिदिन हिन्द महासागर भेद्य होता जा रहा है। विश्व का लगभग 50 प्रतिशत कंटेनर यातायात हिन्द महासागर से गुजरता है। महासागर सहारा से इंडोनेशिया तक सात टाइम जोनों में फैला हुआ है। यह व्यापार का माध्यम होने के साथ-साथ नशीली दवाओं की तस्करी, समुद्री डकैती और आंतकवादी गतिविधियों का नेटवर्क भी है। अत: मेरे विचार से हिन्द महासागर को शांति और सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए 21वीं सदी में हमारे देश के लिए एक चुनौती होगी।

महोदय, दो विशाल खाड़ी हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यहां सबसे अधिक अस्थिर राष्ट्र एक है पाकिस्तान और दूसरा म्यांमार।

हम सभी जानते हैं कि हम तेल पर निर्भर हैं। महोदय, हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का 33 प्रतिशत तेल से पूरा होता है; और 65 प्रतिशत तेल का आयात हिन्द महासागर से किया जाता है। तेल नौवाहन के मुख्य मार्ग हैं– अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, तथा वाणिज्यिक रूप से व्यस्तम जलमार्ग हैं बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य, होरमूज जलडमरूमध्य और मलक्का जलडमरूमध्य। यह चिंता का विषय है कि हमारा पड़ोसी देश चीन जो एशिया में उभरती शक्ति है, ने 'स्ट्रींग आफ पर्ल्स' रणनीति अपनाई है। इसका अर्थ है कि वह हिन्द महासागर के उत्तर में स्थित देशों के तट पर पत्तनों और निगरानी केन्द्रों तथा श्रवण केन्द्रों का विकास कर रहा है। हम 'होरमूज दुविधा (डायलेमा)' का सामना कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे व्यापार, हमारे वाणिज्य की जीवन रेखा है। होरमूज जलडमरूमध्य पाकिस्तान के मकरान तट के नजदीक है जहां चीन ग्वादर क्षेत्र में गहरे समुद्री पत्तन का निर्माण कर रहा है। आने वाले वर्षों में हमारा स्वाभाविक रूप से यह बनता है कि हम हिन्द महासागर क्षेत्र को सुरक्षित रखें।

महोदय, मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है। मैं पश्चिम बंगाल में मौजूद दयनीय स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने चक्रवाती तूफान आइला का भी उल्लेख किया है। चक्रवात तूफान आइला ने पश्चिम बंगाल के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है जिसमें 80 लोगों की जाने चली गयी और 53 लाख से भी अधिक लोग पहले ही बेघर हो गए हैं; और वे खुले आकाश के नीचे रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार पूरी तरह से उदासीन हैं और इन प्रभावित गरीब लोगों की दुर्दशा के प्रति पूरी तरह से लापरवाह दिखाई देती है।

आप जानते हैं कि सुन्दरवन को विश्व में जैवमंडल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब, सुन्दरवन का मानचित्र पूरी तरह बदल चुका है। इस समय सुन्दरवन का कोई मानचित्र उपलब्ध नहीं है। सुन्दरवन क्षेत्र की जीवनरेखा इसके तटबंध थे। महोदय, सुन्दरवन क्षेत्र के 400 किलोमीटर तक फैले तटबंध बह गए हैं। वहां पर जो गांव हैं वे पानी के ज्वार स्तर से निचली भूमि पर बसे हैं। अब वहां कोई तटबंध नहीं हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र पानी से भर गया है। मीठे पानी की सभी झीलें जलप्लावित हो गयीं हैं; तालाब जलप्लावित हो गए हैं; और रूके हुए खारे पानी ने इस क्षेत्र के गांव वालों और कृषकों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। सारी कृषि भूमि खारे पानी से भर गयी है। इस क्षेत्र की कृषि क्षमता को पुन: उसी स्थिति में लाने के लिए वर्षों का समय लगेगा।

राज्य सरकार उस क्षेत्र के चक्रवात प्रभावित, बाढ़-प्रभावित लोगों को न्यूनतम राहत सामग्री तक उपलब्ध नहीं करा पायी है। इस क्षेत्र में चूंकि मवेशियों के कंकाल पानी में तैर रहे हैं इसलिए यहां महामारी फैलनी शुरू हो चुकी है। सभी मछलियां मर गयीं हैं। स्वाभाविक रूप से पेयजल का अभाव हो गया है। दवाइयों की कमी से स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।

अपराह्न 4.00 बजे

सरकार पूरी तरह से उदासीन बनी हुई है। सरकार इन प्रभावित लोगों की दुर्दशा के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। यहां तक कि स्थानीय लोगों का गुस्सा इस सीमा तक बढ़ गया कि उनके द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) के एक विधायक को बहुत पीटा गया।

जब तूफान 'आईला' ने तट पर तबाही मचाई, उसके पश्चात् वहां सीमा सुरक्षा बल और सेना के जवान तैनात किए गए। लेकिन राज्य सरकार ने अकारण ही सीमा सुरक्षा बल और सेना के जवानों को वहां से हटा दिया। इस सरकार का इरादा क्या है? केन्द्र सरकार केवल अपने बल पर राहत प्रदान नहीं कर सकती। लेकिन जब सीमा सुरक्षा बल और सेना के जवान प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए तैनात किए गए थे, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने उन जवानों को वहां से हटा दिया। इसीलिए, मैं इन बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए सरकार से अत्यंत विशेष उपाय करने का निवेदन करता हूं क्योंकि बिना पुनर्वास के किसी भी राहत का कोई अर्थ नहीं है।

सभापति महोदय, आपको यह नोट करके आश्चर्य होगा कि सुन्दरवन क्षेत्रों से बाघ स्थानीय गांवों में घुसने लगे हैं। यहां तक कि मगरमच्छ भी स्थानीय गांवों में देखे गए हैं। बाढ़ के पानी के साथ गांवों में सांप आ रहे हैं। वहां स्थिति बहुत गंभीर है। हम जानते हैं कि राज्य सरकार इस स्थिति से निपटने में असमर्थ है। उनके इरादे भी नेक नहीं हैं। उसके पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। उनमें बाढ़-प्रभावित लोगों के प्रति कोई सहानुभूति भी नहीं है। अब, वह वहां पश्चिम बंगाल के लोगों की लोकतांत्रिक भावनाओं को दबाने और कुचलने के लिए ही हिंसा का सहारा लेने में व्यस्त है क्योंकि पिछले चुनावों में पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट हार गए थे। इसलिए, अब हारने के पश्चात् वे हिंसा का सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। वहां हिंसा पहले ही भड़क चुकी है।

महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार सी.पी.आई. (एम) पार्टी काडरों से मिली जुली हुई है जो पुनः हिंसा फैला रहे हैं। परसों ही, तृणमूल कांग्रेस के तीन-चार कार्यकर्त्ताओं को पीट-पीट कर मार दिया गया। सी.पी.आई. (एम) के गुंडों ने उनके मकान जला दिए। इन गुंडों की स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ सांठ-गांठ हैं जो उन गरीब लोगों, गरीब ग्रामीणों से, जिन्होंने इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग विपक्षी दल अर्थात् कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में दिया, प्रतिशोध लेने के लिए ही हिंसा का शासन चला रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, पहले ये लोग हम लोगों के साथ थे। इन लोगों ने सोचा कि ये जो कहते जाएंगे, वह हम मानते जाएंगे। इन लोगों का सोचना था कि खिलौने की तरह जब चाहे यूपीए सरकार को नचाएंगे। जब चाहे यूपीए सरकार में टूट पैदा कर देंगे, लेकिन हुआ यह कि कम्युनिस्ट पार्टी को बंगाल में धूल चाटनी पड़ी। बंगाल की आम जनता ने इन लोगों को शिक्षा दे दी कि बंगाल की आम जनता को टेकन-फार-ग्रांटेड मत करो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं अपनी आखिरी बात कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

महोदय, मुझे एक बात कहनी है कि जिंदगी में कितने दोस्त आए, कितने दोस्त बिखर गए। कोई आया दो दिन के लिए, कोई दो कदम चलते सांस भरने लगा, पर जिंदगी का दूसरा नाम दरिया है। वो तो बस बहता रहेगा, चाहे रास्ते में फूल गिरें या पत्थर। याद रखना कि कांग्रेस पार्टी एक जीता जागता दरिया है, वो तो बस बहता रहेगा और कोई सोचे कि कोई दरिया के पास जाए और उसे खिलौने की तरह नचाएं, तो यह उनकी गलती होगी।

[अनुवाद]

किसी को भी कांग्रेस पार्टी को ऐसे ही नहीं समझना चाहिए। हमारे देश के पिछले जनादेश का यही संदेश है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने एक नए सासंद के तौर पर मुझे बोलने का मौका दिया जिस के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने निर्वाचित सदस्यगण हैं, मैं उनको अपनी पार्टी आरएसपी की तरफ से अभिवादन और अभिनन्दन देना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश के विकास, वैदेशिक नीति, शिक्षा नीति और हर क्षेत्र के पुनर्विकास करने का उल्लेख है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों के उल्लेख करता है। मैं बहुत खुश होकर कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में नए-नए तरीके से देश के विकास के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए, यहां की बेकारी और गरीबी दूर करने के लिए, आदिवासियों की उन्नति के लिए और दूसरे क्षेत्रों के विकास करने का जिक्र किया गया है।

[श्री मनोहर तिरकी]

आजादी के बाद से अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। मुझे अफसोस है कि इसके बाद भी देश में गरीबी, बेकारी ओर अशिक्षा है। किस नीति के कारण हमारा देश पिछड़ा है? कुछ लोग बहुत धनी है लेकिन अधिकतर लोग गरीब हैं। इस असमानता के कारण देश का विकास नहीं हो रहा है जिससे असंतोष बढ़ रहा है और वे कहीं संगठित रूप से, कही असंगठित रूप से विदेशी चक्र में आकर देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें देश के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। देश की जनता चाहे वह छोटी जात की है या बड़ी की है, चाहे किसी जात की है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

अपराह्न 4.07 बजे

[**डॉ. गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुईं*]

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, उसके एक तरफ भूटान है, बंगलादेश है, नेपाल है और दूसरी तरफ असम प्रदेश भी है। मैं जहां से चुनकर आया हूं, उसके बारे में अनुरोध करूंगा जिस का जिक्र कई सदस्यों ने भी किया है कि वहां जो भयंकर चक्रवात आया था, उसमें कई घर बरबाद हो गए थे। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में काम नहीं कर रही है लेकिन उसकी सामर्थ्य कम है। इसलिए हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार आगे आए और मर्यादापूर्ण होकर उनकी सहायता करे क्योंकि हमारे पास जो उपलब्धता है, जो सामान है, वह कम है। इसलिए हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार एक टीम भेजे जो उसका निरीक्षण और सर्वेक्षण करके जल्द से जल्द सहायता करे। यह एक प्राकृतिक आपदा है। यह मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं है। माननीय सदस्य अधीर बाबू ने कहा कि पार्टियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वहां ठीक से काम हो रहा है क्योंकि इसके पहले भी चक्रवात आया था, संकट आया था जिस में हमने मिल-जुल कर काम किया था। वहां की जनता ने वामपंथियों को 32 साल से सत्ता में रखा है क्योंकि हम उनके साथ रह कर काम करते हैं। कुछ गलतियां होती हैं लेकिन यह मुसीबत का समय है इसलिए राजनीतिक दृष्टि से नहीं पालिटिकल माइलेज के लिए नहीं, हम मिल कर लोगों की सहायता करें। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिल कर लोगों की सहायता करे।

मैंने पहले भी बताया कि मैं सीमांत इलाके से चुन कर आया हूं। भूटान एक सीमांत देश है। हम उनकी पैसे से मदद करते हैं। वहां का विकास हो रहा है लेकिन हम हर साल बाढ़ ओर भूमि कटाव से परेशान होते हैं। यहां जितनी नदियां निकलती हैं, वे भूटान से होकर निकलती हैं। भूटान गैर कानूनी ढंग से खनन कर रहा है और फारेस्ट काट रहा है जिससे हमारे यहां पानी भर जाता है और सब कुछ बरबाद हो जाता है। इंडो-भूटान रिवर कमीशन बना था। मेरा अनुरोध है कि उसमें ज्यादा पैसा आवंटित किया जाए और कटाव को रोकने के लिए काम किया जाए।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बहुत अच्छा है। देश को चाय उद्योग से बहुत विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश केरल में चाय बनती है। चाय बागानों में करोड़ों मजदूर काम करते हैं लेकिन आदिवासी मजदूर ज्यादा हैं। उनका रहन-सहन बहुत खराब है। चाय बागानों के मालिक बहुत धनी हैं। आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव शहरों में अच्छा पड़ा है।

उदारीकरण का प्रभाव दूसरी जगह, शहरों में भले ही अच्छा होगा, लेकिन गांवों में, देहात में इससे नुकसान हुआ है। कल-कारखाने बंद हो गये हैं। उदारीकरण से चाय बागानों में नुकसान होने लगा, लोगों को पगार नहीं मिल रही है। 34 चाय बागान पूरे देश में बंद हैं। मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं। वहां 13 चाय बागान पिछले 5-7 साल से बंद हैं। सरकार इस संबंध में बहुत कोशिश कर चुकी है। यह टी-एक्ट के अंदर पड़ता है। जब जयराम रमेश जी मंत्री थे, तब वह दिल्ली से वहां गये थे। उन्होंने उनके लिए पैकेज की घोषणा की थी, उन्होंने रुग्ण चाय बागान दोबारा खोलने की बात कही थी। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो बंद चाय-बागान हैं, इनको दोबारा खोला जाए, टी-बोर्ड की देखरेख ठीक से की जाए और जो बंद चाय-बागान हैं, उनकी रुग्णता को दूर किया जाए। चाय-बागान के मालिक सरकार से, टी-बोर्ड से पैसे ले लेते हैं लेकिन वहां खर्चा नहीं देते, दूसरी तरफ डाल देते हैं। उनको जो इनकी देखरेख करनी चाहिए, वे ठीक से नहीं करते हैं। इसलिए इन चाय-बागानों की तरफ सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वास्तव में इनका सही तरह से विकास हो सके और देश की आर्थिक-व्यवस्था में भी सुधार हो सके।

हमारे देश में बहुत विदेशी आते हैं। हमारे देश में पर्यटन सौन्दर्य बहुत है लेकिन उसका ठीक से विकास किया जाना चाहिए। पूरे देश में वहां के सौन्दर्य का प्रचार-प्रसार ठीक से नहीं किया जाता है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस सुन्दर क्षेत्र को, जिसमें जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, चाय-बागान हैं और जो प्राकृतिक

सौन्दर्य से भरा हुआ है तथा जो दार्जिलिंग है जो प्राकृतिक सौन्दर्य से भरा हुआ है और आसाम की बैल्ट तक है, वहां तक आने-जाने की उचित व्यवस्था की जाए। इसलिए आर्थिक विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। उस क्षेत्र में जाने के लिए उचित रूप से रेल व सड़क यातायात की उचित सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। चूंकि मैं राज्य में सड़क विभाग में मंत्री भी था, इसलिए मैं देख रहा था कि वहां जितना नेशनल हाइवे में पैसा लगना चाहिए, उतना पैसा वहां नहीं दिया जाता। जो पश्चिम बंगाल से होकर आसाम इत्यादि सब राज्यों में रास्ते जाते हैं, उनमें धन-आबंटन कम होता है। हर साल बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जितना रुपया मिलना चाहिए था, वहां उतना पैसा नहीं मिलता था जिसके चलते पूरे भूटान, उसके बाद नेपाल, आसाम इत्यादि जितने राज्य हैं, सबमें उसके कारण नुकसान होता था। रास्ते टूट जाते थे। पैसा नहीं मिलने के कारण वे सब बन नहीं पाते थे आसाम की तरफ जो जिंगल रेल लाइन जाती है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे डबल लाइन किया जाए जिससे ज्यादा गाड़ियां चलें। बड़े दुख की बात है और आप सब लोग देखते हैं कि पूर्वांचल उग्रवाद से भरा हुआ है। आज वहां दिल्ली के आदमी हैं, गुवाहाटी के हैं और सिलीगुड़ी के भी हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सम-विकास होना चाहिए। सम-विकास का यदि रास्ता नहीं होगा तो देश का वास्तव में विकास नहीं हो सकता। जैसे दिल्ली में हम लोग देखते हैं, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा सा रास्ता बनाने से लाखों लोगों का भला हो सकता है। राज्य सरकार के पास पैसे कम होते हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में सामने आना चाहिए जिससे कि सम-विकास हो। यानी सभी क्षेत्रों में बराबर विकास हो क्योंकि सम-विकास से लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने से लोग गलत रास्ते पर, उग्रवाद के रास्ते पर नहीं जाएंगे। भूटान एक सीमान्त देश है। यहां के जंगलात में वे लोग बम फोड़ते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। यह जो सीमान्त इलाका है और भौगोलिक कारण से यहां केन्द्रीय सरकार का जो बार्डर एरिया डैवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ करता है, तो उस क्षेत्र में उनको पैसा नहीं मिलता है। मैं डी.एम. से पूछा करता था कि यहां इतना पैसा क्यों नहीं मिलता है, तो वे कहते थे कि इन क्षेत्रों में पैसा कम आता है। यह एक विकासशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बिल्कुल आदिवासी लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में, इस सीमान्त इलाके में इन लोगों को कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है, वहां काम कोई नहीं हो सकता। इसलिए केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोजेक्ट को वहां राज्य में, जिले में चालू किया जाए जिससे वहां के लोगों में, वहां उन क्षेत्रों के भी लोगों में खुशहाली का मौका आए। हमारे राज्य में सब जगह लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। जो खेती करने वाले लोग हैं, जो खेती करते हैं, वे ठीक से खेती नहीं कर पाते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर का भाव, डीजल का भाव बहुत ज्यादा है। खेती करने के लिए उचित रूप से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। वहां जैसे हम लोग उत्तर बंगाल में रहते हैं, बंगाल के उत्तरी साइड में हर साल बाढ़ का प्रकोप रहता है। इस कारण से वहां काफी नुकसान होता है। हमारे यहां एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी नदी है।

तीस्ता नदी पर प्रोजैक्ट बना है, तीस्ता का डैम बना है, बैराज बना है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को उसका अधिग्रहण करना चाहिए। वहां सिक्किम और भूटान से तीस्ता नदी आती है, उसमें प्रोजैक्ट बन रहा है। आज बीस साल हो गये हैं, लेकिन राज्य सरकार उस पर खर्चा नहीं कर पा रही है, उसके पास पैसा नहीं है। यहां बार-बार आवाज उठ रही है कि तीस्ता प्रोजैक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर मर्यादा दी जाए। इससे वहां हर साल लाखों एकड़ खेती की सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है।

माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग दिल्ली में बहुत पुराने हैं। लेकिन आपके राज्य में बिल्कुल सूखा है, वहां बालू बहुत है। लेकिन हमारे यहां बहुत हरियाली हैं, वहां चाय के बागान हैं, खेती है, सुंदर जंगल और पहाड़ हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहां नदियों का पानी बहता चला जा रहा है। वहां जंगल है, प्राकृतिक सौन्दर्य है, हाथी घोड़े हैं और अन्य बहुत से जंगली जानवर हैं। इसके लिए वहां एक योजना बनानी चाहिए। आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देखा कि आदिवासियों के विकास के लिए भी काम किया जायेगा। जो बी.पी.एल. में होंगे, उन आदिवासियों को 65 वर्ष की उम्र होने के बाद पेंशन देने की बात कही गई है। यह बहुत खुशी की बात है। मैं खुद भी आदिवासी हूं और आप जानती हैं कि आदिवासियों की औसत उम्र 60-65 वर्ष से ज्यादा नहीं होती है। 65 वर्ष तक आदिवासी मर जाते हैं। इसलिए इस योजना का सदुपयोग किया जाए और जो आदिवासी गरीब लोग हैं, जिनके लिए पेंशन की व्यवस्था करने की बात कही गई है, उसे साठ वर्ष से शुरू करने की व्यवस्था की जाए। मैं आदिवासियों के बारे में जानता हूं, चूंकि मैं उस माहौल में रहता हूं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि आदिवासियों को बीपीएल के साथ-साथ साठ वर्ष की उम्र से उन्हें पेंशन देने की व्यवस्था की जाए।

[श्री मनोहर तिरकी]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे रेलवे में केन्द्र सरकार की व्यवस्था है कि उन्हें जो पैसा मिलता है, उससे शिक्षा व्यवस्था के लिए आप केन्द्रीय विद्यालय बनाते हैं। जहां सैनिक स्थल होते हैं, वहां केन्द्रीय विद्यालय बनाये जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चाय बागानों का ज्यादा से ज्यादा पैसा केन्द्र सरकार को मिलता है, वहां से कस्टम ड्यूटी तथा जो विदेशी मुद्रा आती है, वह भारत सरकार के पास जाती है। इस क्षेत्र में आदिवासी ज्यादा रहते हैं। वहां मल्टी भाषा के लोग रहते हैं। हमारे पूर्वज रांची, झारखंड से चले गये। अभी हम लोग वहां सौ, दो सौ सालों से रह रहे हैं। अब हम लोग बंगाली हो गये। अभी हम लोग बंगाल में खुशी से रहते हैं। ऐसे ही वहां हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। इसलिए वहां मिक्स्ड भाषा है। वहां बंगाली और हिंदी भाषा में मुश्किल आती है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से विनती करूंगा कि वहां केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए, जैसे सैनिक क्षेत्रों में किया जाता है, इससे वहां हर भाषा में पढ़ाई-लिखाई करने का मौका मिल सकता है।

सभापति महोदया, अभी मुझे और भी बहुत सारी बातें कहनी थीं। लेकिन दूसरे माननीय सदस्यों ने वे बातें कह दीं हैं। मैं आपका आभारी हूं, चूंकि में पहली बार यहां चुनकर आया हूं, इसलिए पूरी तैयारी भी नहीं कर सका। लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप मुझे इसी तरह से दूसरी बार भी मौका दें। मैंने आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से जो-जो अपील की हैं, केन्द्र सरकार उनकी तरफ ध्यान दे, ताकि उस क्षेत्र को कुछ मिले और उस क्षेत्र का विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

सभापति महोदया : मैं भी आपको धन्यवाद देती हूं, चूंकि आपने बहुत सही समय लेकर पूरी बात कही है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा) : मैडम चेयरपर्सन, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कुछ सुझाव देने का मौका दिया है। कल हमने महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुना और आज आपने रूलिंग पार्टी की तरफ से वोट आफ थैंक्स का मोशन यहां प्रस्तुत किया। मैं उन विचारों से सहमत हूं, जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में रखे हैं, लेकिन मैंने कुछ संशोधन इसलिए दिये हैं, क्योंकि नीतियां चाहे कितनी भी सुन्दर क्यों न हों, जब तक उनके कार्यान्वयन में आई हुई खामियों को हम दूर नहीं करेंगे, तब तक वे नीतियां कभी भी सफल नहीं हो सकतीं। आप महसूस करेंगी कि मोर एक बहुत सुन्दर पक्षी है, उसके पंख बहुत सुन्दर हैं, जब वह अपने पंखों को देखता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह अपने पैरों को देखता है तो मोर सोचता है कि काश मेरे पैर भी वैसे ही होते, जैसे सुन्दर मेरे पंख हैं। यहां बहुत सुन्दर नीतियां बनती हैं, लेकिन जब वे कार्यान्वयन के धरातल पर जाती हैं, जब मोर अपने पैरों को देखता है, उन नीतियों में इतनी खामियां हैं कि आज गरीब तक उन नीतियों का लाभ नहीं पहुंच रहा है।

हिन्दुस्तान के एक बहुत अच्छे कवि श्री दुष्यंत जी हैं जिन्होंने लिखा है:

यहां तक आते-आते सूख जाती हैं सभी नदियां,
हमें मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा?

सभापति महोदया, आप भी साहित्यिक प्राणी हैं, आप जान सकती हैं। नदी में पानी रहता है लेकिन मैं जिस सुदूर क्षेत्र से जीतकर आया हूं, चतरा उसका नाम है जो जंगलों से घिरा हुआ है। आपने उस स्थान की यात्रा की है या नहीं, लेकिन यह रांची से 150 किलोमीटर दूर है। पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, भारी उग्रवादी इलाका है। उसमें लगातार घूमने के बाद मैंने यह महसूस किया है कि यहां तक आते-आते सूख जाती हैं नदियां, हमें मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा? नदियों का पानी वहां तक जाते सूख जाता है, रास्ते में लोग रोक लेते हैं।

सभापति महोदया, आपने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि स्व. राजीव गांधी जी ने कहा था कि यहां से एक रुपया भेजा जाता है तो वहां तक पहुंचाता है सिर्फ 15 पैसा। उनके पुत्र श्री राहुल गांधी ने भी कहा है कि वहां तक 10 पैसे ही पहुंचता है। आखिर, बीच में 90 पैसे कहां जाता है? यहां तक आते-आते सूख जाती हैं नदियां, हमें मालूम है कहां ठहरा हुआ पानी होगा? इस ठहरे हुये पानी को कैसे मंजित तक पहुंचाया जाये? इसलिये मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह जोड़ना चाहता हूं कि उन नीतियों की खामियों को दूर करने की कोशिश की जाये। देश में प्रजातांत्रिक पद्धति लागू हुये 60 साल हो गये हैं, क्या उसका फल इस देश के लोग प्राप्त कर सके हैं?

उगा सूर्य कैसा, कहो मुक्ति का, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा,
मन्दिरों के शिखरों पर, मगर देवता के पदों तक न पहुंचा।

मंदिरों के कंगूरों तक तो रोशनी पहुंची लेकिन मन्दिरों के भीतर देवता के पैरों तक नहीं पहुंच पाया।

मिला बांटने को जो अमृत सबको,
गला चंद लोगों का तर कर रहे हैं।

आजादी का अमृत सब के लिये मिला था ताकि इसे सब के हलक में उतारा जाये लेकिन यह चंद लोगों का गला तर कर रहा है। यही कारण है कि देश की सर्वोच्च पंचायत में लगातार यह आवाज उठ रही है कि विदेशों में भारत के लोगों का जो पैसा जमा है, उसे

देश में वापस लाया जाये। आखिर वह पैसा कैसे वहां गया? उसके कई कारण क्यों न हों लेकिन वह पैसा भारत की धरती पर वापस लाये जाये और उसका लाभ गरीब लोगों को दिया जाये या जो दशकों से इस सुख से वंचित है, उनके लिये खर्च किया जाये।

सभापति महोदया, मैं इस विषय की ओर आपका ध्यान इसलिये आकर्षित कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मेरे क्षेत्र में रेल लाईन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आवागमन नहीं होगा तो उग्रवाद बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा। यही वहां की नियति है। वहां नदियां हैं लेकिन बांध नहीं बना सकते हैं क्योंकि जंगली इलाका है। वन विभाग कई अड़चनें लगाता है कि तब तक दुगनी जमीन नहीं देंगे, आप बांध नहीं बना सकते हैं। मैं आपक माध्यम से यह बात माननीया यूपीए चेयरपर्सन से कहना चाहता हूं जो यहां बैठी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट जंगलों के लिये कड़ाई करती है कि जंगल की जमीन बचायी जाये लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है जिससे सांप भी पर जाये और लाठी भी न टूटे। वन विभाग की जमीन पर डैम बनवा दिया जाये। आखिर उस पानी से वन विभाग के पौधे भी सिंचित होंगे। आज इस विषय पर बहस चलाने की जरूरत है क्योंकि जो अपेक्षित इलाके हैं, वे पिछड़े रह जायंगे और जो आगे बढ़ रहे हैं, वे और आगे बढ़ जायेंगे। इन उपेक्षित और पिछड़े इलाकों को न्याय नहीं मिल पायेगा। इसलिये माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मैं इस बात को जोड़ने के लिए निवेदन कर रहा हूं। उन नदियों को परखा जाये जिनके चलते उपेक्षित और पिछड़े लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। यह हकीकत है कि भ्रष्टाचार हमारे देश को कैंसर की तरह खा रहा है। हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। राज चाहे किसी का भी रहा हो, लेकिन भ्रष्टाचार को कभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार की स्थिति यह है, जैसा बिहार के एक बहुत बड़े कवि विद्यापति जी ने कहा था- ''तातर सैकत वारि बिन्दु सम सुत निक रमनी सवादे।'' अगर आप बहुत गरम बालू पर चंद बूंदे पानी की डाल दें तो पता भी नहीं चलेगा कि पानी कहां गया। गरम बालू के जो कण हैं, वे उस बूंद को तुरंत खींच लेते हैं। वैसे ही इस देश में जो भ्रष्टाचार है, उसकी गरम बालू पर अगर चंद बूंदे विकास की योजनाओं की जाती हैं तो पता ही नहीं चलता कि वे योजनाएं कहां गई। इतने दिन बीत जाने के बाद भी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सका। गरीब अभी तक न्याय नहीं पा सके हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार उन नीतियों पर, जहां भ्रष्टाचार घुन की तरह लगा हुआ है, उसे कैसे दूर किया जाए, इस तरफ ध्यान दिया जाए।

मैडम, आप राजस्थान की रहने वाली हैं, मैं नहीं जानता कि वहां भ्रष्टाचार का क्या आलम है, लेकिन मैं झारखंड के बारे में कह सकता हूं कि सरकारी योजनाओं को जैसे लूटा जाता है। 35 से 40 परसैंट तक बीच में बिचौलिए और पदाधिकारी खा जाते हैं। ''उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में।'' योजनाएं आती हैं, लेकिन उन पैसों की कैसे बंदरबांट होती है, अगर इसका नग्न स्वरूप देखना चाहें तो आप झारखंड में जाकर देख सकते हैं। ऐसे हालात में कैसे वह इलाका आगे बढ़ेगा। झारखंड का निर्माण एक नये राज्य के उदय के लिए किया गया था। मैं उन लोगों में से हूं, जिन्होंने इसके निर्माण के लिए आंदोलन किया, लेकिन झारखंड बनने के बाद यह महसूस हुआ कि यह अपनी मंजिल से काफी दूर चला गया है। इसलिए इस इलाके को पटरी पर लाने के लिए मैं निश्चित रूप से सरकार से मांग करूंगा कि एक विशेष पैकेज झारखंड को दिया जाए और जो भ्रष्टाचार का आलम है, उसे दूर करने की कोशिश की जाए।

मैडम, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, इलैक्शन कमीशन की पीठ ठोकी गई, थपथपाई गई, मैं भी मानता हूं कि हिन्दुस्तान का जो लोकतंत्र है, वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि यह बीमारी दिनोंदिन बढ़ती जाए और यह फोड़ा कैंसर बन जाए। इसके पहले हमें जाग जाना चाहिए। आज भी चुनाव में जो खामियां हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। चुनाव आयोग के बारे में मैं कभी-कभी कहता हूं, जैसे फोरेस्ट विभाग के नाके होते हैं तो वहां से ट्रक के ट्रक अवैध लकड़ी के गुजर जाते हैं, लेकिन गरीब महिलाएं अगर दतवन लेकर जाती हों तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। आज भारत के चुनाव आयोग को इतना डेष्थ में जाने वाला होना चाहिए, किसी ने झंडा, पताका, बैनर लगा दिया, उस पर कोड आफ कंडक्ट के हनन का केस हो जाता है, लेकिन पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, इस पर कभी चुनाव आयोग का ध्यान नहीं जाता। जातीयता का नंगा नाच किया जाता है। अभी शरद यादव जी ठीक कह रहे थे कि अब पार्टियां टिकट देने के पहले पूछती हैं कि आपकी जात क्या है। तब हमारे जैसे लोग कहां जाएंगे। कबीर जी ने कहा था - ''जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान।'' म्यान की क्या कीमत करते हो, अगर कीमत करनी है तो तलवार की करो। लेकिन आज तलवार की कीमत कोई नहीं करता, आज म्यान की कीमत होती है। जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य है, उसे कहा जाता है कि तुम्हीं यहां के फिट केंडीडेट हो, चाहे वे चोर या डकैत ही क्यों न हो।

मैडम मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से जीता हूं, बगल के क्षेत्र में जहां मेरा विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि जब कोई चुन कर चला आया, वह माननीय सांसद है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जीता जिसे हाईकोर्ट भी इजाजत नहीं दे रहा है, वह

[श्री इन्दर सिंह नामधारी]

सदन में आकर ओथ भी ले ले - हमारा लोकतंत्र किधर जा रहा है, आज इस पर सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि इन छोटी-छोटी बातों की तरफ देखने की बजाए यह देखे कि जातीयता के इस जहर को कैसे खत्म किया जा सकता है। पैसे के दुरूपयोग को कैसे कम किया जा सकता है।

वहां हिंसा को कैसे खत्म किया जा सकता है। मैं जिस चुनाव क्षेत्र से जीतकर आया हूं, वहां से उग्रवादियों का एक कमांडर खड़ा था। जहां यह आलम था कि जहां आम जनता वोट डालने के लिए आती थी, वहां एक बैनर लगा दिया जाता था कि वोट का बहिष्कार करो। जो पहला बटन दबाएगा उसका अंगूठा काट लिया जाएगा। आम गरीब जनता तो चली जाती थी, लेकिन जो जनता हम जैसे लोगों को वोट देने आती थी, उनके जाने के बाद बैठकर ईवीएस (इलैक्ट्रिक वोटिंग मशीन) पर वोट छाप दिए जाते थे और कई सौ बूथों पर इस प्रकार छपाई की गई। मैं कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग ने कभी इस पर ध्यान दिया है?

सभापति महोदया : नामधारी जी, समाप्त करें। जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : महोदया, मैं जल्दी भावुक हो जाता हूं, क्योंकि जो अपने इलाके से त्रस्त है, अगर वह इस सर्वोच्च सदन में अपने भाव प्रकट नहीं करेगा, तो उसकी कुंठा कहां समाप्त होगी? जब आप बोल रही थीं, तो आपके दिल में भी वे अरमान थे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दिल के अरमानों को भी समझेंगी।

सभापति महोदया : आप तो विधान सभा में माननीय स्वीकर रह चुके हैं। इसलिए आपको तो बोलने के बहुत मौके मिलेंगे।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि आज चुनाव आयोग को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर यह बीमारी बढ़ती चली गई, तो देश के लिए बहुत घातक होगी। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि हम उग्रवाद को सख्ती से समाप्त करेंगे, लेकिन मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि झारखंड के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण यह भी है कि वहां पर अफसरों का भ्रष्टाचार, बिचौलियों का भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन इनके अतिरिक्त अग्रवादियों को एक लेवी देनी पड़ती है, नहीं तो आप सरकार की ओर से वर्क-आर्डर लेकर जाएंगे, उसकी कोई कीमत नहीं है, जब तक वे आर्डर नहीं देते हैं, जिस जंगल की सरकार कहा जाता है, आप ठेका ले लें, आपके नाम पर टेंडर हो गया, लेकिन बिना उनकी अनुमति के आप काम शुरू नहीं कर सकते हैं। जब तक उन्हें पत्रम्-पुष्पम् भेंट न कर दिया जाए, तब तक काम शुरू नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस इलाके का मैं प्रतिनिधि हूं, वहां की जो समस्याएं हैं, उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

महोदया, रेल मंत्री, सदन में नहीं हैं, लेकिन यू.पी.ए. की चेयरपर्सन सदन में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वह चुनाव में उस इलाके में गई होंगी, वह तो वोट मांगने का एक समय होता है, लेकिन बिना चुनाव के भी वह वहां जाएं और देखें कि किन परिस्थितियों में वह इलाका है। आज जरूरत है सरकार को वहां की समस्याओं पर ध्यान देने की। यह देखने की जरूरत है कि रेलवे की लाइन वहां कैसे जाए, वहां नदी पर डैम कैसे बने, गरीबों को रोजगार कैसे मिले। वहां पर 'नरेगा' भी मजाक बनकर रह गया है। अभी महोदया, आपने भी अपने भाषण में नरेगा के बहुत गुणगान गाए, लेकिन वहां कहते हैं कि जो नरेगा करेगा, वह मरेगा। इसका कारण क्या है? वहां मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। उनके खाते छः-छः महीने तक नहीं खुलते। जो काम नहीं करते, उन्हें मजदूरी मिल जाती है। जो काम करने वाले हैं, उनके पास जॉब का कार्ड नहीं है। आखिर ये विसंगतियां कब और कैसे दूर होंगी? इनके लिए कोई ऐसी एजेंसी हो, जो इन सब चीजों को चैक करे। अगर यह अच्छा कानून बना है, तो यह गरीबों तक पहुंचे, इसका लाभ गरीबों को हो, इसकी कोशिश की जानी चाहिए।

महोदया, मैं जो बात बोलता हूं, वह आंखों की देखी बोलता हूं। मैं सुनी-सुनाई बातें नहीं करता हूं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसी का वर्णन कर रहा हूं। इसलिए मैं, आपके माध्यम से, सरकार से आग्रह करूंगा कि उन इलाकों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, जो पिछड़ चुके हैं, क्योंकि आरक्षण भी इसीलिए दिया जाता है कि अगर कोई पिछड़ा हुआ है, तो उसे एक लाइन पर लाकर, तब उसकी दौड़ शुरू की जाए। चूंकि मेरा इलाका पिछड़ा हुआ है इसलिए उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि वहां के लोग भी कहें कि हम भारत के अंग हैं। नहीं, तो ये विसंगतियां देश की एकता को तोड़ देंगी।

महोदया, चूंकि आप एक छवि हृदय हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले दिनकर जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं-

''कि कुछ समझ नहीं पड़ता कि रहस्य यह क्या है
जाने भारत में बहती कौन हवा है
गमलों में हैं जो उगे, उनमें सुरम्य और सुगंध है

धरती के पेड़ दीन दुर्बल हैं
जब तक है यह वैषम्य, समाज सड़ेगा
किस तरह यह देश एक होकर रहेगा।''

इसलिए आज जरूरत है कि इस देश की एकता को कैसे बचाया जाए। देश की एकता को बचाने की जरूरत है।

उसके लिए यह भी जरूरत है कि जो सरकार सत्तासीन है, वह देखे कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो धरती के पेड़ हैं, वे कहीं सूख तो नहीं रहे हैं और गमलों में उगे हुए लोग पुष्पित और पल्लवित तो नहीं हो रहे हैं। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इस देश में समरसता नहीं आ सकेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंतनाग) : मैडम चेयरपर्सन, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहली बार मुझे मुल्क के सबसे बड़े एवान में बात करने का मौका मिला है।

मैं उस स्टेट से हूं, जिस स्टेट के बारे में मुझे लगता है कि गलतफहमियां बहुत हैं। मैं 1983 से पब्लिक लाइफ में हूं, मेरे वालिद भी थे। मैं जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस से ताल्लुक रखता हूं। कश्मीर के सबसे बड़े टालैस्ट लीडर जो थे, मेरे वालिद, मेरे पिताजी भी उनके साथ थे और मैं इस मुल्क के सबसे बड़े मुअज्जिज एवान में, अपनी मेडन स्पीच में अपनी रियासत के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसी मेरी बहुत से साथियों ने यहां बातें की, ऑनरेबिल प्रेसीडेंट ने जो जोइंट सैशन को एड्रैस दिया, उस पर आपने जो वोट आफ थैंक्स का मोशन लाया, मैं उसके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मगर मैं कुछ बातें जरूर कहंगा।

हम 20 साल से उसे मिलीटेंसी का शिकार हैं, जिस मिलीटेंसी की बातें पूरे देश से सुनीं और जिस मिलीटेंसी की बातें अभी मुझसे पहले मेरे झारखंड के साथी ने कहीं। शायद धरती पर, मैं देश की बात नहीं, धरती की बात करूंगा, कश्मीर वाहिद एक ऐसी जगह है, जिसकी पूरी दुनिया ने चर्चा सुनी और पूरा देश बहुत फख्र के साथ कहता है कि यह पूरे देश का ताज है, रियासते जम्मू-कश्मीर और कश्मीर, जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं।

जैसे मैंने नेशनल कांफ्रेंस के सबसे बड़े टालैस्ट लीडर शेख अब्दुल्ला की बात की, मैं इस एवान में याद दिलाना चाहूंगा कि मैं उस रियासत से ताल्लुक रखता हूं, जब पूरे देश में मजहब के नाम पर खून की होली खेली जा रही थी तो उस वक्त फादर आफ द नेशन, महात्मा गांधी जी को रोशनी की किरण नजर आई थी, मैं उसी कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं और उसका फख्र मेरी पार्टी जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस को है। हमने टू नेशन थ्योरी को रिजैक्ट किया। हमारे लीडर शेख अब्दुल्ला ने टू नेशन थ्योरी को न सिर्फ रिजैक्ट किया, बल्कि जिन्ना को वहां से भगा दिया और हिन्दू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद का नारा दिया। कश्मीर पूरे मुल्क में वाहिद जगह थी, जहां पर हिन्दू मुस्लिम के झगड़े नहीं हुए। हमने रिश्ता जोड़ा था, एक सियासी रिश्ता, बाजाब्ता शायद रियासते जम्मू-कश्मीर वाहिद रियासत है, मैं अपने मुअज्जिज साथियों को बताना चाहता हूं,

[अनुवाद]

यह एकमात्र राज्य है जो इस महान राष्ट्र का अंग बना। हमने शेष राष्ट्र के साथ संबंध बनाएं। देश के अन्य राज्यों के बारे में यह सत्य नहीं है।

[हिन्दी]

जिसका ख्वाब कश्मीरियों ने देखा था।

[अनुवाद]

हमने एक दस्तावेज - विलय दस्तावेज-पर हस्ताक्षर किए हैं और हमें गर्व है कि हम इस राष्ट्र का अंग बने। वह एक धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश था।

[हिन्दी]

वह जो बन्दूक थी, वह खामोश होगी, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पोलिटिकल इम्लीकेशंस हैं, कश्मीर का जो पोलिटिकल इश्यू है, उसे पोलिटिकली एड्रैस करना है। जहां तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है,

[अनुवाद]

हमने आतंकवाद की समस्या को नियंत्रित किया है, और हमें सेना पर गर्व है।

[डॉ. मिर्जा महबूब बेग]

[हिन्दी]

जहां तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है,

[अनुवाद]

विलय के समय, जब हम इस देश का अंग बने, तब हम पूरे देश में एक पूर्णत: स्वायत्तशासी राज्य थे। हमने विलय किया और संघ को तीन विषय दिए और बाकी के विषयों के लिए हम पूर्णत: स्वायत्त थे तथा इस संघ में हमारा एक खास दर्जा है। लेकिन दुर्भाग्य से,

[हिन्दी]

वह गिंल हैंडेडली इरोड हुआ है, वन साइडेड इरोजन उसमें हुआ है। जहां तक हमारी सोच है, हम समझते हैं कि रेस्टोरेशन,

[अनुवाद]

हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि,

[हिन्दी]

जब हम इस देश का हिस्सा बने, जो स्पेशल स्टैटस हमें हासिल था, जिसको आटोनामी बोलते हैं, वह हमें रेस्टोर करें। यह जरूरी है वहां की एलिनेशन को एड्रेस करने के लिए, वहां की पालिटिकल अलाहिदगी को एड्रेस करने के लिए। बहुत से फार्मूले इसके लिए आए। हमें लगता है कि अगर कोई वायबल प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन कश्मीर ईश्यू का है, तो वह रेस्टोरेशन आफ फुल्ली आटोनामस पोजीशन है।

बहुत से फार्मूले आए, बहुत सी बातें हुई, हम चाहेंगे कि जिसे प्राइम मिनिस्टर, डा. मनमोहन सिंह जी ने शुरू की थी, सोनिया जी ने शुरू की थी, वह डॉयलाग प्रासेस, क्योंकि जितनी रिलेशनशिप इन दो कंट्रीज के दरम्यान ठीक रहे, उतना जम्मू-कश्मीर रियासत ठीक होगा। बदकिस्मती से जितनी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान और हमारे देश के दरम्यान बिगड़ती है, उसका सबसे ज्यादा और खराब असर रियासते जम्मू कश्मीर पर पड़ता है। यहां मैं इकानामिक्स की बात करता, मगर जब तक पालिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि हम फक्र के साथ कह सकते थे कि हमने टू-नेशन थ्योरी रिजेक्ट की। जब कम्युनल रायट्स होते हैं, यहां मेरा सिर फक्र से ऊंचा होता है कि हमारी प्रेसीडेंट ने जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको एड्रेस किया, उसमें यह बहुत अच्छी बात कही थी कि कम्युनल रायट्स को रोकने की जरूरत है। जब कम्युनल राइट्स वहां होते हैं, तो हमें प्राब्लम्स हो जाती हैं।

अटल जी यहां होते, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं उनसे बात कहूं और वे मेरी बात सुनें। अगर आप इस देश के एक ही सैक्शन को अपने साथ चलायेंगे, क्योंकि इसमें एक बिलियन लोग रहते हैं, हमें सभी एक बिलियन लोगों को अपने साथ चलाना है। अगर कोई भी पालिटिकल पार्टी सिर्फ एक सैक्शन को अपने साथ चलाए, एक रिलीजन को अपने साथ चलाये, एक रीजन को अपने साथ चलाये, एक ही जुबान बोलने वालों को अपने साथ चलाये, तो वह पूरे देश का भला नहीं कर सकते हैं। हमने पूरे देश को, एक बिलियन लोगों को, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और किसी भी जुबान के बोलने वाले हों, हम समझते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है, जो ऐसा कर रही है। हमारा मानना है कि यही एक पार्टी और यही एक एलायंस है जो पूरे देश को इकट्ठा रख सकती है। अगर हमने इसके टुकड़े किए, अगर हमने किसी रिलीजन और रीजन की बात की, तो मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं आती है कि वह देश का भला नहीं चाहते। आडवाणी जी एक्सटर्नल एग्रेसन की बात कह रहे थे, कोई भी सिटीजन जो इस कंट्री का होगा, वह इसको बरदाश्त नहीं कर सकता। मगर इंटरनल एग्रेसन का हम क्या करें? जब हम अपने ही सिटीजंस को मजहब के नाम पर मारने लगें, जब हमारे ही सिटीजंस यहां सेफ महसूस न कर सकें, जब हमारे ही सिटीजंस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएं मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, उनके पास जाएं और उनको इंसाफ न मिले।

[अनुवाद]

उनके पास कोई चारा नहीं है।

[हिन्दी]

मुझे नहीं लगता है कि वह देश की कोई खिदमत है। अगर देश की कोई खिदमत होगी, तो उसे कांग्रेस कर सकती है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आपस में बात मत करिए, आपकी बात उन्होंने सुनी है। उन्हें आप अपनी बात कहने दें। आडवाणी जी बोले थे, तो उन्होंने उनकी बात सुनी थी।

(व्यवधान)

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : देश की खिदमत सैक्युलर फोर्सेस कर सकती हैं और देश की खिदमत यहां के वे लोग कर सकते हैं, जिन्होंने ये इम्तिहानात पास किए हैं। वही इस देश को इकट्ठा रख सकते हैं और वही इस देश को चला सकते हैं। गांधी जी और नेहरू जी ने ख्वाब देखा था, उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टी यूपीए एलायंस जैसे सैक्युलर फोर्सेज में, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, जिसको हमारे सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि सैक्युलरिज्म यहां की बुनियाद है और जो भी ताकतें उस बुनियाद को हिलायेंगी, वे इस देश को कमजोर करेंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के साथ जो डायलाग हुआ है,

[अनुवाद]

कोई वार्ता अंतिम नहीं होती। हमारा एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश है। हमें वार्ता नहीं रोकनी चाहिए। पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जारी रखना चाहिए और पाकिस्तान के साथ पुनः वार्ता शुरू करनी चाहिए। वहां जो भी ताकतें हों, हमें उनसे बातचीत करनी होगी ताकि इस उपमहाद्वीप में स्थायी शांति स्थापित हो सके और हम भी भागीदार बन सकते हैं।

[हिन्दी]

जैसे बाकी देश तरक्की कर रहा है, पोलीटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि पोलीटिकल अनसर्टेनटी है। इसलिए हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जो तरक्की पूरा देश कर रहा है, बदकिस्मती से पोलीटिकल अनसर्टेनटी की वजह से हम उस तरक्की के बराबर नहीं जा रहे हैं। वहां और भी कई बाते हैं।

मैडम, जब 1990 में वहां मिलिटैंसी हुई, ऐबनार्मल सिचुएशन थी, ऐबनार्मल सरकमस्टांसेस थे, ऐबनार्मल सिचुएशन और सरकमस्टैंसेस को हैंडल करने के लिए हमें कुछ ऐबनार्मल जाल ऐसे लाने पड़े ताकि आर्मी और सिक्युरिटी फोर्सेस को स्ट्रैन्थैन करें। मगर अब ऊपर वाले के कर्म से, कांग्रेस गवर्नमैंट की वजह से और भारत सरकार की वजह से हम बहुत हद तक उसे ऐड्रैस कर चुके हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि वह जो पीस प्रोसैस थी, उसे इनीशिएट करें, रीस्टार्ट करें ताकि पोलीटिकल अनसर्टेनटी ऐड्रैस हो और जो कावानीन, जो लाज उस वक्त उन्हें हैंडल करने के लिए दिए थे, अब चूंकि सिचुएशन ठीक होती जा रही है, तो वक्त आ गया है कि उन्हें रीकंसीडर करे।

सभापति महोदया, मैं आपकी वसादत से पूरे ऐवान को बताना चाहता हूं कि उस वक्त के जो लाज थे, अब सिचुएशन में बड़ा फर्क आ गया है। प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कुछ कमेटीज बनाई थीं। उन्होंने रिकमैंडेशन्स दिए थे और एक कमेटी के चेयरमैन हमारे नायाबी सदर डा. हामिद हैं। उन्होंने कुछ रिकमैंडेशन्स दिए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वक्त आ गया है कि उन रिकमैंडेशन्स को, प्रधान मंत्री जी के कहने पर जो कमेटीज बनीं, उन्हें इम्प्लीमैंट करें ताकि कश्मीर भी पूरे देश की तरह आगे चले और तरक्की का रास्ता अख्तियार करे।

प्रैजीडैंट ने जो ऐड्रैस दिया, उसमें आम आदमी की बात थी। उसमें जो आम आदमी भूखा था, उसे फूड देने की बात थी। उसे रोजगार देने की बात थी, उनके इम्प्लीमैंटेशन की बात थी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस ऐवान की बदौलत रियासते जम्मू कश्मीर के लोग, जिन्होंने हमें चुना है, इस चुनाव में रियासते जम्मू कश्मीर के हवाले से दो बहुत खुबसूरत बातें हुई हैं। वहां जो ऐक्सट्रीमिज्म है, उन्हें रिजैक्ट किया गया है। जम्मू में कांग्रेस के कैंडीडेट कामयाब होकर आए हैं। उन्होंने वहां कम्युनल फोर्सेज को डिफीट किया और कश्मीर में सैपरेटिस्ट फोर्सेज को डिफीट किया है। एक सैपरेटिस्ट ने यू टर्न लाकर, हमारे साथी यहां बैठे हैं, उन्होंने उन्हें तीसरी जगह पर फेंक दिया है, उनकी जमानत तक जब्त हुई है। इसलिए कश्मीर ने सैपरेटिज्म को रिजैक्ट किया है, जम्मू ने कम्युनल फोर्सेज को रिजैक्ट किया है। हमारे पास एक ऐडवांटेजियस पोजीशन है जिसका फायदा उठाकर इस सिचुएशन को और बेहतर करने की जरूरत है, ताकि वहां जो कुछ फोर्सेज अमन नहीं चाहतीं और अनफार्चुनेटली आप जानते हैं कि जब ऐबनार्मल सरकमस्टांसेस होते हैं तो डिफरैंट सैक्शन्स आफ दी सोसाइटी में वैस्टेड इंटरेस्ट डैवलप होते हैं जो ऐबनार्मल सरकमस्टांसेस में थ्राइव करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम उनके डिजाइन्स को नाकाम बनाएं, कमजोर करें और कश्मीर को भी इस देश के साथ आगे चलाएं। पूरी कंट्री ने पूरी ताकत के साथ यूपीए के ऐलायंस को जो रिटर्न किया है, उसे उसके साथ मिलाने की जरूरत है ताकि कश्मीर भी पूरे देश के साथ आगे जाए और तरक्की करे।

डॉ. भोला सिंह (नवादा) **:** सभापति महोदया, सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्थापित हुआ है, यह सभा उस पर विमर्श कर रही है। मैं बिहार के उस हिस्से से आया हूं जहां राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और अपराध का राजनीतिकरण हुआ है। जहां धरती प्यासी है, मनुष्य की आत्मा प्यासी है। इस सदन में, मैं कुछ बातों को रखूं, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। चीन के सिटी मजिस्ट्रेट ने एक स्थान पर कहा,

[डॉ. भोला सिंह]

जब शिष्यों ने कन्फ्यूशियस से पूछा कि एक राज्य के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने कहा कि एक राज्य के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है-फोर्ट, फूड एंड फेथ। शिष्य ने फिर उनसे पूछा कि अगर तीन चीजों में से एक को हटाना पड़े, तो किस चीज को हटायेंगे और दो चीजें कौन सी रहेंगी? उस समय कन्फ्यूशियस ने कहा कि फोर्ट को हटा देंगे, सेना को हटा देंगे। शिष्य ने फिर पूछा कि इन दो में एक चीज और हटानी पड़े और एक चीज को रखना पड़े, तो किस चीज को हटा देंगे? कन्फ्यूशियस ने कहा कि फूड को हटा देंगे।

[अनुवाद]

लेकिन विश्वास के बिना राज्य का अस्तित्व ही नहीं हो सकता।

[हिन्दी]

बिना आस्था के, बिना फेथ के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जब राजनीति डूबती है, तो फेथ डूबने लगता है। जब राजनीति डूबती है, तो संस्कृति डूबने लगती है। जब राजनीति डूबती है, तो समाज डूबने लगता है। जब राजनीति डूबती है, तो व्यवस्था डूबने लगती है, इसलिए राजनीति की शुद्धता को बनाये रखना चाहिए। पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में जब राजनीति मां थी, तो जहर पीती थी और अमृत उगलती थी। जब राजनीति व्यवसाय हो गयी, राजनीति व्यापार हो गयी, राजनीति भोग और विलास हो गयी, तो वह अमृत पीती है, जहर उगलती है।

मैडम, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, राजनीति को सिद्ध करने के लिए, राजनीति मां के आसन पर बैठे और उसकी संवेदना, जनजीवन की संवेदना बने, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं बिहार के उस हिस्से से आया हूं, बिहार जो सर्वधर्म समभाव है, बिहार जो हिन्दुस्तान की राजनीति का एक आधार स्तम्भ रहा है, बिहार जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के आसन पर बिठाया, वह बिहार पिछड़ गया है। बिहार विकास के क्षेत्र में इतना पिछड़ गया है कि इस देश के तमाम राज्यों से नीचे वह लटका हुआ है। इसलिए हम इस सदन और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर इस देश का विकास करना है, सम्पूर्ण रूप से विकास करना है, तो बिहार को विकास के साथ जोड़ना होगा। बिहार को स्पेशल स्टेटस देना होगा, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देना होगा। बिहार का यह दुर्भाग्य है कि बिहार कई बार कटा है, उसके अंग-प्रत्यंग कटे हैं। उड़ीसा उसी से बना, झारखंड उसी से बना और अब जो बिहार बचा हुआ है, वह बाढ़ है, वह विनाश है, बालू है, सूखा है-यही बिहार है। जब झारखंड बना, उस समय तत्कालीन सरकार के माध्यम से कहा गया कि बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे और इसके लिए दो बार बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुए कि 1,47,000 करोड़ रुपए स्पेशल पैकेज के रूप में दिए जाएं, लेकिन यह कदम आज तक नहीं उठाया गया। मैडम सोनिया जी यहां बैठी हैं। सोनिया जी के परिवार से मेरे गहरे ताल्लुक रहे हैं और सोनिया जी भारत बनने के लिए साधना कर रही हैं। साधना की उस ऊंचाई पर जाने के लिए पग-पग पर वह तैयार बैठी हुई हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि उस बिहार का विकास करने के लिए आपको ध्यान देना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में जो किसान हैं, मैं उनकी हालत के बारे में कहने से पूर्व, एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत में जब सब कुछ जल गया, कौरव मारे गए तो कौरवों की मां गान्धारी भूख से छटपटाने लगी। वह देखने लगी कि कहां पर खाने की चीजें हैं। उसने देखा कि एक पेड़ जला हुआ है, बेर का पेड़ है। गान्धारी उसको उछल कर तोड़ना चाहती है, मगर बेर के फल उसके हाथ में नहीं आते। अगल-बगल में पड़ी हुई हैं उसके बेटों की लाश। गान्धारी अपने बेटों की लाशें उठा-उठाकर टीला बनाती है और उस टीले पर खड़ी होकर गान्धारी बेर तोड़ने लगती है कृष्ण कहते हैं, हे गान्धारी, मां होकर भी बेटों की लाश के टीले पर बैठकर यह क्या कर रही हो? गान्धारी ने कहा, हे वासुदेव, बुढापा दुख का कारण है, गरीबी उससे ज्यादा दुख का कारण है, जवान बेटे का मरना उससे भी ज्यादा दुख का कारण है, पर भूख से मरना सबसे ज्यादा दुख का कारण है। मैं आत्महत्या नहीं करना चाहती हूं। मैं उससे बचना चाहती हूं। आज केंद्रीय सरकार ने पैडी का दाम 900 रुपए रखा, आपने उसका लाभप्रद मूल्य दिया। बिहार सरकार ने उस पर 50 रुपए बोनस दिए, लेकिन आपका जो भारतीय खाद्य निगम है उसके बारे में मैं क्या कहूं। इस निगम ने किसानों की जिन्दगी के साथ जो खेल खेला है, उनके साथ जो क्रूर मजाक किया है, मैं कह सकता हूं कि किसानों का हजारों क्विंटल धान उनके खेतों और घरों में पड़ा हुआ है। जिन किसानों ने पुराना धान बेची भी, उनको भी अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है। भारतीय खाद्य निगम ने अब यह कदम उठाया है कि बिचौलिए के माध्यम से वे धान खरीदते हैं और किसानों को बाध्य होकर 600 रुपए में अपना धान बेचना पड़ता है। मैं बड़ी पीड़ा से, उनके संत्रास को समझते हुए आपके सामने कहना चाहता हूं कि किसानों के पास

कोई नकदी नहीं है। बिहार में नकदी फसल नहीं हो पा रही है, जो कुछ है, उनका गेहूं और धान ही है। पिछले दिनों बिहार में भोजपुर में, जहां से सदन की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार जी आती है,

अपराह्न 5.00 बजे

वहां किसानों ने हजारों क्विंटल धान को जला दिया है, क्योंकि उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। उनकी बेटियों की शादी की उम्र निकल गई है, वे 30, 35 और कुछ तो 40 बरस की हो गई हैं, लेकिन उनके माथे पर सुहाग का सिन्दूर नहीं लगा है। जब किसी लड़की के लिए वर खोजा जाता है तो वह लड़की कहती है कि मां मैं अब शादी करके क्या करूंगी, मैं मां नहीं बन सकती, मेरा जीवन व्यर्थ है। इस तरह से भारतीय खाद्य निगम ने वहां के किसानों के साथ क्रूर मजाक किया है, उसके साथ ही उसने केन्द्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का भी उल्लंघन किया है। मैं चाहता हूं कि यह सदन, सरकार और खासकर मैं सोनिया जी से आग्रह करूंगा कि वे सदन की एक कमेटी बनाएं जो बिहार में जाकर देखे कि किसानों के साथ क्या मजाक हुआ है और क्या हैवानियत का खेल खेला गया है।

सभापति महोदया, मैं एक बात और सदन में आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। बिहार का उत्तरी क्षेत्र साल भर से बाढ़ से तबाह रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कोसी के कुसबा बांध के टूट जाने से वहां के 40 लाख लोग बेघरबार हो गए और कई लापता हो गए। आज भी लाखों लोग आकाश के नीचे बरसात में, गर्मी में जीने के लिए मजबूर हैं। यह सही बात है कि कोसी का जो संत्रास है, वह एक राष्ट्रीय विपदा है। बिहार में कोसी जनित बाढ़, गंगा की बाढ़ एक विपदा ही है। हमने सोचा था कि इससे निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार निश्चित रूप से सहायता करने के लिए आगे आएगी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 40 लाख लोग अभी तक वहां बेघरबार हैं। उनकी जमीन में बालू भरी हुई है इसलिए वे खेती नहीं कर सकते। उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और वे अनाथों की तरह जीवनयापन कर रहे हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को राजनीतिक प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखते हुए उनकी सहायता करनी चाहिए।

कांग्रेस किसी पार्टी का नाम नहीं है। कांग्रेस को जिन लोगों ने भी पार्टी बनाने का कदम उठाया है, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस में गंगा की तरह समर्पण का भाव रहा है। उसमें हिमाचल की ऊंचाई रही है। अगर उसे पार्टी बनाया जाता है तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। कांग्रेस कई विचारधाराओं की संस्था है, मां है। अगर एक विचारधारा के रूप में उसे रखा जाएगा, तो इस देश का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए केन्द्र सरकार बिहार के मामले में कदम उठाए।

बिहार में 1 करोड़ 81 लाख लोग बीपीएल सूची में हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार सिर्फ 65 लाख लोगों को ही बीपीएल सूची में मानती है। हमारे क्षेत्र में 1 करोड़ 23 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। आप सिर्फ पूरे बिहार के 65 लाख गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए ही सहायता यहां से भेजते हैं, जबकि बिहार सरकार का कहना है कि बिहार में 1 करोड़ 81 लाख लोग बीपीएल में दर्ज हैं। इसलिए प्रदेश सरकार को बाकी गरीब लोगों के लिए अपने बजट में 965 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उनके लिए खाने-पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बिहार में जो एपीएल की सूची में लोग हैं, उन्हें केरोसीन तेल नहीं मिलता इसकी व्यवस्था आपने नहीं की है। इसलिए प्रदेश सरकार 464 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके उन्हें केरोसीन तेल देने का प्रावधान करती है। यह बिहार सरकार को बाध्य होकर करना पड़ता है। इसलिए गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, उनके बारे में स्पष्ट नीति का निर्धारण यहां से होना चाहिए। जो बीपीएल सूची में दर्ज लोग हैं।

सभापति महोदया : अब आप अपने भाषण को समाप्त करें, क्योंकि अभी कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात को कहना है।

डॉ. भोला सिंह : मैं समाप्त करने की ओर ही जा रहा हूं।

सभापति महोदया : बिहार पर किसी दिन विशेष चर्चा जरूर करें लेकिन आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के लिए धन्यवाद करें।

डॉ. भोला सिंह : मैं यह कहने जा रहा हूं कि बिहार को एक स्पेशल स्टेटस दें, उसकी गरीबी के निदान के लिए, अलग से व्यवस्था करें और यह बात हम आपके माध्यम से, सरकार से कहना चाहते हैं। मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैडम, जब कृष्ण की मीरा जो कृष्ण की दासी थी, वह जब नर्तन कर कृष्ण की आराधना करती थी तो एक युवक ने उससे कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। मीरा ने कहा कि मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी तीन शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। मेरी पहली शर्त है कि मैं भरपेट खाऊंगी और तुझे भूखा रहना पड़ेगा। उसने कहा कि यह कैसे मंजूर हो सकता है? मीरा ने कहा कि मेरी दूसरी शर्त

[डॉ. भोला सिंह]

है कि मैं दिन-रात सोऊंगी और तुझे दिन-रात जागना पड़ेगा। युवक ने कहा कि यह कैसे मंजूर हो सकता है? मीरा ने कहा कि मेरी तीसरी शर्त है कि मैं पूरे तन पर कपड़ा पहनूंगी और तुझे नंगा रहना पड़ेगा, क्या यह शर्त मंजूर है। युवक ने कहा कि यह कैसे मंजूर हो सकता है। मीरा ने कहा कि हम उसकी दासी हैं, हमने उसकी आराधना की है जो खुद भूखा रहता है और हमें खिलाता है, जो हमेशा जगा रहता है और सबको सुलाता है और जो खुद कुछ नहीं पहनता और हम सबको पहनाता है। सरकार को भी इसी दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, उसे जागते रहना चाहिए, तभी देश शांति से सोएगा। उसे भूखा रहकर देश की सेवा करनी चाहिए, तभी सारे लोग संतुष्ट होंगे। आज राजनीति को मां के आसन पर बैठाने के लिए हमें कदम उठाने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि

''हो गयी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही,
है कहीं आग, तो वह आग जलनी चाहिए।
मेरा काम हंगामा खड़ा करना नहीं,
पर शर्त है कि यह जो सूरत है वह बदलनी चाहिए''।

इन्हीं शब्दों के साथ, जो माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण है, उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5.09 बजे

[**श्री इन्दर सिंह नामधारी** *पीठासीन हुए*]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है। सभापति महोदय, इतिहास का मूल्यांकन भविष्य में होता है। यह सदन भी 15वीं लोकसभा के इतिहास की इबारत लिख रहा है। तीन जून को इबारत लिखी, जिसके साक्ष्य केवल सदन के माननीय सदस्य ही नहीं है बल्कि सारी दुनिया है क्योंकि दुनिया के 34 मुल्कों में जहां महिला स्पीकर हो चुकी हैं, भारत भी अब उस श्रेणी में खड़ा हुआ है। केवल एक इतिहास का निर्माण ही नहीं हो रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, इस 15वीं लोकसभा में ऐसे कई इतिहास रचे जाएंगे, जिसका भविष्य में मूल्यांकन होगा।

महोदय, मैं समझता हूं कि यह पहली सरकार होगी, जिसने महात्मा गांधी जी की बात को माना है कि भारत गांवों में बसता है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, दिशाएं दिखाई देती हैं कि सारे कार्यक्रमों का लाभ अधिकांश गांव के लोगों को मिलेगा। मैं समझता हूं कि अगर अभिभाषण का सार लिया जाए, तो तीन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं चाहे गांव में रहने वाले तमाम ऐसे बच्चे, जिन्हें दो जून का भोजन नहीं मिलता है, ऐसे 15 करोड़ लोगों के लिए मध्याह्न भोजन की स्कूलों में व्यवस्था की गई है। सरकार ने 65 वर्ष के शत् प्रतिशत लोगों को, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें पेंशन देने का काम किया है। अगर 40 वर्ष की कोई बहन विधवा होती है, तो उसे निश्चित तौर से पेंशन मिलेगी। यह इतिहास होगा कि पहली बार सरकार अपनी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को सौ दिन के अंदर पूरा करने के लिए स्वयं को उत्तरदायी बना रही हैं। कई सदस्यों ने कहा है कि कदाचित सरकार की नीतियां, कार्यक्रम आदि सही हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। अगर महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ लिया जाए, तो जितनी शंकाएं हैं, वे निर्मूल हो जाएंगी। कदाचित यह पहली बार होगा कि सरकार की तरफ से योजनाओं के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, जनता के प्रति जवाबदेही के लिए प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों की मोनिटरिंग करने के लिए तथा सार्वजनिक रूप से इनकी स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर एक कार्यनिष्पादन मोनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। ऐसा पहली बार इतिहास में हो रहा है कि देश की उन्नति के लिए बनाई गई योजनाओं का मूल्यांकन प्रधानमंत्री कार्यालय से होगा। जब पिछली सरकार ने भारत निर्माण योजना शुरू की थी, चाहे गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य की बात हो, टेलीफोन की बात हो, सड़क की बात हो या गांवों के विकास की बात हो, सरकार के कार्यक्रमों की जो रिपोर्ट होती थी, वह शासकीस या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी जाती थी। पहली बार है कि भारत निर्माण की रिपोर्ट समुचित रूप से उसका प्रकाशन अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि भारत सरकार का मंत्री पूरे देश की जनता को बताएगा कि भारत निर्माण के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है। लोगों की यह चिंता थी कि बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके कार्यान्वयन के लिए पहली बार महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखा होगा कि एक तरफ कार्यक्रमों का समावेश है, योजनाओं का समावेश है, वहीं दूसरी तरफ उन कार्यक्रमों की मोनिटरिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा सेल बनाए गए हैं। चाहे राइट टू इंफोर्मेशन की बात हो चाहे सार्वजनिक डाटा की बात हो, यहां

तक कि नरेगा के लिए, जिसके लिए कहा गया कि नरेगा कोई करेगा तो मरेगा, इसके लिए भी संवैधानिक रूप से जिला स्तर पर व्यवस्था करके नरेगा की अनियमितताओं को कम करने का प्रयास किया है। हम सरकार को धन्यवाद देंगे कि इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति जनपद स्तर पर होगी, जिससे निश्चित रूप से नरेगा के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार में कमी होगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा का चुनाव एंटी-इंकम्बेंसी नहीं हुआ है। यह पहला चुनाव है, जो सकारात्मक रूप से हुआ है। यह इसलिए हुआ है, क्योंकि सरकार की पिछले पांच साल की उपलब्धियां हैं। वह उपलब्धि कर्ज माफी की भी थी। जब बुंदेलखंड में किसान मर रहा था, हमारे राज्य की मुख्यमंत्री अपना जन्मदिन मना रही थीं। उस समय उनके दरवाजे पर राहुल गांधी जी और हम कांग्रेस जन खड़े थे। हमने कर्जे की माफी की बात कही थी, तब राज्य सरकार ने कहा था कि ब्याज भी माफ नहीं कर पाएंगे। हम राहुल जी को धन्यवाद देंगे कि कांग्रेस का डेलिगेशन आया। प्रधानमंत्री जी से मिले, सोनिया जी से मिले, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश का किसान कर्जे के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा था।

निश्चित तौर पर उस खेती को अलाभप्रद से लाभप्रद बनाने का काम इस कर्ज माफी योजना ने किया है जिस का असर चुनावों पर पड़ा है। 5 करोड़ किसानों का 72, 600 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। आप कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं। जिस तरीके से सदन में कहा गया, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि हमारा मूल्यांकन इस तरह नहीं होना चाहिए, हमारी परख हमारे काम से होनी चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि सदन में या सदन के बाहर हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने उनको इतना कमजोर नहीं कहा होता तो परिस्थिति दूसरी होती। मैं कांग्रेस की अध्यक्षा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जब चुनाव प्रारम्भ नहीं हुआ बल्कि जिस समय मैनिफैस्टो रिलीज किया उसी दिन कहा क्योंकि बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि कौन अगला भारत का प्रधानमंत्री होगा तो उसके जवाब में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह होंगे और यह फैसला कुछ लोगों के कहने से नहीं होगा, देश की जनता का होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी की जनता का होगा। पहली बार देश की जनता ने सकारात्मक रूप से इन नीतियों तथा कार्यक्रमों पर फैसला किया है।

मान्यवर, ये लोग भूल जाते हैं। यह जब तक विपक्ष में थे तो नारा देते थे हर हाथ को काम, हर खेत को पानी लेकिन जब सत्ता में आए तो भूल गए कि हर हाथ को काम देना है और हर खेत को पानी देना है। हम नारा नहीं देते हैं कि हर हाथ को काम देंगे। हमने कानून बना कर पूरे देश में नरेगा, ग्रामीण रोजगार योजना बनायी। यह इस बात का साक्षी है कि हमने कानून बनाया कि कोई 18 साल का व्यक्ति यदि अपने घर में, गांव में रोजगार की मांग करेगा तो उसे निश्चित रूप से 100 दिन का रोजगार 100 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। ये लोग भूल गए थे कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी देना है। इसलिए इनको जनता भी भूल गई। यहां 6 वर्ष की बात हो रही थी और कहा गया कि हमने 6 वर्ष राज चलाया लेकिन यह साबित हो गया कि ये भगवान राम के पुजारी नहीं, व्यापारी हैं। जब चुनाव आते हैं तो उनका नाम लेते हैं। इनको स्वयं स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो उन्होंने 6 बजट पेश किए थे। उस समय कृषि क्षेत्र में 2.1 परसेंट, उद्योग में 5.4 परसेंट की वृद्धि हुई थी, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं, 5.5 परसेंट की वृद्धि हुई थी। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी जी की सरकार थी। उस समय जीडीपी 7 परसेंट था जो अपने आप में एक रिकार्ड है। 1991-96 में भी कांग्रेस की सरकार थी और उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। उस समय जीडीपी 7 परसेंट था। 2004 से 2008 में जीडीपी 8.5 परसेंट था, वह 9 परसेंट तक गया जो तीन साल तक रहा। आज पूरी दुनिया में हमारी इकॉनमी का अगर किसी के साथ मुकाबला है तो चाइना से है। आज ब्रिटेन की इकानमी भी माइनस फोर परसेंट है। वहां मंदी का असर है चाहे यूरोप हो या दुनिया के दूसरे मूल्क हों। आप जानते हैं कि कृषि की विकास दर 1900 से 1950 तक केवल एक प्रतिशत थी, 1950 से 1980 तक 3.6 परसेंट थी और 2003 से 2008 में 8.5 परसेंट हुई है। हमने इस तरीके से विकास किया है। अप्रैल महीने में मुख्य रूप से जो 6 तेल ग्रुप की इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें उद्योगों की विकास दर 4.3 परसेंट हुई जो पिछले साल अप्रैल में 2.3 परसेंट थी, मार्च में 2.7 परसेंट थी और उस कोर इंडस्ट्रीज में सीमेंट, तैयार स्टील, कोयला, ऊर्जा, पैट्रोलियम रिफाइनरी आती हैं। आज औद्योगिक उत्पाद के इंडैक्स में इन उद्योगों का 26 परसेंट हिस्सा है। सीमेंट सैक्टर की विकास दर पिछले साल के मुकाबले में 6.9 से बढ़ कर 11.7 परसेंट हुई है।

महोदय, हमने प्रगति की है। हम अपने कार्यक्रमों की उपलब्धियों को दिखाते हुए चुनाव जीत कर आए हैं। हम नारों द्वारा जीत कर नहीं आए हैं। चुनाव के पहले प्रतिपक्ष का क्या नारा था आतंकवाद का नारा था, महंगाई का नारा था। जब दोनों बार यूपीए सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी की, डीजल के दामों में कमी की तो उसका पूरे देश पर प्रभाव पड़ा, महंगाई का नारा खत्म हो गया। हमने आतंकवाद का जिस तरह 26 नवम्बर को मुकाबला किया,

[श्री जगदम्बिका पाल]

आज 6 महीने हो गए हैं, मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग-थलग पड़ा है। ऐसी परिस्थिति में न आतंकवाद और न ही महंगाई मुद्दा रह गया है। नया मुद्दा रह गया है। नया मुद्दा स्विस बैंकों से धन लाने का हो गया।

पूरे देश की जनता ने महसूस किया कि यह कौन सा मुद्दा हो गया। ये 6 साल से सरकार में थे। तब यह मुद्दा नहीं था, उसके बाद भी यह कभी मुद्दा नहीं था। ठीक चुनाव में यह मुद्दा उठा। जनता ने महसूस कर लिया कि इस तरह से रोज मुद्दे बदलते हैं, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर वेटिंग रहते हैं, एक बुड-बी-प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, मानो दो-दो प्राइम मिनिस्टर कर दिये हों, पूरी पार्टी में मानो एक तरह से डिवीजन हो गया। लोगों ने सोचा कि यह इस बार के प्राइम मिनिस्टर हैं, और वे अगली बार के प्राइम मिनिस्टर हैं। देश की जनता सारा मूल्यांकन करती है और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का यह चुनाव हुआ है, वह निश्चित तौर से एक सकारात्मक चुनाव है। जिस समय नरेगा लागू हो रहा था, इसी सदन में लोग कह रहे थे, मुझे याद है कि वह 26 फरवरी का दिन था, 20 फरवरी 2006 को जब मधुसूदन मिस्त्री जी बोल रहे थे तो लोगों ने पूछा कि यह नरेगा लागू होगा तो कैसे पैसा आएगा? कहां-कहां लागू होगा, इसकी क्या व्यवस्था होगी? जैसे आज भी यह सवाल उठाया गया लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत से कार्यक्रम दिये गये हैं लेकिन इसके लिए बजट में खास व्यवस्था होगी। इसी तरह का सवाल उस दिन भी खड़ा हुआ था। जनपद में हर गांव में अगर कोई 18 साल का बालिग रोजगार की मांग करेगा, इसके लिए कहां से उसकी मजदूरी का या रोजगार का पैसा आएगा, लेकिन आपने देखा कि 200 जनपदों में पहले साल नरेगा लागू हुआ। हमारे जनपदों में नरेगा लागू नहीं हुआ था। जो यूपी में सब कमटी की बैठक हुई थी, हमने उसमें राहुल जी से सवाल उठाया कि पूरे देश में नरेगा लागू होना चाहिए। कम से कम पहली बार ऐसी कोई रोजगार देने वाली सरकार हुई है कि अगर कोई रोजगार चाहता है, कोई नौकरी चाहता है तो उसे मुम्बई, दिल्ली और कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। अपने गांव में ही उसे रोजगार मिल सकता है। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री से डेलीगेशन जाकर मिला और मैं बधाई देना चाहता हूं कि पूरे देश के आज सभी जनपदों में नरेगा लागू हुआ है। कम से कम अब कोई व्यक्ति जो रोजगार चाहता है, अगर वह लिखकर रोजगार मांगेगा तो यह शासन की बाध्यता है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता भी उसे मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नरेगा कैसे लागू होगा? नरेगा में अनियमितताएं हैं। वे राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। सीडीए, जीडीए जिम्मेदार हो सकती हैं लेकिन जिस तरीके से परिस्थतियां उत्पन्न होती हैं, वे हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ मुद्दे दिये गये हैं। आज जो हमारा देश खड़ा है, आज वैश्विक मंदी के दौर में भी आज भी अगर हम अपनी विकास दर को बनाये हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस वैश्विक मंदी का असर है, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, तमाम बड़े-बड़े बैंक बंद हो रहे हैं, तमाम छटनी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, लेकिन आज भी मैं कहना चाहूंगा कि आज इस देश ने इस वैश्विक मंदी का जिस तरह से बखूबी मुकाबला किया है, वह आज भारत की ग्रोथ रेट बता रही है और भारत का विकास बता रहा है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा था कि यह सदन इतिहास बनाएगा। यह पहली बार है कि सौ दिन के अंदर वचनबद्धता को इस सरकार ने संकल्पित किया है। चाहे वह संसद में महिला आरक्षण विधेयक की बात हो, चाहे वह पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को पचास प्रतिशत देने की भागीदारी का सवाल हो या केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस तरह से बढ़े, आप बात करते हैं, दुनिया के सामने आप कहते हैं कि हम एक आत्मनिर्भर और मजबूत मुल्क हैं। आज भी दुनिया के मुल्कों की तुलना में हम अपने यहां की महिलाओं को बराबरी का दर्जा न दें या अपने यहां की महिलाओं को कोई मौका न दें, आरक्षण न दें, तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह सदन इतिहास बनाएगा कि जब महिलाओं को विधान सभाओं और लोक सभा में आरक्षण मिलेगा और यह पन्द्रहवीं लोक सभा इसी बात के लिए जानी जाएगी। सौ दिन के इन्होंने अपने संकल्प को दोहराया है, मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई देता हूं।

आज पंचायतों और शहरी व स्थानीय निकायों में पचास प्रतिशत हम दे रहे हैं। आज किस तरीके से दुनिया का जब हमको मुकाबला करना होगा तो इसमें बराबर की महिलाओं की सहभागिता होगी कि जितना हमारे पुरुष साथी इसमें करेंगे, तो आने वाले दिनों में उतना प्रतिशत महिलाओं का भी होगा। आज हर क्षेत्र में हमने उनके लिए किया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा केवल महिला सशक्तिकरण का नारा नहीं है, यह हमारे लिए राष्ट्रीय मिशन है। उस राष्ट्रीय मिशन को पूरा करने की दिशा में आपने स्वयं देखा। आप सबने स्वीकार किया, सारे सदन ने स्वीकार किया । मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सदन ने यह स्वीकार किया कि कम से कम महिला स्पीकर बनाने का काम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने किया है, यूपीए ने किया है।

इसे सभी दलों के नेताओं ने स्वीकार किया है। हमने महिला सशक्तिकरण का नारा नहीं दिया है, हम इस दिशा में एक बुनियादी प्रयास कर रहे हैं। चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी का सवाल हो, चाहे स्पीकर का सवाल हो और मैं कहता हूं कि इस धन्यवाद प्रस्ताव को भी डॉ. गिरिजा व्यास ने प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अब दुनिया की कोई ताकत महिलाओं के सशक्तिकरण को रोक नहीं सकती है, उसकी शक्ल कानून से ही बननी होगी और उस पर अमल-दरामद भी होगा, मैं यह जानता हूं।

महोदय, पिछली सरकार में हमने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। हमने उस गंगा को, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हिन्दू की बात, हिंदुत्व की बात और गंगा मैया की बात करते थे, लेकिन उस गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए मैं स्व. राजीव जी को धन्यवाद दूंगा, मैं उस समय भी उनके साथ था, जब उन्होंने गंगा एक्शन प्लान किया था और जब फिर पिछली सरकार बनी तो गंगा के प्रदूषण की यदि चिंता थी तो कांग्रेस और यूपीए की सरकार को थी। सवा छः साल भाजपा, एनडीए की सरकार थी। उन्हें चिंता नहीं थी कि किस तरह से कानपुर में गंगा में प्रदूषण हो रहा है, किस तरह से गंगोत्री से निकलने के बाद हरिद्वार से निकलती हुई कोलकाता के गंगासागर तक किस तरह से गंगा प्रदूषित होती है। जिस गंगा मैया के जल का हम आचमन करते हैं या हर पूजा में जो हमारी आस्था का विषय होती है। आज हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया है। गंगा नदी को हमने केवल राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित नहीं किया है, बल्कि इसकी सफाई, इसके सौन्दर्यीकरण के लिए भी कहा है। मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि यह काम ऐसा है जो आने वाले दिनों अपने आपमें एक इतिहास होगा। हम इस गंगा की सफाई करके रहेंगे।

चाहे पिछड़ा क्षेत्र उन्नयन हो, चाहे हमारे सूचना के अधिकार के सोशल ऑडिट की बात हो, मैं केवल बिन्दुओं का उल्लेख कर रहा हूं, चाहे सार्वजनिक डाटा नीति तैयार करने की बात हो, प्रमुख कार्यक्रम और जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय हो और इसी का परिणाम है कि भारत की विकास दर आज 8.6 औसत रही है। जैसा मैंने कहा कि केवल भारत और चाइना की तरह आज यह बात मैं समझता हूं कि वैश्विक मंदी से हम जिस बखूबी से निकले हैं, इसमें स्व. श्री जवाहर लाल नेहरू की आधारशिला है कि जब उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं लागू की थीं और पहली बार भिलाई, राउरकेला और भाखड़ा नांगल जैसे डैम पब्लिक सैक्टर्स की स्थापना की थी। आधारभूत ढांचे में उन्होंने भारी निवेश किया था और उसी पर स्व. श्रीमती इंदिरा जी ने फिर आधुनिक भारत के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, हरित क्रांति की थी, गरीबी हटाओ की बात की थी, कृषि उत्पादकता में आत्मनिर्भरता की बात की थी, किसानों को खुशहाल करने की बात थी, सपोर्ट प्राइस की बात थी।

मैं आडवाणी जी को आज धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा लिटरेसी मीन्स आई.टी., लिटरेसी मीन्स कंप्यूटर एजूकेशन। मैं कहता हूं कि जिस समय राजीव जी कंप्यूटर ला रहे थे, इन्हें याद होगा, पूरे देश में विपक्ष ने इसकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कंप्यूटर आ जायेगा तो लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे। आज मैं राजीव जी को श्रद्धांजलि दूंगा कि अगर शायद कंप्यूटर नहीं आया होता तो लाखों लोग वाकई बेरोजगार हो गये होते। आज अगर पूरी दुनिया में भारत की पहचान है तो इसी कंप्यूटर से है, इसी आउटसोर्सिंग से है। आज अमेरिका में भी हमारे लड़कों, नौजवानों और आई. टी. इंजीनियर्स की कद्र है तो इसी इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी और कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं। तब समय रहते हुए राजीव जी ने इस क्षेत्र में जो कुछ किया था, उससे दुनिया के विकासशील देशों में भारत की पहचान बनी। आज जी-20 दुनिया के तमाम मुल्कों का कितना बड़ा मंच हैं आज इस जी-20 में जब डॉ. मनमोहन सिंह जाते हैं तो आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति बनी है, उसमें हम एक सक्रिय और सशक्त देश के रूप में हम मजबूती से खड़े हुए हैं। आज हमारी 1950 से पर कैपिटा इंकम तीन सौ परसैन्ट गुना बढ़ी है। इसके बावजूद हमने टैक्सेज नहीं बढ़ाये हैं, हमने टैक्सेज कम किये है। पिछली सरकार में भी हमने कस्टम पर टैक्स कम किया है। सैन्ट्रल एक्साइज पर टैक्स कम किया है और बहुत सी चीजों पर भी टैक्स कम किये हैं। मैं समझता हूं कि यह सब इसलिए किया गया, चूंकि इस सरकार का यह अभिप्राय है कि समाज का सबसे कमजोर वर्ग का प्राणी जो सुदूर अंचल में बैठा हुआ है, जिसकी आंखों में आंसू हैं, उसे पोंछने का काम यह सरकार कर रही है। कोई बेसहारा, विधवा औरत है, उसे सहारा देने का काम यह सरकार कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में 18 लाख लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जो पेंशन के लिए अनुमन्य हैं। लेकिन केन्द्र सरकार जो दो सौ रुपये देती है, वहां की सरकार उसमें सौ रुपये भी उन्हें नहीं दे रही है। उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, राज्य की राजधानी में पत्थरों का पार्क बनाना। इस तरीके से 11 हजार करोड़ रुपया आज केवल अम्बेडकर पार्क, कांशी राम स्मारक आदि तरह की चीजों पर खर्च हो रहा है। जब पूर्वांचल

[श्री जगदम्बिका पाल]

में बाढ़ आती है तो उस बाढ़ में भी मुख्य मंत्री नहीं जाती हैं, जब राहुल गांधी जी दौरा कर लेते हैं, उसके बाद मुख्य मंत्री जाती हैं, ताकि कहीं ऐसा न हो कि लोग आलोचना करें।

आज जिस तरीके से प्री-मौनसून आया है, तार टूट गये हैं, खम्भे टूट गये हैं, पूरे पूर्वांचल की स्थिति खराब है। जन-धन की काफी क्षति हुई है। जैसे बंगाल में साईक्लोन आया, उसी तरह पूर्वांचल में आया लेकिन मुख्य मंत्री वहां नहीं गई। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे बिहार की कोसी बाढ़ की बात हो, उड़ीसा में स्वर्णरेखा नदी की बात हो, इन सब का उद्गम स्थल नेपाल ही है। करनाली, जलगुड़ी नदियां नेपाल से निकलती हैं। आने वाले समय में भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करनी चाहिये।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में टूरिज्म की कोई स्थिति नहीं रह गई है। अगर कुछ हो सकता है तो बुद्ध सर्किट से हो सकता है। गौतम बुद्ध की जन्म स्थली सिद्धार्थ नगर में श्रावस्ती हैं, सारनाथ में टूरिस्ट क्षेत्र बढ़ाने के लिये बुद्ध सर्किट बनाया जा सकता है। इसके लिये नेशनल हाईवे, मीटर गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के लिये कार्य किया जा सकता है। जिस तरह बिहार में बौध गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, उसी प्रकार श्रावस्ती, सारनाथ में भी किया जा सकता है। दुनिया में 35 मुल्कों के लोग बौध धर्म को मानने वाले हैं, उन्हें यहां आने के लिये आकर्षित किया जा सकता है।

सभापति जी, आज भी शरद यादव जी बात कह रहे थे कि बिजली नहीं है। इसके अलावा अन्य कोई माननीय सदस्यों ने भी इस बात को कहा है। 1989 में कांग्रेस सरकार जाने के बाद उत्तर प्रदेश में तीन बार भाजपा, दो-तीन बार सपा बनी और आज बसपा की सरकार है लेकिन एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं कर पायी हैं। अभी केन्द्र सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है कि हम 12 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हर साल करेंगे। क्या राज्य सरकार केवल सरकार चलाने के लिये है? बिजली हम दें, इन्दिरा आवास के लिये पैसा हम दें, पेंशन हम दें, बाढ़ के लिए पैसा हम दें। अभी भोला सिंह जी ने कहा कि हमें पैसा चाहिये। अगर हम काम के लिए केन्द्र सरकार पैसा देगी तो राज्य के संसाधन कहां जा रहे हैं? राज्य के संसाधन मूर्तियां लगाने के लिये हैं, राज्य सरकार को टैक्सों से जो पैसा आये, उसे पार्कों पर खर्च करे। विकास के कार्यो के लिये राज्यों को भी अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन आज राज्य की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। आज उनकी प्राथमिकताएं जनता नहीं है, खेत-खलिहान और किसान नहीं हैं। जब राहुल जी किसी दलित के घर पर रुकते हैं तो बहिन जी उनकी हंसी उड़ाती हैं। जब लगतार हंसी का जवाब नहीं मिला तो महसूस कर लिया होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया है? वह प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी कि 70 सीटें लेकर आयेंगे लेकिन 20 पर ही रह गई। हमने 64 सीटों पर सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ा और 21 सीटें जीती। हमने गठबंधन धर्म निभाया। अगर हमने 6 महीने पहले तैयारी की होती तो 21 सीटों के बजाय 40 सीटें जीतकर जाते और बिहार में 15 सीटें जीतते। इसलिए आज डैमोक्रेसी का मास्टर जनता से बड़ा कोई नहीं है।

[अनुवाद]

''वन सुंदर, घने और अंधेरे हैं, परन्तु मुझे वादे निभाने हैं, सोने से पहले मुझे मीलों जाना है।''

[अनुवाद]

श्री हसन खान (लद्दाख) : महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं

[हिन्दी]

प्रेजीडेंट अड्रेस ने रोड कनेक्टिविटी पर एम्फेसाइज किया है और इसी कनेक्टिविटी पर मैं दो-चार अलफाज सदन के सामने रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो देश का और जम्मू-कश्मीर राज्य का सर्वाधिक दूरस्थ क्षेत्र है। मेरा क्षेत्र वर्ष भर में छह माह से ज्यादा समय तक शेष देश से कटा रहता है।

मेरे क्षेत्र के साथ चीन और पाकिस्तान की लंबी सीमा लगती है। द्रास, जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है, दुनियां में दूसरा सर्वाधिक ठंडा स्थान है और विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रणक्षेत्र, सियाचिन भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

चूंकि यह क्षेत्र वर्ष में छह माह से अधिक समय तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता है, अत: इस क्षेत्र में कार्य अवधि भी

प्रभवित होती है- यह वर्ष भर में छह माह से अधिक नहीं होती है। केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई सभी योजनाएं और कार्यक्रम छह माह की अवधि में ही पूरे करने होते हैं, जिससे क्षेत्र में कार्यक्रमों की गति भी प्रभावित होती है।

मेरा निवेदन है कि संपर्क कार्यक्रम, जिस पर राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में जोर दिया है, को लद्दाख के उस दूरस्थ क्षेत्र जो देश से कटा रहता है, को छह माह की प्राथमिकता दी जाए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है।

एक योजना अथवा कार्यक्रम चल रहा है अथवा तैयारी में है,

[हिन्दी]

उस जमाने से जब मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री थे और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रियासत के वजीरेआजम थे। हमारे लद्दाख से पदमश्री श्री सनम मुर्मु, लद्दाख के मिनिस्टर और वर्क्स मिनिस्टर जम्मू-कश्मीर में थे। उस वक्त भी यह कहा गया था कि इस सेपरेशन को खत्म करने के लिए ओनल में टनल बनाने की जरूरत है। उस वक्त से लेकर आज तक इस चीज पर हमेशा बातें होती रही हैं। हमने सुना है कि पिछले साल यूपीए गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में काफी काम किए हैं। खासकर सर्वे और फिजिबिल्टी के बारे में अगर ऐसा किया जाए तो यह रीजन भी मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ सालभर जुड़ा रहेगा और इससे वहां के दूरदराज इलाकों में तरक्की के अवसर मिल सकेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय, क्षेत्रफल में लद्दाख जम्मू और कश्मीर के कुल क्षेत्र से भी अधिक है, यद्यपि यहां जनसंख्या घनत्व देश में न्यूनतम है; क्षेत्र के विकास में यह भी एक बड़ी समस्या है।

[हिन्दी]

जब उसका 58000 स्कवेयर किलोमीटर एरिया फैला हुआ है, वह छः महीने पूरी दुनिया से कट जाता है तो उससे बहुत सी प्रोबल्मस वहां के रहने वाले लोगों को, जो चीन और पाकिस्तान के लम्बे बार्डरों पर रहने वाले लोगों को आती हैं। जहां हमारे मुल्क की बहादुर सेना आठ हजार से 18 हजार फुट की बुलंदी पर सर्दी, गर्मी एवं बर्फ में ग्लेशियर से उठती हुई हवाओं में ड्यूटी देते हैं तो इस लिहाज से कनेक्टिविटी के इस विषय की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह प्रोगाम इतने समय से चल रहा है कि मुल्क से जोड़ने के लिए एक टनल की वहां जरूरत है, इस पर जोर दिया जाए। यूपीए की पांच साल की हुकूमत में हम उम्मीद करते हैं, पुरे लद्दाख के निवासियों को उम्मीद है कि आने वाले पांच साल में यूपीए गवर्नमेंट इस सिलसिले में काम करेगी। हमारे यहां जो सदियों पुरानी प्रोबलम चली आ रही है, उसका कोई समाधान निकालेंगे। यही चीज मैं सबसे पहले वहां की कनेक्टिविटी के लिए, मुल्क के साथ जोड़ने के लिए, तरक्की के लिए जरूरी समझता हूं। उस रीजन में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट लेह में है, दूसरा जो कारगिल में बना हुआ है, वहां पर कमर्शियल अभी वायबल नहीं है, उसे अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि दूसरा डिस्ट्रिक्ट, जो एक-दूसरे के बीच में ढाई सौ से तीन सौ किलोमीटर की दूरी पर आता है, वहां भी कम से कम सर्दियों के महीनों में कमर्शियल सर्विसेज कश्मीर, दिल्ली या जम्मू से चला सकें, इसकी तरफ भी हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं।

इस चीज की तरफ भी ध्यान दिया जाए। वहां दूसरा एयरपोर्ट मौजूद है। इस वक्त भी वहां एयरपोर्ट बना हुआ है। वहां आर्मी के एयरक्राफ्ट उतरते हैं मेरी गुजारिश है कि वहां कॉर्मशियल सर्विसेस चलाने का बन्दोबस्त किया जाए। उस एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाए, ताकि बड़े जहाजों के उतरने के भी वहां बन्दोबस्त हो सकें। अगर ये चीजें की जाएं, तो दूरदराज इलाकों में भी तामीर और तरक्की के काम हो सकते हैं। सेंटर और स्टेट से जो स्कीमें बनती हैं, वहां उनका असर हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ *[अनुवाद]* मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती) : माननीय सभापति महोदय, आपने माननीया महोदया जी के अभिभाषण पर डॉ. गिरिजा व्यास जी द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आभारी हूं।

मान्यवर, भारत-नेपाल सीमा, महात्मा बुद्ध की तपोभूमि, जैन और सनातन तीर्थस्थली, देवी पाटन के सीमान्त और पिछड़े हुए क्षेत्र श्रावस्ती का मैं इस सदन में प्रतिनिधित्व करता हूं। यह पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से विश्वविख्यात है। यही नहीं, श्रावस्ती के पूर्ववर्ती क्षेत्र बलरामपुर, जहां से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीया सुभद्रा जोशी, माननीय नानाजी देशमुख और बैरिस्टर हैदर हुसैन जजैसी महान् विभूतियों को इस सदन में प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है। मैं अपनी उस महान् जनता के प्रति कृतज्ञ हूं जिसने यू.पी.ए. की चेयरपर्सन, धैर्य और त्याग

[डॉ. विनय कुमार पाण्डेय]

की प्रतिमूर्ति, माननीया सोनिया गांधी जी, यू.पी.ए. सरकार के प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह जी की नीतियों में आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए इस सदन में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया है।

मान्यवर, समवेत् संसद की दोनों सभाओं में जो अभिभाषण माननीया राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया गया, उसमें भारत निर्माण को लेकर, जो समावेशी विकास की परिकल्पना की गई है, उससे सदन के सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है और प्रतीत ही नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा मेरा विश्वास भी है। आज आतंकवाद की लड़ाई में आर्थिक मोर्चे की लड़ाई में, गरीबी उन्मूलन की लड़ाई में, हर आम भारतीय को निरोगता प्रदान करने की लड़ाई में यू.पी.ए. की सरकार ने जिस प्रतिबद्धता, धैर्य और दृढ़ता के साथ, पिछले पांच वर्षों में प्रगति की है, उसी के फलस्वरूप आज यह जनादेश जो प्राप्त हुआ है, यह स्व. राजीव गांधी जी के बाद पहली बार प्राप्त हुआ है और यह एक दृढ़ इच्छा-शक्ति वाली भारत सरकार की आवश्यकता, जो बहुत बहुमत से, पूरी दृढ़ता के साथ, भारत की उन्नति और विकास के लिए फैसले ले सके, यह जनादेश उसी का परिणाम है।

मान्यवर, हमारे किसानों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए यू.पी.ए. की पिछली सरकार ने, माननीय यू.पी.ए. की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में, जिस ढंग से किसानों की तरक्की की बात कही गई, किसानों की आर्थिक स्थिति और ग्रामों की अर्थव्यवस्था को सुधारने और सुदृढ़ करने की बात कही गई, किसानों की अर्थव्यवस्था को सुधारने और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए निर्णय लिए गए, निश्चित रूप से यह जनादेश उसके पक्ष में है। हिन्दुस्तान गांवों में बसता है, जब हम होश में आये और जब मैंने विद्यार्थी जीवन प्रारंभ किया तो सही पढ़ाया गया कि हिन्दुस्तान किसानों का देश है और हिन्दुस्तान गांवों में बसता है। निश्चित तौर पर आज हमारी स्थिति वह नहीं है कि किसानों के अनाज के मूल्य को बढ़ाकर हम रोटी को महंगा करें, लेकिन किसानों की लागत को घटाकर किसानों को आर्थिक तरक्की देकर जीवन-यापन स्तर को समृद्धशाली बनाते हुए हम समावेशी भारत के विकास की परिकल्पना कर सकते हैं और निश्चित रूप से एक सुदृढ़ भारत की स्थापना कर सकते हैं, क्यों अगर किसान टूट गया तो हिन्दुस्तान की रीढ़ टूट जाएगी।

मैं हिन्दुस्तान की उस महान जनता का आभारी हूं, जिसने यू.पी.ए. की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए भ्रष्टाचार, आतंकवाद और गैर-कांग्रेसी सरकारों द्वारा परम्परागत रूप से हिन्दुस्तान को कमजोर करने की जो परम्परा सी बना ली थी, उसका करारा जवाब देकर यू.पी.ए. की सरकार को बहुमत ही नहीं, एक मजबूत सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ चलाने का जो जनमत दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं।

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, अभी हमारी साथी आदरणीय पाल साहब ने कहा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र है। वह बुद्धा सर्किट, जिसमें श्रावस्ती निहित है, जिसमें सिद्धार्थनगर निहित है, जिसमें कुशीनगर और सारनाथ निहित है, वह अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का भी स्थल है और निश्चित रूप से उससे विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा की उचित और पर्याप्त रूप में आय होती है। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बुद्धा-सर्किट को डैवलप करके और यहां जो रिजर्व फॉरैस्ट है, उसको भी पूरे सुनियोजित तरीके से पर्यटन की दृष्टि से विकसित करके अच्छी आय के संसाधन वहां विदेशी मुद्रा एकत्र किए जाने के उपाय किये जा सकते हैं। इसमें गोरखपुर से फैजाबाद तक आने वाले उस एन.एच. को कुशीनगर से लेते हुए महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, तुलसीपुर श्रावस्ती से जोड़ते हुए और लखीमपुर, शाहजहांपुर, बाराबंकी और बहराइच आकर शाहजहांपुर जो लखनऊ दिल्ली बरेली हाईवे है, यहां से लाकर एन.एच. का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। उसे राज्य स्टेट हाईवे से निकालकर नेशनल हाईवे में परिवर्तित किया जाये। निश्चित रूप से वह हमारे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। वहां अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जरूरत है। मान्यवर, मैं आपको सुन रहा था, उसी तरीके से श्रावस्ती जो मेरा जनपद है, उसमें एक सेंटीमीटर भी रेलवे लाइन नहीं है। आज वहां विकास की उम्मीद करना बगैर रेलवे लाइन के, बगैर ट्रांसपोर्टेशन के बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है।

निश्चित रूप से मैं माननीय आडवाणी जी को सुन रहा था, आज नेपाल भारत सीमा चीन की मंशा को देखते हुए शायद सबसे असुरक्षित सीमा है और वहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शायद इसलिए वहां सशस्त्र सीमा बल लगाया गया है। जब से सशस्त्र सीमा बल लगा है, माओवादियों का जो आतंक था, जो माओवादियों का खतरा था, उस पर निश्चित रूप से काबू पाया गया है। वहां इससे तस्करी पर भी काबू पाया गया है।

उन्हें और अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा, निश्चित रूप से हमें वहां और विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां

हमारी सबसे बड़ी खुली सीमा है। नेपाल राष्ट्र में जो राजनैतिक अस्थिरता फैली, उसको देखते हुए आज शायद पाकिस्तान या अन्य किसी पड़ोसी राष्ट्र से ज्यादा खतरा हमें इस सीमा से महसूस करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। हम वहां के निवासी हैं, वहां के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वहां की बात यहां रख रहे हैं।

मान्यवर, हमारे यहां शिक्षा के साधन पर्याप्त नहीं हैं। निश्चित रूप से टेक्निकल एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन को लेकर अभी यह क्षेत्र अति पिछड़ा है। शिवालिक रेंज की तराई की यह बेल्ट, जहां राप्ती नदी और पहाड़ी नालों की बाढ़ की विभीषिका को झेलती है, वहीं तराई में ऐसा भी क्षेत्र है, जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, जहां ड्रिल बोरिंग के अलावा सिंचाई की कोई और सुविधा किसानों को उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, राप्ती नदी पर मथुरा, कोडरी और पिपरा पुलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और वहां थारू जनजाति जो हमारे क्षेत्र में है, उसके लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता की तरफ मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार की योजनाएं चलाने के लिए जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, यह अति आवश्यक है।

मान्यवर गैर-कांग्रेस शासित राज्यों में एक उत्तर प्रदेश राज्य भी है। आप अभी नरेगा की बात कह रहे थे। तीस प्रतिशत तक नरेगा की राशि की कमीशन के रूप में वसूली की बात हम लोगों के संज्ञान में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आती थी। हम लोग टीवी में देखते हैं कि आंतकवादियों न जजिया कर लगाया, हमारे यहां यू. पी. में जन्मदिनी कर चल रहा है। लोकतंत्र का विद्रूप चेहरा देखने को आज उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। वह उत्तर प्रदेश जो पूरे हिंदुस्तान को लीड करता था, उसने इस बार 21 लोगों को चुनकर विशेषकर बुद्धा सर्किट से होते हुए, यह साबित कर दिया है कि उन्हें नकार दिया गया। मैं बहुत देर से अपने प्रतिपक्ष के माननीय साथियों की बातों को सुन रहा हूं। मैं साधुवाद देना चाहता हूं माननीय सोनिया जी के त्याग को, राहुल जी के धैर्य को, कि आज गोडसे की नीतियों पर चलने वाले लोग, गांधी की नीति की बात इस सदन में कहने लगे। कांग्रेस को यह बताने लगे कि कांग्रेस ही हिंदुस्तान की पूरे विश्व में परिचायक है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके माध्यम से यूपीए चेयरपर्सन की त्याग, तपस्या और धैर्य को।

मान्यवर, निश्चित रूप से हिन्दुस्तान में अब दोहरा चरित्र चलने वाला नहीं है। यह हिन्दुस्तान की जनता ने मान लिया है। आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत की सरकार भी पांच साल के बाद हम पायेंगे। एंटी-इनकंबेंसी नहीं, बल्कि अब पोजीटिव वोटों की बारी है। निश्चित रूप से अब वह दिन दूर नहीं जब 16वीं लोक सभा का चुनाव होगा, तो इस सदन में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार होगी।

मान्यवर, प्राक्सी वार की बात आडवाणी जी इस सदन में कह रहे थे, इसको बढ़ावा किसने दिया? पाक उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार थी, तो आपने कंधार तक मेहमाननवाजी की। आपके केंद्रीय मंत्री द्वारा मेहमाननवाजी की गई। अगर आतंकवाद का उस समय करारा जवाब दे दिया गया होता, तो निश्चित रूप से मुंबई हमला न हुआ होता और उसकी पार्लियामेंट के दरवाजे तक आने की हिम्मत ने पड़ती, आतंकवाद को समूल नष्ट कर दिया गया होता।

मान्यवर, कांग्रेस और यूपीए सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति निश्चित रूप से आतंकवाद को समाप्त करेगी। पूरे विश्व में आर्थिक संकट की इस लड़ाई में भारत भी जूझ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे विश्व में आर्थिक रूप से नंबर एक के पायदान पर हिंदुस्तान खड़ा होगा।

मान्यवर, मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन आदरणीय डॉ. गिरिजा व्यास जी ने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उस पर फिर से बल देते हुए यूपीए सरकारी की मुखिया का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, आपने अमृत की बात की थी, मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि:

''अमृत तो सब लेकर भागे, अब विष की तैयारी है;
कौन हलाहल पान करेगा, हर कोई यही विचार रहा;
आज तुम्हें हिन्दुस्तान क्या, पूरा विश्व निहार रहा।''

मैं यह बात इसलिए कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान का दर्जा पूरे विश्व में सर्वोपरि रहा। जब राजनीति और राजनीतिज्ञ व्यंग्य का विषय बन गये हों, तो हिन्दुस्तान की जनता और राजनीति ने एक ऐतिहासिक करवट ली है। पन्द्रहवीं लोक सभा में यूपीए सरकार की दृढ़ता का ही नतीजा इस ऐतिहासिक सदन के रूप में है। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब हिन्दुस्तान की जनता का विश्वास और अपेक्षाएं एक ऐसे दौर में आकर खड़ी हो गयी थीं जहां राजनीति और राजनीतिज्ञ व्यंग्य का विषय बन गये हों, इलैक्ट्रानिक चैनलों पर देखा जाता रहा, जहां व्यंग्य के तरीके से उनका प्रस्तुतीकरण होने लगा

[डॉ. विनय कुमार पाण्डेय]

हो, ऐसे दौर में माननीया सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी ने एक आदर्श और शुद्ध भारतीय संस्कृति की परम्परा का निर्वाह करते हुए, त्याग और धैर्य का परिचय देते हुए पुनः हिन्दुस्तान के युवाओं और हिन्दुस्तान की जनता का विश्वास और अपेक्षाएं राजनीति और राजनीतिज्ञों में लाने का प्रयास किया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : निश्चित रूप से आज हिन्दुस्तान के युवाओं को...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पाण्डेय जी, आपने विष और अमृत की बात की, आपने यह जरूर पढ़ा होगा–

मान सहित विष खाई के, शम्भु भये जगदीश।
और बिना मान अमृत पीये, राहु कटायो सीस।।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सज्जन वर्मा (देवास) : सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में छठे बिन्दु पर शक्तिशाली शब्द का उपयोग निश्चित रूप से मन को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने यूपीए सरकार को एक बड़ा शक्तिशाली जनादेश इस चुनाव के माध्यम से दिया है। बहुत सुन्दर शब्द का संयोजन है। माननीय सभापति जी, जब चुनाव हुआ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वर्मा जी, आपका भाषण सोमवार को भी जारी रहेगा, क्योंकि हम आपका लम्बा भाषण सुनना चाहते हैं। इसलिए आप दो दिन आराम कर लें और सोमवार को फिर तैयार होकर आयें। अब सभा 8 जून, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 8 जून, 2009/ 18 ज्येष्ठ, 1931 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।